राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम सत्र, १६६५ का १३वां दिवस [संख्या १०

सोमवार, दिनांक ८ मार्च, १६६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, वित्त, श्रम, राजस्व, वन, पंचायत, एवं समाज कल्याण–विभाग]

छात्रवृत्ति

२०३. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) 'गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप' देने की योजना राजस्थान में कब से चालू हुई है? यह स्कॉलरशिप पाने के लिये क्या क्या शर्तें हैं?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना का लाभ बड़े बड़े साधन सम्पन्न व्यक्तियों के बालकों के अलावा गरीबों के बच्चों को भी मिल सकता है?

(३) 'गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप-चालू होने से अब तक कुल कितने छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी गई है और इस स्कॉलरशिप को पाने वाले छात्रों के क्या क्या नाम हैं। तथा इन छात्रों के संरक्षकों की आय क्या है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उपरोक्त स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों को शिक्षा किस २ स्कूल में दी जाती है?

(५) क्या यह सही है कि अब तक छात्रवृत्ति का लाभ बड़े ऑफिसरों के छात्रों तक ही सीमित है? यदि ऐसा नहीं है, तो साधनहीन व्यक्तियों के किस किस छात्र को इस योजना का लाभ मिल रहा है?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप राजस्थान में १९६१-६२ से चालू हुई :

(१) नेशनल स्कॉलरशिप ।

(२) मैरिट स्कॉलर शिप (प्राइमरी व सेकन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिए) इनको पाने के लिए निम्न शर्तें हैं :

(१) नेशनल स्कॉलरशिप ।

जो छात्र राजस्थान के विश्वविद्यालय एवं सेकन्डरी बोर्ड की फाईनल परीक्षाओं में उच्चतर प्राप्त करते हैं उनको मेरिट के अनुसार नियत संख्या के अंतर्गत गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा सलेक्शन कर लिया जाता है।

(२) मैरिट स्कॉलरशिप (अध्यापकों के बच्चों को) जो हाई अथवा हायर सेकन्डरी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उनको स्कॉलरशिप की नियत संख्या के अंतर्गत मैरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है ।

उपरोक्त दोनों प्रकार की स्कॉलरशिप में सिलेक्ट किए हुए जिन छात्रों के पिता की अथवा संरक्षक की मासिक आय ५००) तक होती है उनको पूरी स्कॉलरशिप व ५००) से १०००) तक की आय वालों को आधी दर पर स्कॉलरशिप व १०००) से अधिक की आयवालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती ।

इसके अलावा रेज़िडेन्शियल स्कूल्स में पढ़ने वाले केवल ९ से १२ की उम्र के बच्चों को भी भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसमें मौखिक एवं लिखित परीक्षा भारत सरकार द्वारा ली जाती है इसमें १७॥ प्रतिशत स्कॉलरशिप शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित होती है ।

(२) पिता अथवा संरक्षक की आमदनी के अनुसार सभी को इसका लाभ मैरिट के अनुसार नियत संख्या के अंतर्गत मिलता हैं ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) यह सूचना भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है ।

(५) इसका उत्तर प्रश्न भाग १ में दिया जा चुका है। भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 3

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : दोनों स्कीमों की तहत आज तक सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ और कितना युटिलाइज़ कर दिया ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना मेरे पास नहीं है। प्रश्न में नहीं है, कितना प्राप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कुल मिलाकर कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : सूची में अंकित है।

श्री भैरोंसिंह : फिर भी बतला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री सूची रख दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितने नंबर को दिया गया, यह सूची में है। एक, दो, तीन, चार, पांच...

श्री भैरोंसिंह : यह जो एक, दो, तीन, चार, पांच आप बता रहे हैं इसके आखिर में नंबर कितना है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैरिट स्कॉलरशिप ३, प्राइमरी सेकन्डरी ३, कॉलेज २, जोधपुर के लिये १, फिर उदयपुर १, फिर गवर्नमेन्ट कॉलेज अजमेर १; कॉलेज-वाइज इसमें साफ दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कुल कितनी दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गिन देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : स्कॉलरशिप के लिये जो अमाउन्ट सेन्क्शन हुआ था वह लेप्स हुआ या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज नहीं कर सकता कि लैप्स हुआ या नहीं, जितना कोटा गवर्नमेन्ट को मिलता हैं जो एग्ज़ामिनेशन्स उच्चस्तरीय होते हैं उनमें उत्तीर्ण होते हैं उनको दिया जाता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु०) : शिड्यूल कास्ट को १२॥ परसेन्ट रखा है वह यूज़ हो चुका है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिड्यूल्ड कास्ट के लिये १७॥ परसेन्ट रेजिडेन्शियल स्कूल्स के लिये रिज़र्व है इसमें कितना यूज हुआ और कितना नहीं, यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह नहीं कह सकते कि जितना अमाउन्ट का परसेन्टेज मिला वह सारा यूज़ हो चुका या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी देने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं कि जितना मिला वह यूज़ हो चुका या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : १७।। परसेन्ट रिजर्व है शिड्यूल्ड कास्ट के ट्रेनीज़ के लिये उतना उनको मिलता नहीं है प्रश्न पूछने का मतलब उनका यही है । जितना ईयर मार्क हुआ वह सारा यूज़ हुआ या नहीं क्या आप यह नहीं बतला सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरी दिक्कत यह रही कि प्रश्न में उन्होंने यह जानना चाहा था कि किन किन को मिली है । इसमें असमानता नहीं है, बड़े लोगों को दी जाती है, ऐसी बात नहीं है, तीन चार मद हैं । यदि एक भी प्रश्न का संकेत मिलता कि कितना कोटा मिला है, कितना लैप्स हुआ है, तो यह सारा बतलाता ।

श्री भैरोंसिंह : संकेत की आवश्यकता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : केटेगोरिकली तीन प्रश्न पूछे हैं, ऑफिसर्स के कितने बच्चे, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने बच्चों को मिला, मिसयूज़ नहीं हुआ तो पूरे आंकड़े दे सकते हैं, कितना आया है, कितना युटिलाइज़ हुआ जब तक यह मालूम न हो तब तक आप पूरा चित्र ही नहीं रख सकते.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें अध्यक्ष महोदय, ऑफिसर्स और उसका प्रश्न नहीं है । जहां हायर सेकेन्ड्री और सेकन्डरी स्कूल के अध्यापकों के बच्चों का प्रश्न है उसमें ऑफिसर्स का प्रश्न नहीं है कि मेरिट के प्रश्न पर किसी बच्चे ने अच्छे नम्बर प्राप्त किये हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिली है । इसमें ऑफिसर्स का प्रश्न नहीं आता है । जो क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया गया है कि पांच सौ से नीचे पूरी स्कालरशिप, पांच से ऊपर एक हजार तक आधी और उसके ऊपर कोई स्कॉलरशिप नहीं है । यह तीन तरह की स्कॉलरशिप हैं । इसमें असमानता का प्रश्न भी पैदा नहीं होता है । जो अच्छे नम्बर प्राप्त करता है उसके आधार पर उसको स्कॉलरशिप मिलती है ।

श्री श्रवणलाल : जैसा कि बताया गया है १५२ लड़कों को स्कॉलरशिप दी गई है । उसमें कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रश्न है उसके लिए साढ़े सतरह पर्सेन्ट फिक्स किया हुआ है । वह रेज़िडेंशियल स्कूल्स के लिए हैं ।

श्री श्रवणलाल : मुझे तो यह जानकरी दे दें कि १५२ लड़कों को स्कॉलरशिप दी गई है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लड़के हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जानकारी आपके पास नहीं है ? जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब आप देते नहीं हैं !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह स्कॉलरशिप देने के लिए कोई कमेटी बनी हुई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें कमेटी का प्रश्न नहीं है। इसके लिए इम्तिहान होता है बाकायदा। उसके बाद ६० पर्सेन्ट नम्बर मिलने के पर और स्तर के आधार पर मेरिट से तय किया जाता है। इसमें कमेटी का प्रश्न नहीं है। जो निर्णय लेते हैं।.......

रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कमेटी वास्तव में बनी हुई है या नहीं ?

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : इस बात की कमेटी बनी हुई है या नहीं, जिसमें सदन के माननीय सदस्य भी हैं और जो स्कॉलरशिप दी जाती है। उनका उसके द्वारा निर्णय किया जाता है ? क्या ऐसी कमेटी बनी हुई है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके दिमाग में दो तरह के प्रश्न हैं–एक तो जो राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और उसके लिए जो कमेटी का प्रश्न है वह प्रश्न इसमें नहीं है क्योंकि यह स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप 'हां' या 'ना' में उत्तर दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें प्रश्न कमेटी का नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जवाब चाहते हैं "हां" या "ना" में और आप एक्स्प्लेतेशन देने लग जाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं क्लेरीफिकेशन दे रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है उसका एक्स्प्लेनेशन दे रहा हूं। जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसमें कमेटी का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "हां" या "नहीं" में जवाब देने में क्या दिक्कत होती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह बताया है कि ये सरकम्सटान्सेज हैं। इसमें इम्तिहान लिये जाने के बाद जो प्रेस्क्राइब्ड स्टेन्डर्ड के बच्चे आयेंगे उनकी रिकमन्डेशन हम, हमारा डाइरेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर देते हैं। और फिर स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है, कमेटी है नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो कमेटी बनी हुई है, वह चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप दे या राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे –उन सबके लिए बनी हुई है। अब उस कमेटी का क्या अर्थ है जब आप अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दे देते हैं; उस कमेटी को आपने क्यों बना रखा है ? उस कमेटी की मीटिंग दो साल में एक दफा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हुई है लेकिन स्कॉलरशिप्स बराबर दी जा रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, फिर भी इनके अन्दर बराबर कन्फ्यूजन है। जो कमेटी बनी हुई है आपके मस्तिष्क में, उसका, जो राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है उससे सम्बन्ध है। यह प्रश्न सम्बन्धित है उससे जो स्कॉलरशिप गर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डील करती है। हम एजेंसी हैं इम्तहान लेने वाली और मेरिट के पोइन्ट पर जो बच्चे आते हैं उनको हमारा डाइरेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमन्ड कर देता है। इसलिए कमेटी का प्रश्न इस सम्बन्ध में पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी पूछा नहीं प्रश्न।

(विराम)

मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा था कि जो स्कॉलरशिप भारत सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए देती है लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट उसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर दूसरों को दे देती है। मैंने पूछा था कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारह साल तक के बच्चे स्कॉलरशिप पाने वाले हैं उनकी लिस्ट बता दीजिये, नाम बता दीजिये। जो रकम हम लोगों के लिए मिलती है वह गवर्नमेंट दूसरे लोगों को देती है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वंचित रह जाते हैं। यह बता दें कि कितने बच्चों को दी गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को, जैसा मैंने अर्ज किया, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए दी जाती है और उसके लिए साढ़े सतरह पर्सेन्ट रिजर्वेशन है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्डट्राइब्स और पिछड़ी जाति के लिए साढ़े सतरह पर्सेन्ट का प्रश्न है उसके बारे में अपका कथन ठीक है। अब साढ़े सतरह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन हुआ है या नहीं, यह देखने का है अब तक इन रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए स्कालरशिप दी गई है वह छः बच्चों को दी गई है-एक प्रभावती, एक दुर्गापाल, उषा शर्मा, विजय कुमार, दीपक सिकड़, और श्यामसिंह माटी, और सुभाष कुमार, रघुनन्दन।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने बताया कि आपके पास अभी आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकें कि साढ़े सतरह पर्सेन्ट सुरक्षित है वह पूरी मिली है या नहीं। इसके बारे में आप जांच कर लें आपने स्वयं के संतोष के लिए और माननीय सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर बता दें कि क्या स्थिति है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके आदेश के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछड़ी जाति के बच्चे

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

को जो स्कॉलरशिप मिली हैं दोनों तीनों कैटेगरीज की उसकी एक लिस्ट टेबल पर में, रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द अग्रवाल।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

२०४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाये जाने का क्या मान-दण्ड है ?

(२) नवीनतम की गई बृद्धि के कारण इस प्रकार देय कुल राशि क्या है ?

(३) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि यह वृद्धि बढ़े हुए मूल्य-स्तर के के समानुपातिक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में युक्ति संगत वृद्धि करने का सुझाव देने हेतु एक आयोग बैंठाने के लिए तैयार है, ताकि यह वृद्धि वर्तमान निर्वाह-व्यय के समानुपातिक हो सके ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने का मान दण्ड है-भावों में बृद्धि व इस संदर्भ में वित्तीय साधनों की उपलब्धि।

(२) नवीनतम वृद्धि के कारण कुल देय राशि इस प्रकार है :

रु० १५० से कम २० रु०

रु० १५० और इससे अधिक परन्तु ३०० से कम ३० रु०

रु० ३०० से ३२० तक ३३० रु० और वेतन का अन्तर

रु० ३२० से अधिक और ३६० तक १० रु०

रु० ३६० से ऊपर ४०० रु० और वेतन का अन्तर

(२) राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूची अंक (कन्ज्यूमर) प्राइस इन्डैक्स) नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मौजूदा महंगाई भत्ता मूल्य स्तर के समानुपातिक है या नहीं अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूची अंक केवल श्रमिक वर्ग के मूल्य सूची अंक को बताता है, जिस श्रेणी में राजस्थान के समस्त: कर्मचारीगण नहीं आते हैं। राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने हेतु आयोग बैठाने के लिए तयार नहीं हैं।

यह फिगर्स मैंने बताये हैं, इनमें जो बजट के मुताबिक तब्दीली हुई है-वह शामिल नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कन्ज्यूमर प्राइस इन्डैक्स है इसके अनुसार राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में जो वृद्धि करनी है इसके लिए किसी रेशनल तरीके से तय किया जाय इसके लिए कोई कमेटी या कमीशन बैठाने का विचार क्यों नहीं रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक सरकार ने कमेटी या कमीशन बैठाने का फैसला नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह ठीक है, राज्य कर्मचारियों के ऊपर श्रमिक प्राइस इन्डेक्स लागू नहीं होता है, फिर भी माथुर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें सेन्ट पर्सेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशनको रिकमन्डेश नहै—क्या इसके अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से इन्हें वंचित रखा जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माथुर कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिशें हैं-वे अभी गवर्नमेंट के विचाराधीन हैं, इसलिए उसको आधार मान कर अभी कोई फैसला करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मान लीजिये कि विचाराधीन है और सरकार उस पर विचार कर लेती है तो क्या माथुर कमेटी की रिकमन्डेशन्स हैं वे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू करने का विचार करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो माथुर कमेटी अपोइन्ट हुई थी उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या थीं? क्या उन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स को मानने के लिए सरकार तैयार है या नहीं ? उसको अपोइन्ट सरकार ने किया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माथुर कमेटी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं उसमें यह शामिल नहीं हैं। माथुर कमेटी का हर मामला अलग से है। उसका इससे कोई सम्बन्ध है, इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सम्बन्ध तो हैं, क्योंकि आप कमेटी या कमीशन कायम करना नहीं चाहते। अलग जो राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में विचार करे। इसलिए माथुर कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है कॉन्क्रीट, उसको भी राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं करना चाहते तो आखिर राज्य कर्मचारी जायें कहां ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि माथुर कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर एप्लाई नहीं करती है। अब टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं वह क्या हैं, क्या नहीं हैं—इस प्रश्न से उनका सम्बन्ध नहीं है और उनकी डिटेल्स भी नहीं जानता हूं इसलिए एप्लाई की जायगी या नहीं की जायगी—यह इससे सम्बन्धित नहीं है और न मैं उत्तर देने की पोज़ीशन में हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे सम्बन्धित है क्योंकि पॉवर हाउस वगैरह के कर्मचारी इसके अन्तर्गत आते हैं। एक तरफ इसके अन्तर्गत आते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि माथुर कमेटी की रिपोर्ट in itself is a seperate Question. उसके बारे में क्वेश्चन सम्बन्धित मंत्री से पूछते तो उसके बारे में कोई जवाब देते।

Page No 9

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : २०५ आगे सवाल है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : दूसरा क्वेश्चन आगे है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो मूल्य वृद्धि होती है उसके आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, उसमें कोरिलेशन-शिप रह सके, इसके लिए क्या विचार करते हैं ? बढ़ती हुई मंहगाई के अनुपात में राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाय, इसके लिए क्या बेसिस बनाना चाहते हैं ? सरकार का क्या इरादा है, इसके बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : मैंने यह निवेदन किया कि जो प्राइस लेवल बढ़ता है और उसके अनुपात से सेंट पर्सेन्ट चाहे सही नहीं है पर एडहोक बेसिस पर सरकार इन सारी चीजों को कन्सीडर करते हुए बढ़ाती है । आपने देखा होगा कि १-३-६४ को बढ़ाये, फिर १-८-६४ को बढ़ाये और १-३-६५ से फिर बढ़ाये हैं । चाहे फाइनेन्शियल ईयर दो हों, फिर भी एक ही साल में तीन दफा बढ़े हैं । गैप एक ही साल का है । एक साल में तीन बार बढ़ाना, यह मोस्ट इम्पोंटेन्ट फेक्टर है कि एड्हॉक बेसिस पर इन सारी चीजों को कन्सीडर करते हुए हम बढ़ाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की महगाई की जांच के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स को आधार माना जाता है, क्या अखिल भारतीय स्तर को माना जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडहॉक बेसिस पर तय करते हैं पर उस समय भी कई बातों पर विचार करते हैं । ऑल इन्डिया का है उसको भी कन्वर्ट करके १९६० को बेस मान कर कन्वर्ट करके हमने किया है. उसका मिलान करते हैं तो मिलान करने से पता चलेगा कि राजस्थान उससे कोई पीछे नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : क्या यह सही है......

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह :

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि एडहॉक बेसिस पर प्राइस इन्डेक्स मान कर चलते हैं तो राजस्थान में उन प्राइसेज़ की तुलना के लिए कौनसा फोर्मूला एडॉप्ट कर रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि एडहॉक बेसिस पर उन सारी चीजों को कन्सीडर करते हैं, ऑल इन्डिया कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स को स्ट्रिक्टली बेसिस नहीं मानते ।... ...

श्री भैरोंसिंह : नहीं । आप तो इतना ही जवाब दें कि आप ऑल इण्डिया कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स को बेसिस नहीं मानते, माथुर कमेटी ने माना उसको आधार नहीं मानते तो फिर राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को भत्ता देने, महगाई भत्ता बढ़ाने में किस फार्मूला को आधार मानते हैं ?

Page No 10

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माथुर कमेटी की सिफारिशों को मानने का प्रश्न अभी नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ दीजिये पर एडहॉक बेसिस पर पर भत्ता बढ़ाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन है कि एडहॉक का आधार क्या हुआ ? ऑल इण्डिया कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेस को आप आधार मानते नहीं, राजस्थान के लिए जो निर्धारित है माथुर कमेटी के द्वारा वह आप आधार मानते नहीं तो एड्हॉक बेसिस पर तय करते समय किसको आधार मानते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एड्हॉक होते हुए भी कुछ फैक्टर्स को कन्सीडर करते हैं और उन फैक्टर्स को कन्सीडर करते हुए समानता लाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑल इण्डिया के प्राइस इन्डेक्स को ४६ बेस ईयर माना है। हर साल की जो प्राइसेज इन्क्रीज़ हुई हैं उनमें हमने ६० को बेस ईयर माना है। उनमें इनको कन्वर्ट किया, वहां ७० है हमारे यहां ४५ है और ६० पर्सेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन करते हैं। इसको हम केल्कुलेट करते हैं, उसके आस पास एड्हाक निर्णय करके मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो आधार तय कर रखा है, वह ऑल इण्डिया प्राइस इन्डेक्स के आधार पर क्या पर्याप्त है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यहां हमने वह भी केल्कुलेट कर लिया हैं और वहां काफी हद तक समानता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने इसके लिए कोई कमेटी बैठाई नहीं। बेसिक प्रश्न है कि ५६ की महंगाई मान कर चलें, पर आपके पास कोई फोर्मूला नहीं, ऑल इण्डिया कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स आपका बेस नहीं, यहां कोई फोर्मूला नहीं, न कोई इसके लिए आपने कमेटी बिठाई है, मिनिमम वेजेज़ तय करने का कोई कदम नहीं लिया है तो साइन्टिफिक फोर्मूला की एब्सेन्स में अपने तरीके से ही बढाते हैं कम से कम कोई साइन्टिफिक फोर्मूला तो होना चाहिए। इन्डस्ट्रीज के लिए फोर्मूला आ गया है, आपको उसके अनुसार करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कमेटी है, उसका साइन्टिफिक बेस आ गया है पर राज्य कर्मचारी कहां जायें, उनके लिए तो कोई तय कीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों का भत्ता कर दिया जाये तो राज्य पर कितना भार बढ़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। आपने अपना प्रश्न महदूद किया है प्राइस इन्डेक्स से। केन्द्रीय सरकार का मंहगाई भत्ते वाला प्रश्न अलग है। ऑल इण्डिया के लेवल को मानने के लिए जो प्राइस इन्डेक्स है वह लेबरर्स के लिए है, उसको मानने का माननीय सदस्य कह रहे हैं। लेबरर्स को कई सुविधायें नहीं हैं जो राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं, हाउस अलाउन्स मिलता है, मेडिकल फेसेलिटीज़ मिलती हैं, जयपुर के कर्मचारियों को सिटी अलाउन्स मिलता है। यह सब लेबरर्स को नहीं मिलता। कई एमिनिटीज़, कई सहूलियतें, सुविधायें गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को ज्यादा है, जो लेबरर्स को नहीं हैं। तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसको कोई स्ट्रिक्टली बेस मान कर देना उचित भी नहीं है। फिर भी हम उसके आधार पर जितनी समानता लानी होती है, उतनी समानता लाते हैं। समान मान कर चलते हैं एड्हॉक बेसिस के लिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २०५।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी प्रश्न से कनेक्टेड है।

श्री भीखाभाई : इस प्रश्न में सब फैक्ट्स आ गये हैं, प्रश्न करने वाले भी नहीं हैं।

माथुर कमेटी की रिपोर्ट

२०५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूंछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माथुर कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है !

(२) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने १०० प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन की सिफारिश की है ?

(३) सरकार इस रिपोर्ट को कब तक प्रकाशित करेगी ?

(४) इस रिपोर्ट को लागू करने के प्रश्न पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(५) क्या सरकार इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेगी ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) शत प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन केवल कानूनी न्यूनतम वेतन के न्यूनतम स्तर पर ही देने की सिफारिश की गई है।

(३) प्रकाशित कर दी गई है।

(४) सरकार ने श्रम संघों व नियोजकों के विचार जानने के लिये श्रम सलाहकार मंडल की बैठक बुलाई है।

(५) जी हां, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, सदन की मेज पर रख दी गई है और कार्य-सलाहकार समिति के यहां विचाराधीन है कि ...

श्री अध्यक्ष - प्रश्न पूछिये न ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह लागू करने में देर क्यों हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसमें हरिजन कर्मचारी हैं म्युनिसिपैलिटी के; क्या उन पर भी यही आधार उसी तरीके से लागू होगा ?

श्री भीखाभाई : यह तो वर्क्स का सवाल है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। वे तमाम वर्क्स जिनकी कैटेगरी टर्म्स ऑफ फरेंस में आ जाती है वे सब इससे कवर-अप होते हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा सेंट परसेंट न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कल श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी, बहुत सी सिफारिशों पर विचार किया गया, श्रम सलाहकार बोर्ड ने बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार के पास भेजा है। जहां तक नीति का सवाल है नियोजक और एम्पलोयर्स के बीच में काफी बातचीत हुई; फिर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, इसलिये भी सरकार उस पर विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ उनको भी मौका दिया है, व्यू पोइन्ट तमाम के सुन लिये हैं। जरूरत पडी तो श्रम सलाहकार बोर्ड की मीटिंग बुलायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह रिपोर्ट सरकार के पास किस तरीके से पेश हुई और श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाने के अलावा क्या क्या कार्यवाही सरकार ने की और क्या क्या निर्णय लिये ?

श्री भीखाभाई : ३० सितम्बर, १९६४ को रिपोर्ट सरकार के पास पहुँची पर बिना श्रमिकों के प्रतिनिधियों के व्यूज़ को जाने, बिना प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे सलाह बिना लिये सरकार एक-तरफा निर्णय करती तो वही बोनस वाले मामले में कहा गया कि एक तरफा निर्णय लिया गया, दोनों वर्गों में असंतोष होता, लेबरर्स में भी असंतोष होता और पूंजीपति, एम्प्लोयर्स में भी होता। इस चीज को अवोइड करने के लिये सरकार ने उचित समझा कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लोगों को बुलाया जाय, दोनों की बात सुनी जाय और यह देखा जाय कि कौन कौन से पॉइन्ट हैं जिन पर फैसला हो सकता है अच्छी तरह से इन दोनों की सलाह के द्वारा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार की कौनसी मजबूरियां थीं कि ५ महीने इस रिपोर्ट को रोके रखा, ऐसी महत्वपूर्ण बैठक ५ महीने तक क्यों नहीं बुलाई जा सकी ? ३० सितम्बर १९६४ को रिपोर्ट पेश हो गई तो ५ महीने तक सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी, ऐसी कौनसी मजबूरियां सरकार के सामने थीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि बीच में एक बार मीटिंग बुलाने की थी लेकिन नहीं बुला सके। एक तारीख २८ को बुलाने का था लेकिन उस समय कोई आवश्यक कारण हो गया था इसलिए नहीं बुला सके। इसके साथ साथ हमारे सामने यह भी प्रश्न था कि कुछ श्रमिक नेताओं ने मिलकर यह कहा था कि पहले मिनिमम वेजेज़ के बारे में निर्णय ले लिया जाय और उसके बाद में यह निकालें तो उचित होगा। तो हमने उसको मान लिया और बाद में मीटिंग बुलायी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मिनिमम वेजेज़ की एडवाइज़री कमेटी ने सेप्टेम्बर में रिपोर्ट सब्मिट कर दी थी इस लिए प्रश्न नहीं उठता है कि सेपरेट लाते।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

क्या यह सही हैं कि एडवाइज़री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर में सब्मिट कर दी थी ?

श्री भीखाभाई : मैं यह कह रहा हूं कि यह रिपोर्ट भी हमारे सामने थी और उन रिपोर्टों पर भी विचार नहीं कर सके थे, इसलिए हमने यह सोचा कि माथुर कमेटी की रिपोर्ट मांग लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एडवाइज़री कमेटी ने सितम्बर में रिपोर्ट कर दी और माथुर कमेटी ने भी सितम्बर में कर दी और दोनों रिपोर्ट्स आपके पास आ जायं, फिर भी पांच महीने तक सलाहकार बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाय, यह क्या इन्डीकेट करता है ?

श्री भीखाभाई : क्या इन्डीकेट करता है, आप ही बतायें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप मालिकों को बचाना चाहते हैं। हन्ड्रेड परसेन्ट देना जरूरी है, वह आप श्रमिकों को नहीं देना चाहते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह इन्डीकेट करता है कि मिनिमम वेजेज़ सन् ६१ के अन्दर ४५) रु० थे और आप नहीं चाहते हैं कि उनको मिनिमम वेजेज़ ६०) रु० उन कमेटी की रिकमन्डेशन्स के बावजूद भी सेन्ट परसेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन के रूप में दिया जाय यह इन्डीकेट करता है कि सरकार को अपने पास से अधिक पैसा देना पड़ता है। मिनिमम वेजेज़ सबसिस्टेन्स आपकी जिम्मेदारी है। अहसान नहीं हैं आपका। आप इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्डस्ट्रीज़ में मिनिमम वेजेज ६०) से न्यूट्रलाइज़ेशन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने इसको कानूनी रूप क्यों नहीं दिया है ?

श्री भीखाभाई : जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

पटवारियों को अलाउन्स

२०६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पटेलाई खत्म करने के बाद पटवारियों के बढ़े हुए काम के लिए पटवारियों को १५) रुपये माहवार एलाउन्स देने का सरकार ने तय किया था ? यदि हां, तो वह कब से दिया गया ?

(२) क्या यह भी सच है कि वसूली की सारी जिम्मेदारी पटवारियों पर होने के कारण उनकी जमानतें ली गई हैं ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों की और किस रूप में ली गई हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। यह अलाउन्स पटवारियान को भू-राजस्व की वसूली का कार्य करने के कारण १५ अक्टूबर, १९६३ से दिया जा रहा है।

Page No 14

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी हां। पटवारियों से ५०००) रुपये की जमानत के फिडेलिटी गारन्टी प्रपोजल फार्म के रूप में १५ अक्टूबर, सन् १९६३ से ली गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह अलाउन्स पटवारियों को दिया गया है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हर जिले के अधिकांश पटवारियों के इस प्रकार के एरियर्स पड़े हुए हैं और भुगतान नही किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल उन्हीं पटवारियों को रकम नहीं दी गई होगी जिन्होंने फिडेलिटी बोन्ड नहीं भरे हैं। १५) की बात कही गई थी। फिडेलिटी बोंड भर देने पर जिस रोज भर देंगे उस रोज से नई तनख्वाह तो १५ अक्टूबर से ही मिलेगी। फिडेलिटी बोंड भरना जरूरी है। जिन्होंने भर दिये हैं उन सबको मिल गयी है। और जिन्होंने नहीं भरे हैं उनको भी भर देने पर उस तारीख से ही मिल जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : १५)रु. अलाउन्स देने के साथ इस प्रकार की शर्त नहीं थी और नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शर्त ही नहीं, रूल्स हैं उनमें भी एन्टर्ड हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

नगरपालिका कर्मचारियों के निम्नतम वेतन दरों के सम्बन्ध में बनाई गई समिति की रिपोर्ट

२०७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका कर्मचारियों के निम्नतम वेतन दरों को रिव्यू करने के लिये जो समिति बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(२) यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका कर्मचारियों को समिति द्वारा प्रस्तावित वेतन दरें दिये जाने की आज्ञा जारी कर दी है ?

(३) यदि भाग (२) का उत्तर 'ना' में है तो श्रम विभाग उन प्रस्तावित वेतन दरों को लागू करवाने में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(३) जिस समय तक सरकार निर्णय नहीं दे देती है उस समय तक वेतन दरों को लागू करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सब्मिट कर दी थी ?

श्री भीखाभाई : २४. १२. ६३ को।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लीजिये, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे थे कि मिनिमम वेजेज़ कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है। दूसरी इन्डस्ट्रीज़ की सितम्बर में आ गई थी और इसकी दिसम्बर ६३ में आ गई थी।

श्री अध्यक्ष : उस पर निर्णय नहीं लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस पर निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि श्रम मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और स्वायत्त शासन विभाग इस पर अन्तिम निर्णय नहीं ले पाया है।

श्री भीखाभाई : किसे स्वीकार किया है, यह डिटेल्स की बात मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि बोर्ड ने इस पर निर्णय लिया है और वह सरकार के पास आया है। इस पर सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट में विचार किया जावेगा। यह प्रश्न सारे राजस्थान के मजदूरों का है और फाइनेन्शियल बर्डन और म्युनिसिपैलिटीज़ की क्या क्या केपेसिटी है यह सब ध्यान में रख कर विचार किया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि आपने यह अपना निर्णय ले लिया है कि लोकल सेल्फ इन्स्टीट्यूट के प्रोटेस्ट करने पर फाइनेन्स का बर्डन हम नहीं उठायेंगे ?

श्री भीखाभाई : मैं तो नहीं जानता। न जाने माननीय सदस्य को किस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई है ? भगवान् को तो वे मानते नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मेरी जानकारी सही है या गलत है ?

श्री भीखाभाई : मैं तो भगवान को ही मानता हूं, आप तो भगवान् में विश्वास नहीं करते, इसलिए यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो करोड़ जनता के भगवान् आप ही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ६३ में रिपोर्ट आ गई। उसके बावजूद भी अब तक भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया और दूसरा आप यह कहते हैं कि उनकी ओर से प्रोटेस्ट नहीं हुआ; उसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : यह जल्दी लिया जावेगा, यह मैं कह सकता हूं। यही एश्यो-रेन्स मैं दे सकता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक सप्ली-मेन्टरी मेरी यह है कि इसमें फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या है ? म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं ये अपने आप लोकल बोडीज हैं और उनकी फाइनेन्सेज़ इन्डिपेन्डेन्ट हैं। स्टेट गवर्नमेन्ट एक लिमिट पर प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी को

Page No 16

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पर केपिटा ५० नये पैसे की ग्रान्ट देती है। इसमें राज्य सरकार के फाइनेन्सेज़ पर क्या इम्प्लीकेशन्स होते हैं, यह माननीय मन्त्री जी बता दें ?

श्री भीखाभाई : सब ही माननीय सदस्यें जानते हैं कि कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत अच्छी है और कुछ की हालत किस प्रकार की है और किस प्रकार वे अपना खर्चा चलाती हैं। यह सब माननीय सदस्य जानते हैं और उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला जल्दी ही करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिनिमम वेजेज़ तो सब्सिस्टेन्स है। आखिर आप कर्मचारियों को सब्सिस्टेन्स भी नहीं देना चाहते ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, इससे साफ स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा म्युनिसिपल कर्मचारियों के साथ एक जबरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है। दिसम्बर ६३ को रिपोर्ट दे दी गई। २४ फरवरी को स्पेशल नोटिस कर दिया गया। और राज्यपाल ने भी कह दिया दरें निश्चित कर दीं। म्युनिसिपल कर्मचारियों की अभी तक नहीं की जा रही है और यह बिल्कुल सही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूट प्राइवेट इन्स्टीट्यूट है कि वह बढ़ी हुई दरों का विरोध कर रहे हैं और इसलिए राज्य सरकार संशोधित दरें घोषित नहीं करती है। इसलिए हम श्रम मन्त्रीजी से यह साफ जानना चाहेंगे कि हमको वे स्पेसिफिक एश्योरेंन्स दें कि म्युनिसिपल कर्मचारियों की घोषित दरें कब तक घोषित कर दी जावेंगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि शीघ्र ही कर दी जावेंगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनकी जल्दी का कोई अन्त नहीं है। ये कहते हैं कि अभी तक रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक कॉन्क्रीट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : भयानक से भयानक मंहगाई हो गई, फिर भी नहीं कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्टोन क्राशिंग का कर दिया, ट्रान्सपोर्ट का कर दिया, पी०डब्ल्यू०डी०का कर दिया, जिनकी रिपोर्ट बाद में आई उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका फिर भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया यह दुर्लक्ष्यपूर्ण व्यवहार मन्त्री महोदय का क्यों ? फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स भी कुछ नहीं है। फिर भी क्यों नहीं करते हैं ? यह मन्त्री महोदय बतायें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई स्पेसिफिक आश्वासन तो दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन तो मन्त्री महोदय ने दिया है कि जल्दी करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गरीबों का सवाल है, सरकार ने कहा है कि जो लोग पीछे हैं हम उनको ऊंचा लेना चाहते हैं।

श्री भीखाभाई : आपकी भावना की कद्र करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप दबिए नहीं। आप स्वायत्त शासन संस्थाओं के चेयरमेन से दबते हैं। सरकार का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कर्मचारियों के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। १५ महीने तक उनकी महगाई और मिनिमम वेज डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको तो कहने दीजिए।

श्री भीखाभाई : मैंने कह दिया फिर भी कहता हूँ कि मैंने आपकी एन्क्ज़ाइटी को नोट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया कि वे माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हैं और बहुत जल्दी निर्णय कर देगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां परनाला जो है उसको आगे सरकाओ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

फोरेस्ट डिवीज़नों की संख्या और डी० एफ० ओ० के पद

२०८. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में कुल कितने फोरेस्ट डिवीज़न्स हैं और उनका अलग अलग क्षेत्रफल, वार्षिक आमदनी कितनी २ है ?

(२) राजस्थान में कितने व्यक्ति डी० एफ० ओ० की ट्रेनिग प्राप्त किये हुए हैं और कितने ट्रेनिग में हैं और अगले वर्षो में कितने और व्यक्तियों को ट्रेनिग के लिए भेजे जाने की योजना है ?

(३) क्या यह सही है कि अब तक ट्रेण्ड व ट्रेनिग पा रहे व्यक्तियों की संख्या ही इतनी हो चुकी हैं कि उन्हें वर्षों तक डी० एफ० ओ० के पद पर नहीं लगाया जा सकेगा ? यदि हां, तो सरकार ने इतने व्यक्तियों को क्यों ट्रेन्ड करवाया है ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) स्टेटमेंट संलग्न हैं।

(२) डी० एफ० ओ० की कोई ट्रेनिग नहीं होती है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ड्स को प्ले अबाउट करके सवाल को डिस्पोज़ ऑफ किया गया है। मेरा इन्टेन्शन साफ है कि जो फोरेस्ट डिवीज़न्स १३ हैं और जो सीनियर फोरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद कितनी है।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २०९

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन।

पंचायत समिति धौलपुर के सदस्य को ऋण

२१०, श्री रामकिशन (बैर) : [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] :—

(१) क्या धौलपुर पंचायत समिति के सदस्य श्री नन्दलाल ने समिति से कोई कर्ज ले रखा है ? यदि हां, तो कब से किस किस कार्य के लिए, कितना २ और कितने वर्षों के लिए ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त सदस्य को ट्रैक्टर के लिए भी कोई कर्ज दिया गया था और वसूली नहीं होने पर ट्रैक्टर कुर्क कर लिया गया था ? यदि हां, तो यह कर्ज कितना था, कितने वर्ष के लिए था और वह कुर्क किया गया ट्रैक्टर अब कहां है ?

(३) क्या समिति के उक्त सदस्य से समिनि के कर्ज की वसूली हो गई है ? यदि नहीं, तो कुर्क किया गया ट्रैक्टर नीलाम क्यों नहीं किया गया ?

(४) क्या यह सच है कि समिति ने विना वसूली के ही ट्रैक्टर छोड़ दिया था और अब वह ट्रैक्टर श्री नन्दलाल के पास भी नहीं है, उन्होंने भी उसे बेच दिया है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी हां। ८७९. ३७ पैसे का बीज दिनांक २४-११-६१ को अल्पकालीन ऋण के रूप में दिया गया था।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। कोई ट्रैक्टर कुर्क ही नहीं किया गया तो उसके नीलाम किये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

प्रधानाध्यापकों को मासिक भत्ता

२११. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों को १०) रु० मासिक भत्ता देने की सिफारिश शिक्षा संचालक ने सन् १९६२ में सरकार के समक्ष भेजी थी ? अगर हां, तो सरकार ने इस प्रश्न पर क्या निर्णय लिया है ?

(२) क्या यह सच है कि सन् १९६१ से अब तक जो शिक्षकों को भत्ता मिला उसको भी सरकार वापिस रिफण्ड करवा रही है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार इस निर्णय को शीघ्र वापिस लेकर प्रधानाध्यापकों का भत्ता वापिस नहीं लेने पर विचार करेगी ?

(३) क्या इस प्रश्न पर सरकार कोई नियम बनाने जा रही है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नही, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(२) १९६१ में जो पे स्केल्स रिवाइज्ड किये गये थे उसमें यह भत्ता न तो तनख्वाह

Page No 19

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

में मिलाया गया और न ही खतम किया गया इसलिये यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(३) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कब से विचाराधीन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ लम्बे अर्से से विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कितने साल से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९६२ से विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कब तक विचाराधीन रहेगा ? यह छोटे कर्मचारियों का मामला है। बहुत सी जगह तो ऐसे कारणों से आंदोलन करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुत देर तक विचाराधीन नही रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : विचाराधीन का जो फॉर्मुला है, अध्यक्ष महोदय, कृपया सदन को उससे मुक्त करवाएं।

श्री अध्यक्ष : आधी कार्यवाही सदन की खतम हो जायगी।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : गम्भीर बात है और उपमन्त्री महोदय हंस कर जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उनके दिल को देखिए, चेहरे को क्या देखते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने इतने साल के सिलसिले में क्या क्या विचार किया ? सरकार इसमें किस स्थिति पर पहुंची ? क्या दिक्कत हैं ? आखिर कोई न कोई चर्चा हुई होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सम्बन्ध में जो पत्र था, वह मिस्प्लेस हो गया था; वहां इसमें रोड़ा आ गया, नहीं तो विचाराधीन नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : अब तो मिल गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

प्रश्न संख्या २१२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थितकृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१३

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत।

पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा सरकारी सहायता का दुरुपयोग

२१४. **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 20

(१) क्या यह सच है कि जिला जोधपुर में पंचायत समिति बिलाड़ा में सरकार द्वारा दिए गए बुल प्रीमियम व सांडों व मींढो को पालने हेतु दी गई सहायता का दुरुपयोग किया गया है ?

(२) पंचायत समिति बिलाड़ा को १९५९ से १९६३ तक उक्त मद में कितनी कितनी राशि सरकार से स्वीकृत की गई व पंचायत समिति ने कब कब अपनी मीटिंग में उक्त राशि को किन किन को अलॉट किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) प्रश्न के भाग (२) में स्वीकृत राशि सम्बन्धित पंचायतों को व व्यक्तियों को कब कब चुकाई गई ?

पचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई): (१) जी नहीं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) किसी पंचायत या व्यक्ति विशेष की सहायता नहीं दी गई।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : सूची में आपने बताया है कि सन् १९६१-६२ में इतने रुपये खर्च हो गए। कैसे खर्च हो गए ?

श्री भीखाभाई : किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। एनिमल हस्बेंडरी की स्कीम्स हैं। उस स्कीम के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र पर खर्च हुआ; जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल ब्रीड, उसमें आर्टीफीशियली इन्सेमीनेशन और बुल प्रीमियम का और खर्च किया गया। मेरी सूचना के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या २१५

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१६

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

उदयपुर कॉटन मिल्स के व्यवस्थापकों एवं मजदूरों के बीच संघर्ष

२१७. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ३० जून १९६२ को स्थानीय उदयपुर कॉटन मिल्स के व्यवस्थापकों तथा मजदूरों के बीच एक संघर्ष के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों ने एक मजदूर श्री नूरमोहम्मद की हत्या कर दी और कई मजदूरों को घायल कर दिया ?

(ख) यह संघर्ष किस कारण हुआ ?

(ग) क्या इस संघर्ष की सूचना श्रम विभाग को इस घटना से पूर्व मिल चुकी

Page No 21

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या यह संघर्ष अब भी है ? यदि हां, तो इसके निपटारे के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं। संघर्ष मजदूरों के दो दलों के बीच हुआ था न कि व्यवस्थापकों तथा मजदूरों के बीच जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति (नूर मोहम्मद) मारा गया और कुछ मजदूर घायल हुए थे।

(ख) संघर्ष श्रमिकों के दलों में आपसी झगड़े के कारण हुआ था।

(ग) जी नहीं, अतः पूर्व कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, अब कोई संघर्ष नहीं है तथा श्रमिकों में आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। अतः संघर्ष को निपटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस मौत के संबंध में श्रम विभाग ने कोई जांच की ?

श्री भीखाभाई : यह पुलिस विभाग का काम है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने नहीं की ? क्या यह श्रम विभाग के लिए आवश्यक नहीं था।

श्री भीखाभाई : आपसी मजदूरों के झगड़े के लिए आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यवस्थापकों और श्रमिकों के बीच यह झगड़ा न होकर श्रमिकों के बीच में था ?

श्री भीखाभाई : मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मैं भी जानता हूं कि आपका कहना सही नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना आपके पास नहीं जिस आधार पर आप कहते हैं कि व्यवस्थापकों और श्रमिकों के बीच झगड़ा नहीं था।

श्री भीखाभाई : लेबर डिपार्टमेंट की इन्फोर्मेशन नहीं है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, वहां पर जो पुलिस द्वारा कोर्ट में केस चालान किया गया जिसका सैशन्स कोर्ट में ट्रायल हुआ है उसमें इतने आदमी कन्विक्ट हुए हैं :

16 Persons had been committed for trial in the sessions court. The following ten persons have been acquitted:-

1. Shri Amar Singh.
2. Shri Ramji lal.
3. Shri Mahendra Singh.
4. Shri Harpal Singh.
5. Shri Nepal Singh.
6. Shri Chatar Singh.

Page No 22

(श्री भीखाभाई)

7. Shri Ram Sewak.
8. Shri Jitendra Singh.
9. Shri Gopal Singh.
10. Shri Naval Singh.

The following six accused have been convicted as under:-

1. Shri Shivdan, life imprisonment.

2. Shri Shivram, 4 years R. I. and fine of Rs. 100. In default of payment of fine, one year's more R. I.

3. Shri Madan Mohan, six months. R. I. and fine of Rs. 50/- In default of fine, one month's further R. I.

4. Shri Mangilal, one month's R. I. aud fine of Rs, 50. In default of fine, further seven days' R. I.

5. Shri Sala singh, same as Shri Mangilal.

6. Shri Amar Singh. one month's R. I. and fine of Rs. 50. In default of fine further R. I. for seven days.

श्री भैरोंसिंह : यह जरूरी नहीं है।

श्री भीखभाई : इससे साफ दीखता है, यह क्रिमिनल केस है।

श्री भैरोंसिंह : श्रमिकों के बीच किस बात का झगड़ा था, इस बात की तो जानकारी की होगी।

श्री भीखाभाई : आपस का था यह पुलिस का काम था, क्या कारण थे......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि यह झगड़ा उस दिन हुआ क्योंकि वहां श्रमिकों की दो यूनियन्स हैं और एक यूनियन ने हड़ताल कर रखी थी तो दूसरी यूनियन के लोगों ने झगड़ा किया और उस झगड़े में यह आदमी मारा गया और मुख्य मन्त्री वहां पर मौजूद थे ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। आपस का झगड़ा था। लेबर डिपार्टमेंट उसमें नहीं आ सकता था जब गेट के बाहर झगड़ा होता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या एक यूनियन ने हड़ताल कर रखी थी और दूसरी यूनियन ने हमला किया जिससे यह मृत्यु हुई, तो लेबर डिपार्टमेंट के पास यह मामला नहीं आया ?

श्री भीखाभाई : डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लेबर डिपार्टमेंट के पास यह मामला होना चाहिए।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : झगड़े की सूचना दी जा चुकी थी लेबर डिपार्टमेंट को, तो फिर उसने क्या कार्यवाही की ?

Page No 23

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): श्रम विभाग विश्राम कर रहा है।

श्री भीखाभाई : एन० बी० सी० के अन्दर भी इस प्रकार का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खड़ा हुआ, उसके बाद में जब लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल आया तो श्रम विभाग कन्सीलिएशन भी बन्द कर देता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, यह साफ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह झगड़ा हुआ एक यूनियन के लोग स्ट्राइक पर थे। उनकी स्ट्राइक को तोड़ने के लिये जो मजदूर अन्दर काम कर रहे थे उन पर हमला किया गया। उस हमले के अन्दर वह मारा गया; अगर यह सही है तो कैसे लेबर डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : झगड़े की सूचना पूर्व दे दी गई थी; सरकार ने क्या एक्शन लिया?

प्रश्न संख्या २१८

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१६

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का अलॉटमेन्ट

२२०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील लूणकरणसर में सन् ६२ से राजस्थान नहर के लिफ्ट एरियाज़ में आरजी काश्त पर भूमि देना कमिश्नर, राजस्थान नहर उपनिवेशन, बीकानेर ने बन्द कर रखा है?

(२) क्या यह सही है कि भूमि का अलॉटमेन्ट बन्द होने से भूमिहीन काश्तकारों को काश्त के लिये भूमि नहीं मिलने से इस क्षेत्र के काश्तकारों में भयंकर असन्तोष है?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्या के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री के लूणकरणसर तथा कोलायत के दौरे के समय इलाके की सुविधाओं के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया; अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया हैं।

श्री भीमसेन : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा, 'जी नहीं'; तो क्या वहां काश्त को जमीन अलॉट की जाती है?

Page No 24

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो जमीन अलॉट की है उसको रिन्यू किया जाता है फोर थ्री ईयर्स। नया अलॉटमेन्ट जब तक राजस्थान की कोलॉनाइजेशन पॉलिसी बनती नहीं तब तक अलॉटमेन्ट नहीं किया जा रहा है।

श्री भीमसेन : कोलोनाइजेशन की पॉलिसी कब तक तय हो जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में कई बार कह चुका हूं। सारी कार्यवाही केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में चल रही है। हम सोच रहे हैं जल्दी निर्णय हो जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आप पहले कह चुके हैं जो भूमिहीन हैं उनको जमीन दते है, लैन्डलेस को जमीन देते हैं। यह जवाब मन्त्रीजी दे चुके हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने विधान सभा में जवाब दिया है। वह इस पोइन्ट पर जहां पर पानी आगया है केनाल का वहां जमीन बिना सिंचित नहीं रहे उस जमीन को एक साल के लिये अलॉटमेन्ट किया गया है, सूरतगढ़ के आसपास वाले हिस्से में। वहां के लिये मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री भीमसेन : जब तक कोलोनाइजेशन के रूल्स नहीं बनते तब तक कोलोनाइजेशन कन्डीशन के तहत लैन्ड अलॉट कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन कोलोनाइजेशन पॉलिसी फाइनल होने के बाद क्या तरीका रहता है, उस आधार पर चलना होगा। यदि एक बार अलॉट कर देते हैं तो जब यह फाइनलाइज होकर तस्वीर आयगी उसमें बाधा पहुंच सकती है। इसलिये जब तक फाइनलाइज नहीं होती तब तक ऐसी कोई चीज करना नहीं चाहते जिससे आगे जाकर अड़चन पैदा हो।

श्री भीमसेन : जब आपको लैन्डलेस को जमीन देनी हैं तो वहां के काश्तकारों को मौजूदा रूल्स के तहत दे सकते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिंचित क्षेत्र में एक साल के लिये दी जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दी तो जा सकती है; एक साल के लिये दी थी क्योंकि राजस्थान केनाल में गत साल पानी आ गया था, वह जमीन पड़ती पड़ी हुई थी। उस जमीन को एक साल के लिये अलॉट किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बारानी क्षेत्र में एक साल के लिये जमीन अलॉट करें, इसमें सरकार को क्या परेशानी हो सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी प्रश्न पैदा नहीं होता। अप्रेल जल्दी ही आने वाला है। इस बीच में सारा मामला तय होने वाला है; इसलिये अभी कोई कमिटमेन्ट करना उचित नहीं होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो फिर आपसे एक अप्रेल के बाद बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया ।

नम्बरदारी

२२१. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अब नम्बरदारी के बजाय जो पटवारी तहसील में भू-राजस्व जमा कराने जाता है उसे मिलने वाले दैनिक व्यय और यात्रा व्यय पर जो खर्चा आता है उसमें और नम्बरदार को जो अलाउन्स मिला करता है उसमें अधिक अन्तर नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि भू-राजस्व की वसूली के अतिरिक्त भी नम्बरदार राज्य सरकार के विकास कार्यों व अन्य विभागों के कार्यों में सहयोग देता था ?

(३) क्या यह भी सही है कि नम्बरदारों के न रहने से अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी अपने कार्यों में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार नम्बरदारी समाप्त करने के प्रश्न पर पुनः विचार करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) यात्रा व्यय और दैनिक भत्ता जो पटवारियों को प्राप्त होता है उसकी रकम पिचोतरा की तरह निश्चित नहीं है । पटवारियों द्वारा रकम जमा कराने की प्रणाली अक्टूबर, १९६३ से लागू की गई है और अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह रकम हर साल कितनी देनी होगी ।

(२) जी हां, यह सही है ।

(३) नहीं, ऐसी कोई कठिनाइयां अनुभव नहीं हो रही हैं ।

(४) अभी तक सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : नम्बरदारी प्रथा समाप्त करने के बाद पटवारी लोग भू-राजस्व वसूल करते हैं। लेकिन अभी भी नम्बरदारों से काम ले रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि नम्बरदारी फिर मिलेगी इसलिए मदद दो, अभी भी वे काम कर रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई सरकार का आदेश नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : नम्बरदारी के काम के एवज में पटवारी नियुक्त किया गया है इस काम के उपलक्ष में विशेष भत्ता देते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, १५ रु० पटवारी को १५ अक्टूबर, १९६३ से स्वीकार किया गया है । उनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम करना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

ग्राम बरगना में क्वार्टर के लिये स्वीकृत धनराशि

२२२. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 26

(श्री श्रवणलाल)

(१) क्या यह सच है कि ग्राम बर-गना तहसील हिन्डौन में एक लेडी टीचर के क्वार्टर के लिये २५०० रु० मन्जूर हुए है ?

(२) यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सच है कि वह क्वार्टर अभी तक नहीं बना है ?

(४) यदि हां, तो वह रकम किनके पास रही है और इस समय कहां है तथा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) सन् १६६३ में।

(३) निर्माण कार्य चालू है।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्रवणलाल : यह कार्य कब से चालू है ?

श्री भीखाभाई : पहली किश्त ३०-३–६४ को दी गई व ११–१०–६४ को दूसरी किश्त दी गई।

श्री श्रवणलाल : मेरा प्रश्न यह था, रकम किसके पास रही है और कितने समय तक रही है, यह आपने नहीं बताया ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य भी पंचायत समिति में हैं, वे वहां से पता लगा सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : मेरा निवेदन है कि काम चालू ही नहीं हुआ है। वह पैसा एक आदमी के पास में रखा हुआ था, मैं आपको चैलेन्ज देता हूं यदि आप बतादें कि इतना काम हुआ है तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं या आप तैयार रहें ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो यह बता दीजिये काम कब से चालू हुआ है ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपके सामने सारी स्थिति रख दी है निर्माण कार्य चालू है। प्रश्न आपने किया, मैंने जवाब दे दिया। इसके बाद भी में कह दूं पंचायत की जिम्मेदारी है १२५० रुपया ३०-३–६४ को दिया उसके बाद १५०० रुपया फिर दिया गया। मेरे पास जानकारी है उसके अनु-सार काम किया गया है। आप भी पंचायत समिति के सदस्य हैं और जानकारी आप वहां से कर सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : पंचायत के प्रधान के पास जमा थे, इसलिये प्रधान पक्ष करतां है जिसके बारे में मैंने पंचायत विभाग को भी लिखा है ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अब भी प्रधान है क्या ?

श्री श्रवणलाल : अब भी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आस-पुर) : प्रश्न का उत्तर बिल्कुल विपरीत है, अगर काम नहीं हुआ तो आपका कर्त्तव्य है कि इसकी छानबीन करवा कर काम को

Page No 27

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

शुरू करवाया जाय। इस तरह से टालाटोली करके असन्तोषजनक उत्तर देकर यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायत समिति से जानकारी करें। सदस्य कहते हैं कि वहां कुछ भी काम नहीं हुआ, इसके बाद भी आप तव्वज्जोह नहीं देते, बिल्कुल बहरे हैं।

श्री भीखाभाई : मैं बहरा नहीं हूँ, बहुत तेज सुनता हूं। मैंने अपने जवाब में सब बता दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : कान में फिल्टर लगा रखा है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री भीखाभाई : जो उत्तर विकास अधिकारी की तरफ से तैयार होकर आया है उसमें बताया गया है कि काम प्रगति पर है। इतने रुपये का हो चुका है, इसके बावजूद भी अगर सदस्य का कहना है कि काम नहीं हुआ तो वे मुझे लिखित में दे दें। मैंने एश्योर किया है कि मैं किसी सहायक अभियन्ता से जांच करा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : काम बहुत देर से शुरू हुआ और काफी रुपया किसी व्यक्ति ने अपने पास रख लिया, यह कसे है ?

श्री भीखाभाई : रोकड़ में जमा की गई थी रकम। और काम अब प्रोग्रेस पर हैं।

श्री अध्यक्ष : बेंक में जमा क्यों नहीं किया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बैंक में भी है और जेब में भी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हांडा प्लीज !

(विराम)

रोकड़ में रुपया था तो नियमानुसार वह बैंक में होना चाहिए था। घर में क्यों रखा ? इसके बारे में और जानकारी कर लें।

श्री भीखाभाई : अगर कोई इर्रेगुलेरिटी की हो तो जांच करवा लेंगे।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह तो बता दिया कि प्रश्न पैदा नहीं होता और वह रकम एक आदमी की जेब में रखी हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न उठ गया है।

श्री गोविन्द सहाय : अध्यक्ष महोदय, कई मामलों में मन्त्री महोदय, सदन में गलत सूचनाएं देते हैं तो इसके बारे में क्या एक्शन आप द्वारा लिया जावेगा। पहले कहते हैं, काम प्रगति पर है, काम शुरू नहीं हुआ अब दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है कौन ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल (हन्डौन-सु) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और ले लिया जावे। बहुत इम्पोर्टेन्ट है। ४२६८८ बकाया है सरकार की ओर वह २२६ नम्बर का है।

श्री अध्यक्ष : २२६ ।

पंचायत समिति हिन्डौन के सरपंचों पर खाद की बकाया

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हिण्डौन पंचायत समिति के किस किस सरपंच में १६५६ से ६४ तक की अवधि में ली गई खाद का कितना कितना रुपया किस किस सन् का बकाया है ?

(२) रुपए की वसूली क्यों नहीं हुई है और वसूली करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) वसूली बराबर हो रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री श्रवणलाल : सूची के बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक को बताना चाहता हूं कि एक एक सरपंच पर दस दस हजार की बकाया है । कई तो ऐसे हैं जिनमें पांच पांच और चार-चार हजार तक बकाया है और ५६ से चली आ रही हैं । ६४ तक चली आ रही है और सरकार किसी भी प्रकार की वसूली का प्रयत्न नहीं कर रही । क्योंकि उनको वोट लेने हैं ।

कुछ ऐसे भी तथ्य हैं कि वसूली करने में टालमटोल की जाती है । ऐसे एक सरपंच को दो दो जगह थोड़ी थोड़ी रकम करके बताया है । इसमें बहुत विलम्ब किया जाता है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : इसमें बहुत घोटाला है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री श्रवणलाल : एक एक सरपंच अपने जेब में दस दस हजार की रकम रक्खे हुए हैं ।

श्री भीखाभाई : दस हजार किसी की जेब में नहीं है इस सूची में । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च ६३-६४ में नोटिस जारी किए गए वसूली के और २०७७७) रुपया वसूल भी किया जा चुका है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं सरपंच अरनिए के पास में १०५४८ की रकम जमा रखी हुई है ।

श्री भीखाभाई : एक सरपंच के पास में दस हजार नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : लिस्ट में है मैं बताता हूं । आपने दो-तीन जगह रकम को तोड़ तोड़कर लिखा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दस हजार की रकम को तीन जगह ब्रेकअप किया है । २१,०१०) २,८८०) और ५,५०८) और वह अरनिया :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का सरपंच है नम्बर १६, १७ और २२ पर है। आप देख लीजिए । इन तीनों की टोटल १०,५४८) आती है।

श्री अध्यक्ष : वसूली करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री भीखाभाई : रेवेन्यू के मार्फत पंचायत समिति करती है। हमने ६३–६४ में वसूली की है।

श्री अध्यक्ष : पर बाद में भी तो बकाया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वसूली की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री भीखाभाई : पंचायत समिति की ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर यह न करे तो ?

श्री भीखाभाई : पी. डी. आर. के तहत तहसीलदार करता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे कितने मामले और हैं जो तहसील में भेज दिये गये हैं?

श्री भीखाभाई : यह तो देख कर बता सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कृपया ध्यान दें कि सरपंच जो स्वयं काफी जिम्मेदार माने जाते हैं, किसी दूसरे की बात होती तो और बात थी, पर सरपंच जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के पास इतना रुपया पड़ा रहे और उनकी वसूली न हो तो इस ओर मन्त्री महोदय कृपया ध्यान दें।

प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

वृद्धों को पैन्शन

२०६. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या विगत बजट सैशन में वित्त मंत्री ने वृद्धों को पैन्शन देने की घोषणा की थी जिनकी उम्र ६५ साल से ऊपर या इतनी ही हो ?

(२) क्या विभाग द्वारा इसके नियम तैयार कर लिये गये हैं ? अगर हां तो इनको कब लागू किया जावेगा ?

उत्तर

(१) हां।

(२) वृद्धावस्था पेन्शन नियम १–१०–६४ से लागू किये जा चुके हैं।

सीमेन्ट फैक्टरी लाखेरी के मजदूरों को सुविधाएं

२१२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(१) क्या लाखेरी सीमेन्ट फैक्टरी द्वारा मजदूरों की सुविधा के लिए क्वार्टर्स, पानी, बिजली, स्नानघर आदि की व्यवस्था की हुई है ?

(२) यदि हां, तो गरमपुरा व नयापुरा में रहने वाले मजदूरों को क्या क्या और कितनी कितनी सुविधायें दी जा रही है ?

(३) क्या फैक्टरी इन्सपैक्टरों ने इस उद्योग का कभी निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कुल कितनी बार, कौन कौन अधिकारी ३ वर्षों में वहां पहुँचे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि यह पुराना उद्योग होने के कारण यहां एक्सीडेन्ट ज्यादा होते हैं ?

(५) सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी के क्वेरी विभाग में ५ वर्षों में कुल कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई और कितने अपंग हुए ?

उत्तर

(१) जी हां,

(२) गरमपुरा एवं नयापुरा क्षेत्र में लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स द्वारा मजदूरों को ४२१ क्वाटर्स दिये गये हैं तथा कुल क्वार्टर्स की संख्या १०७५ है इन मजदूरों को पानी, बिजली, स्नानघर एवं सफाई आदि की व्यवस्था प्रबन्धक की ओर से निःशुल्क दी जा रही है।

(३) जी हां, कई बार । फैक्टरी इन्सपेक्टर कोटा ने पिछले तीन वर्षों में इस उद्योग का १७ बार निरीक्षण किया है।

(४) यह सही नहीं है।

(५) यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के समाज कल्याण बोर्ड के केन्द्रों पर व्यय

२१३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) में महिला समाज कल्याण बोर्ड में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ? उनके नाम, पद, वेतन श्रृंखला एवं कार्य की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) इस शाखा में कितने सेन्टर हैं और किन किन सेन्टरों में किस किस तारीख को कितना कितना द्रव्य खर्च करके सरकारी मकान बनाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) इस संस्था के चालू होने से अब तक वहां के सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है ? मय आंकड़ों के सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित समाज कल्याण योजना गोविन्दगढ़ जिला अलवर में

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

कुल १६ कर्मचारी कार्य करते हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इस शाला में ८ केन्द्र हैं। ५ केन्द्रों के भवन निर्माणार्थ धनराशि दी गई है जिसमें से तीन भवन पूरे बन गये हैं। और २ बन रहे हैं। शेष तीन के लिये धन-राशि नहीं दी गई।

(३) समाज कल्याण योजना द्वारा चलाई जा रही प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भारी चेतना आई है। जनता में चली आ रही पर्दा प्रथा, महिला शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया है तथा कई महिलाओं ने पर्दा छोड़ा है तथा अनेक अशिक्षित महिलाओं ने अक्षर ज्ञान से लेकर साधारण पत्र-व्यवहार तक शिक्षा ग्रहण की है और जहां ये अब तक निरक्षर थीं अब अपना नाम आदि लिख लेती हैं तथा साधारण पत्र लिख पढ़ सकती हैं। सन् १६५६-६० से ६३-६४ तक के आंकडों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुए की मरम्मत के लिए स्वीकृत धनराशि, पंचायत समिति, कुचामन

२१५. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पृथ्वीराजजी का बास (श्यामगढ़) के कुए की मरम्मत हेतु पंचायत समिति कुचामन द्वारा सन् ६० में एक हजार रुपये की मंजूरी दी गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मरम्मत सम्पूर्ण हो चुकने व मुकम्मिल हिसाब पेश होने पर भी आज तक वर्तमान सरपंच द्वारा दूसरी किश्त ग्रामवासियों को नहीं दी गई है ?

(३) क्या उक्त संबंध में ग्रामवासियों द्वारा जिलाधीश नागौर एवं विकास अधिकारी को शिकायत करने पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सरपंच द्वारा दूसरी किश्त की रकम नहीं उठाई गई हैं।

(३) आवश्यक कार्यवाही की गई है।

बीकानेर ट्रेज़री के कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले

२१६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर के ट्रेज़री कार्यालय में कितने अपर डिविज़न क्लर्क ऐसे हैं जिनका फिक्सेशन दस साल से भी ज्यादा अर्सा गुजर जाने के बावजूद नहीं हुआ है ?

(२) इन व्यक्तियों का फिक्सेशन करने में इतनी ढिलाई किन कारणों से हो रही

Page No 32

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है और सरकार इन कारणों को दूर करने में कब तक समर्थ हो सकेगी ?

उत्तर

(१) जी, कोई नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैटलमेन्ट के सम्बन्ध में की गई अपील के फैसले

२१८. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद व किशनगंज तहसील का सैटलमेन्ट हो चुका है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सैटलमेंट के विरुद्ध जिन किसानों ने अपीलें की हैं, उनके फैसले अभी तक नहीं हुए ?

(३) कुल कितनी अपीलें हुईं और फैसले कितने हुए ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कोई अपील नहीं हुई।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

कॉलेज लाइब्रेरियों में पुस्तकों की खरीद

२१९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि संचालक, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदने के लिए फ्लेट रेट लिस्ट शाया की जाती है परन्तु संचालक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशकों से कोटेशन मांगने के बाद भी स्कूलों के पर्चेजिंग ऑफिसरों को टेन्डर आमंत्रित करने के आदेश दिये जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो कॉलेज और स्कूलों में खरीद की नीति में यह भेद क्यों अपनाया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस दुबारा टेन्डर आमंत्रित करने की पद्धति के कारण ही स्कूल लाइब्रेरियों में उच्च कोटि का साहित्य न पहुँच कर निम्न कोटि का खरीदा जाता है ?

(४) यदि हां, तो इसमें सुधार क्यों नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस वर्ष राज्य सरकार ने पुस्तकों की खरीद के लिए विदेशी एवं भारतीय प्रकाशनों पर डिसकाउन्ट की दरें निर्धारित कर दी है इसलिए टेन्डर द्वारा पुस्तकें प्राप्त करने का प्रश्न समाप्त हो गया।

(३) यह सही नहीं है।

(४) सुधार कर दिया गया है।

(१२.६ म.प.)

अनुपस्थिति हेतु अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री जयकृष्ण शर्मा ने दिनांक २४. २. ६५ से ३०. ३. ६५ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थिति रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(१२.७ म० प०)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में त्रुटिमय आंकड़ों विषयक विशेषाधिकार प्रश्न एवं ऐसे विशेषाधिकार प्रश्न प्रस्तुत करते समय वाद-विवाद करने की मांग

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान।

मांग संख्या १२

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री मानिनचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ गलत तथ्यों की जो जानकारी दिलवाई, उसके सम्बन्ध में, एक प्रिविलेज मोशन आया हुआ है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस सदन में बहस करने की आपकी अनुमति होनी चाहिये। क्योंकि दूसरी पार्लियामेन्टों में और दूसरी विधान सभाओं में जो प्रिविलेज मोशन पेश किये जाते हैं इन पर विधान सभाओं में या लोकसभा में चर्चा होती है और उसके बाद दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अध्यक्ष के द्वारा निर्णय दिया जाता है। इसलिये मैं आपसे इस सम्बन्ध में प्रिविलेज मोशन पर बहस करने की इजाजत मांगता हूं और व्यवस्था चाहता हूं कि भविष्य में भी बहस की जाया करे और उन पर इस सदन में चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि हर विशेषाधिकार के प्रश्न पर बहस करने की आज्ञा प्रदान की जावे, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

हमारे नियमों के अनुसार वही मामला आ सकता है विशेषाधिकार के रूप में चर्चा के लिये जिसको इस तरह से स्वीकार किया गया हो। विशेषाधिकार के नोटिस माननीय सदस्य कई तरह से बनाकर भेजते हैं और विशेषाधिकार के मामले ऐसे हैं कि उनको हम एक सीमित रूप से देखें तो सबके लिये यह ज्यादा हितकर होगा। विशेषाधिकार क्या है, यह भी पहले साबित हो, यह जरूरी है।

इसलिये किसी भी बात को जिसमें विरोध हो उसे यहां विशेषाधिकार का रूप

(श्री अध्यक्ष)

देकर लाने की कौशिश की गई तो इस विशेषाधिकार का महत्व समाप्त हो जावेगा और माननीय सदस्य जो बहस करना चाहते हैं वह भी नहीं हो सकेगीं । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मामले पर विशेषाधिकार का प्रश्न वे लाना चाहते हों तो उस पर वे पहले अध्यक्ष या आसन को सन्तुष्ट करने की कोशिश करें कि वह आया उस परिधि में आता है या नहीं। ऐसा निर्णय लिया गया कि सदन में इसका निर्णय किया जाय तो फिर ऐसा भी किया जावेगा। पर निर्णय करने से पूर्व बहस हो, ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती है, मुझे इसका खेद है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक तो जनरल क्वेश्चन के रूप में रेज किया है उस पर आपने रूलिंग फरमा दी । पर जहां तक स्पेसिफिक क्वेश्चन का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में अभी नहीं हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : निवेदन सदन का समय लेकर न करें । मैंने जैसा निवेदन किया कि अगर कोई प्रश्न है विशेषाधिकार का तो न तो एक सामान्य तरीके से यहां लाना चाहिये. न स्वीकार ही करना चाहिये, न विचार ही करना चाहिये ।

जब तक यह न देख लें कि वह ऐसा प्रश्न बन भी सकना है या नहीं, व वह किस परिभाषा में आता है, यह अध्यक्ष का फर्ज है कि इस पर पहले पूर्ण रूप से विचार करें । बातचीत की अगर इसके लिए आवश्यकता हो तो वह भी करें, दूसरी किताबों में उल्लेख मिलता हो, तो वह भी देखें फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें ।

मांग संख्या १२

(१२.१० म. प.)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २—पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३ लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (रतनगढ़ में पुलिस द्वारा गैर कानूनी लाठी चार्ज की, उस पर बहस करने हेतु) ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकार ने डी० आई० आर० का गलत इस्तेमाल-बाम पक्ष कम्युनिस्टों की अवैधानिक गिरफ्तारी के कारण जनता में असन्तोष इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पर बहस करने हेतु) ।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : (४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (यात्रा भत्ता जिला चित्तौड़गढ़ में गलत तरीके से दिये जाने की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

(५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (विभाग में पदोन्नति के दोषपूर्ण तरीके पर बहस करने हेतु) ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : (६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बारां में बढ़ती हुई चोरियों पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय-(वाम पक्षी कम्युनिस्टों की नजरबन्दी के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

(८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा जनता के जान व माल की सुरक्षा करने की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

(९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (१०) मांग संख्या १२, शीर्षक २१-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की महंगाई व भत्ता में वृद्धि अधिक की जाय, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : (११) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सशस्त्र पुलिस दलों में व्यय कम होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : (१२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-

Page No 36

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय नेनवां (बूंदी) में हुई डकैती के बारे में बहस करने हेतु) ।

(१३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटा छावनी में हुई चोरी में सी० आई० डी० का हाथ, इस पर वहस करने हेतु) ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : (१४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की महंगाई व भत्ता में अधिक वृद्धि की जावे, पर बहस करने हेतु) ।

(१५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (हिन्डौन में बढ़ती हुई चोरियों के संबंध में बहस करने हेतु) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : (१६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों को महंगाई व भत्ता पूरा न मिलने के कारण असन्तोष पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : (१७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (अकलेरा में पुलिस सुरक्षा करने में असफल रही, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (१८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग की मोटरों का दुरुपयोग, पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (१९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सशस्त्र आरक्षी दल एवं दूसरी सहुलियतें अपर्याप्त होने पर बहस करने हेतु) ।

(२०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस सिपाहियों एवम् छोटे कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में बहस करने हेतु) ।

(२१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सरकार आरक्षी दल के अधिकारियों को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में किये गये पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

(२२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सशस्त्र आरक्षी दल तस्कर व्यापार रोकने में सर्वथा असमर्थ रहा है) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (२३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सशस्त्र दल की व्यवस्था ठीक करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (२४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला जालौर के पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसके दूर करने के उपायों पर बहस करने हेतु)।

(२५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस थानों के पुलिस कर्मचारियों का आम जनता के साथ दुर्व्यवहार एवं उनकी मनोवृति बदलने के उपायों पर बहस करने हेतु)।

(२६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु. की कटौती की जाय (पुलिस की प्रोसिक्यूटिंग शाखा की अयोग्यता पर बहस करने हेतु)।

श्री मोहनराज (बाली) : (२७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु. की कटौती की जाय (रानी पुलिस स्टेशन के ग्रामों में बढ़ती हुई चोरियों के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर बहस करने हेतु)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (२८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १०० रु. की कटौती की जाय (गंगाशहर में पुनः पुलिस स्टेशन कायम करने पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (२६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु. की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में कर्मचारियों को देर तक सस्पेन्ड कर रखे हैं, उस पर बहस करने हेतु)।

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : (३०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु. की कटौती की जाय (पुलिस चोरी व गुंडा-गिरी रोकने में असमर्थ रही, इस पर बहस करने हेतु)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (३१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु. की कटौती की जाय (जिला पुलिस के पर्याप्त मात्रा में महंगाई भत्ते न बढ़ाने पर बहस करने हेतु)।]

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आज ही विचार करके और विनियोग विधेयक द्वारा इनका पारण करना है; इसलिए अगर सहमति हो तो पौने ४ बजे तक मांगों पर बहस कर ली जाये; उसके बाद मुख-बन्ध का प्रयोग किया जाये और उसके बाद विनियोग विधेयक को पास करके चला जायेगा। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन कर दूं कि अगर कटौती के प्रस्तावों पर कम समय लेते हैं और निश्चित बात पर ही विचार करते हैं तो ज्यादा मांगों पर विचार किया जा सकेगा और इसी बात

(श्री अध्यक्ष)

को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य ज्यादा से ज्यादा मांगों पर विचार कर सकेंगे।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव से सरकार की ओर से बहुत निराश होने के बावजूद आपके जरिये इसको उठाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका और सरकार का इस संबंध में प्रोटक्शन मिलेगा।

सबसे बड़ी बात हमारे राज्य में यह है कि हमको लॉ एण्ड ऑर्डर के अन्तर्गत सारे राज्य की व्यवस्था चलानी पड़ती है और उसमें सरकारी पक्ष को भी अपनी तरफ से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे उनकी रक्षा हो सके।' दूसरा पक्ष भी जो है उनको भी यही कार्यवाही करनी चाहिए कि उसकी रक्षा हो सके। परन्तु जब किसी मुद्दे को उससे परे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल करके डाला जाता है तो उस परिस्थिति में सिवाय सदन यह सर्वशक्तिमान है या फिर अध्यक्ष महोदय भी जो किसी भी क्षेत्र की कोई विशेष समस्या हो उसके ऊपर अपनी राय देकर भी उसका समाधान करा सकते हैं। जहां तक चूरू जिले की घटनाओं का संबंध है उस संबंध में सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

राज्य के सबसे बड़े मुख्य मंत्री जो कि बहुत बड़े पद पर आसीन हैं जिनसे बहुत बड़े न्याय की आकांक्षा की जा सकती है कि यहां पर कम से कम सत्य बात मिलेगी, लेकिन उस संबंध में भी बहुत निराशा हमें प्रतीत हुई है।

मैं खास करके रतनगढ़-चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख सरकार के सामने करना चाहता हूं। सबसे पहला उल्लेख तो यह है कि कानून के दृष्टिकोण से रतनगढ़ में २६ तारीख को जो आम जनता पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और शाम को सभा के अन्दर जो घटना घटी उस सिलसिले में मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी स्वयं आकर के सारी बातें उनके सामने रखीं। उन्होंने श्री संतराम जी को उसकी इन्क्वायरी के लिए भी भेजा। उसमें मेरे ५ प्रश्न थे; एक यह था कि क्या सरकार ने जो लाठी चार्ज २६ तारीख को किया वह क्या किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म से किया और किया तो इसकी जांच की जाये। यदि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो किस पुलिस अधिकारी ने यह मनमाने ढंग से लाठी चार्ज किया, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गलत तरीके से इरादतन कुछ लोगों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया गया। तीसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने खुद ने एस० डी० एम० ने कोई १४४ की धारा का नोटिस निकाला ? और खुद

Page No 39

(श्री मुरलीधर व्यास)

ही म्युनिसिपैलिटी के, कांग्रेस के दफ्तर पर लोग उस नोटिस को लेकर सारे शहर में घूमते रहे और यह कहते रहे कि यह १४४ धारा लागू है और आप इस मीटिंग में मत जाओ और हमारी जो मीटिंग हो रही है कुम्भारामजी की उसमें आओ। यह ऐसा प्रश्न था कि जो सरकार की सीमा के बाहर का था। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि २६ तारीख के सिलसिले में संतराम जी ने क्या जांच की, उसकी रिपोर्ट को सदन के सामने रखा जाये । लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आर्कषित करना चाहता हूँ कि २६ तारीख को रतनगढ़ में जिस आम सभा में मैं खुद बोला था उसमें ६-७ हजार आदमी थे उसको चारों तरफ से घेर कर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसमें पचासों लोगों के चोटें आई। उस लाठी चार्ज के लिए न तो मजिस्ट्रेट का हुक्म था और बिना हुक्म के इस प्रकार की कार्यवाही हुई। इस सिलसिले में श्री संतरामजी को मुख्य मंत्री महोदय ने वहां भेजा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा है कि न किसी प्रकार की घोषणा हुई, न मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया और उस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट लिखा है कि उस घटना में पचासों लोगों के सिर फोड़े गये और उसकी मेडीकल रिपोर्ट भी मौजूद है कि सिरों के ऊपर चोटें हैं, फ्रेक्चर्स हैं उंगलियों और हाथों में और दूसरे हिस्से तोड़ दिये गये हैं।

ये सारी बातें रिपोर्ट में आ जायें और उसके बावजूद भी सरकार उस मसले को इस प्रकार से दबाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि किसी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहेगा। हम खुद कहते हैं कि कहीं पर छात्रों ने गर्म होकर पत्थर फेंके, लेकिन २५-२६ तारीख की घटना के बाद एस० डी० एम० की कोठी पर घेरा डाला और प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल के बच्चे थे वे किस प्रकार से मागे। हमने हमेशा आपके सामने सच्चा हाल रखा और आपने हमेशा सत्य को छिपाया। आप उसको राजनैतिक दृष्टिकोण से, चाहे पुलिस ने कितना भी जुर्म किया हो, मगर राजनैतिक दृष्टिकोण से आप गुमराह करते हैं तो सदन के सदस्यों का क्या महत्व होगा ? वे किस प्रकार से अपनी बातों को रखेंगे ? मैं खास करके यह उम्मीद करता हूँ कि इस मसले पर जो संतरामजी ने रिपोर्ट रखी है या तो जो मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है सदन में वह गलत है या संतरामजी की रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस ने बिना किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म के २६ तारीख को लाठी चार्ज किया वह गलत है। मैं आपको बताऊं कि लोगो को मारा, दूकानदारों को घरों में से खींच खींच कर, ऊपर जा जाकर खींचा और बाहर निकाल कर और अन्दर जाकर भी मारा। एक एक फर्लांग के दूकानदारों को बुला बुला कर पीटा। यह सारी रिपोर्ट आपके पास मौजूद है और आप कार्यवाही न करें और आप इस प्रकार से कह दें कि वहां पर लोगों ने डंडे मार दिये, बच्चों ने पत्थर फेंके और कांच तोड़ दिये। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम सदस्यों

(श्री मुरलीधर व्यास)

को इस बारे में प्रोटेक्शन मिलेगा कि सरकार ऐसे मसलों पर सदन में गलत रिपोर्ट नहीं रखे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस को आपने मौका दिया तो आगे जाकर और भी बड़ी घटनायें हो सकती हैं यह कोई अच्छा तरीका नहीं है।

दूसरे चूरू के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि चूरू में जो गोपाल नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में कहते हैं कि उस पर पुलिस ने लाठी का डंडा मारा जिससे वह बेहोश हो गया और शाम को मर गया। सवेरे उठा कर उसे ले गये। वह लावारिश था। तुलसी-पत्र लोगों को वह बांटता था और उस रोज भी उसने बांटे। वह दिन भर तन्दरुस्त था, वह हार्ट फेल्योर से कोई मरने वाला नहीं था। उसके तो लाठी का डंडा लगा और रात को मरा और पुलिस के आदमियों ने कुछ ऐसे लोगों को पैसा देकर भेज दिया कि तुम जाओ और इसको जला दो। आप देख लें, उन पैसों की कोई एन्ट्री आपके यहां नहीं मिलेगी लेकिन पुलिस ने लोगों को पैसा दिया और उसको जलवाया है।

तो इस प्रकार से लाठीचार्ज में आदमी मर जाय और मर जाने के बावजूद सरकार इस सारे मुद्दे को, पुलिस की गलती पर और पुलिस के तरीके के ऊपर कोई ख्याल न करे और यह जवाब दे दें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आपका करना हमारे सदन के, चाहे वे विरोधी पक्ष के लोग हों उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रहेगी कि क्या सोचें। मैं फिर आपसे इन मुद्दों पर कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी सरकार ने खुद ने पुलिस के लोगों के हाथों में कानून दे दिया, लेकिन गैर कानूनी तरीके से लोगों ने काम किया। इस सवाल के लिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। श्री मोहनलाल जी सदस्य को मारें या पकड़ें, वे विधान सभा के सदस्य हैं; उनके प्रति आपको दिलचस्पी या इस प्रकार की भावना हो, पर मैं जनता के मसले को लेना चाहता हूं। रतनगढ़ में जो २६ फरवरी को आपने लाठी चार्ज किया उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको मैं कहना चाहता हूं और दूसरी चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी है उसको मैं कहना चाहता हूं, तीसरे मुद्दों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंखों से देखी चीज में ऐसा होता है तो कोई चारा नहीं है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार से अपना दृष्टिकोण रखेगी और स्पष्ट तौर से रखेगी, मुझे इस बात में कुछ नहीं है कि किसी ने गलती की है तो उसको आप सजा दें या न दें, लेकिन पुलिस को बचाया जाय, जिसने बिना किसी मजिस्ट्रेट के लाठी चार्ज किया भीड़ पर शाम को ७ बजे, बिजली बन्द हो गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह बहुत बुरा हुआ है, लोगों के चोटें आई हैं, संतरामजी की रिपोर्ट है, इसके बावजूद आप उसको छिपाना चाहते हैं तो आप छिपा सकते हैं और पुलिस को दण्ड नहीं देते हैं तो इसका नतीजा अच्छा होगा नहीं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी बात गोली के मिसले की है। उसकी रिपोर्ट को यहां रखें कि किस प्रकार से पुलिस ने लोगों को मारा है। उस रिपोर्ट को मैंने देखा है। उस रिपोर्ट को, जिसको मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आप कहते हैं, उसके पहले मैं गया। तो मैंने देखा है कि पुलिस की देखरेख के अन्दर लोगों को बुलाया है, उन लोगों को नहीं बनवावरियों को पुलिस की उपस्थिति में किया है गोली काण्ड करवा दिया और लोगों को मार दिया और आज भी जेल के अन्दर चूरू जेल में ५ आदमी हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। उनकी पीठ पर गोली लगी है, पांव की जांघ पर गोली लगी है। आप कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने मुकाबिला किया इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी और गोली से वह मरा। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। आपने भागते हुओं को गोली मारी है और जो आदमी मरा है उसकी रिपोर्ट मेडीकल की मैंने देख ली है। उसमें भी जो गोली लगी है, पीछे से लगी है और वह आदमी मरा है। आप कहते हैं कि मुकाबिला किया इसलिए गोली चलानी पड़ी। उन्होंने मुकाबिला नहीं किया। आपने गोली चला कर पीछे से उनको मारा है। उस पर फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक तो मरा है जिसकी बात आप मन्जूर करते हैं और दूसरा जो है उसके जो गोली लगी और झाड़ी के अन्दर गोली लगने से पड़ा रह गया। पुलिस वालों को मालूम हो गया कि घायल पड़ा है उसको वह उठा कर नहीं ले गई और आखिर उसको बावरी उठा कर ले गए और दूसरे दिन गांव में पहुंचता है तो उसकी मौत हो गई। तो दूसरा जो मरा है वह आपकी गोली से मरा है। दो आदमियों को गोली से मार दिया, पांच को घायल कर दिया। एक आदमी को मार दिया लाठी प्रहार से और उसके बाद आप कह दें कि कुछ भी नहीं हुआ तो मैं फिर कहता हूं कि सिवाय हमारे पास शर्म के और कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप हमको प्रोटेक्शन दें। हमारे पास चारा नहीं है यदि यह हुकूमत नहीं मानेगी तो दिल्ली के दरवाजे खटखटायेंगे। कुछ नहीं होगा वहां पर तो आत्मनिर्णय के लिये और इनके दिमाग कम से कम सीमित करने के लिये जो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे वह उठायेंगे। हमारा कदम शान्ति का कदम होगा और कुर्बानी का होगा। इतने लोगों के मरने के बावजूद छिपाने की कोशिश की जायगी तो फिर कदम उठाना पड़ेगा।

चौथी बात, मेरा जेल के सिलसिले में भी कटमोशन था। बीकानेर जेल के अन्दर जो बलवन्त सिंह नाम का आदमी मारा गया तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है। मैं कहता हूं कि बलवन्त सिंह जो जेल के अन्दर मारा गया है उस सम्बन्ध में जो वहां पर सूरजभान अपहरण काण्ड में पकड़े हुए जो मुलजिम थे, उन्होंने जेलर व सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इन सब ने मिलकर वहां पर कुछ लोगों से पैसा लेने की साजिश रखी थी। कैदियों से पैसा लेते थे, नहीं तो उनको सताया जाता था। वो बाहर से पैसा मंगाते थे और लेते थे। जो नहीं देता उसको परेशान किया जाता था। उस परेशानी में कुछ बलवन्त सिंह ने

(श्री मुरलीधर व्यास)

गड़बड़ी की कि हमको नहीं देगा । इस कारण से कुछ लोगों ने मिलकर इस कैदी को मारा । एक को नहीं मारा है, बलवन्तसिंह तो मर गया, पर ५ आदमियों को मारा है । अगर मेरी बात गलत हो तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि उन पांच आदमियों की सरकार के पास मेडिकल रिपोर्ट है । दूसरे पांच आदमी भी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट है । उन सब की पांव की हड्डियां तक तोड़ दी गई हैं, एक जगह से नहीं चार-चार जगहों से तोड़ दी गई हैं । मेडिकल रिपोर्ट मंगा कर देख लें । जेल के अन्दर पीटने वाले लोगों को क्यों बचाया जाय ? जो आदमी सूरजभान अपहरण काण्ड में मुलजिम है उनका आपकी हुकूमत के एक बहुत बड़े मंत्री से उनका सम्बन्ध था । मैं नहीं कहता हूं, पर अखबारों में आया है, वही आदमी है, उसको बचाने के लिये और दूसरे जो जेलर हैं उनको बचाने के लिये यह किया जा रहा है । मैंने खुद ने देखा है कि जिस समय बलवन्तसिंह को पोस्ट मॉर्टम के लिये ले गये और उसके अन्दर रखा गया तो पोस्ट मॉर्टम होते ही उसको बाहर जलाने के लिये ले जा रहे थे, उसको मैंने खुद ने रोका और कहा कि इसको नहीं ले जाने दूंगा और अन्दर जाकर उसके पांव और सिर की चोटों को देखा । मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके पांव फट गये थे और सिर पर चोटें थीं । इस मामले की एस० डी० एम० की रिपोर्ट है । उसमें स्पष्ट है कि इसको मारा गया है । अब उस मामले के अन्दर आप जाते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करें और उस मामले में आप कह दें कि मामला कोर्ट में दे दिया । कोर्ट से वह किसी प्रकार से बच गया । तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर वहां पर कोर्ट में किसी तरीके से आपने एस० डी० एम० की रिपोर्ट को नहीं रखा । जब एक आदमी कैदी रहता है तो उसकी रक्षा का दायित्व आपका है । अगर आप उस मामले में जब कि वह कोर्ट में चलता है तो उसके सुबूत पेश नहीं करें और छिपाने की कोशिश करें तो कोर्ट का फैसला भी गलत हो जाता है......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कोर्ट के फैसले को आप चैलेन्ज करना चाहते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि अपील का अधिकार सरकार का है । एस. डी. एम. की रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार की उस रिपोर्ट में एस. डी. एम. ने कहा है कि मारा है । और आप कुछ नहीं कर सकते थे तो कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट के अन्दर उसकी रक्षा के लिये अपील कर सकते थे । जब कि एस. डी. एम. कहता है फिर भी वैसा नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोगों को आपको बचाना है इसलिये यहां बात दूसरी है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह तरीका हमारे इतिहास में—सुखाड़िया जी इस बात को बड़े जोर से कहते हैं कि मेरे समय में कोई गोली नहीं चली ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मुरलीधर व्यास)

लाठी चार्ज नहीं हुआ। पर ये ऐतिहासिक घटनायें हैं जो कि इतिहास के अन्दर इस सरकार के ऊपर कलंक के रूप में रहेंगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर कम से कम जो कुछ भी हो संतराम जी की रिपोर्ट को सदन में रखें और दूसरी जो एस. डी. एम. की रिपोर्ट है, अगर यह बात गलत है तो उस रिपोर्ट को रखें, मेरी बात अगर गलत हो तो उससे होगी तो साबित हो जायगी। रिपोर्ट को न रख कर अगर गलत तरीके से आप सदन में बात कहेंगे तो कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए फिर इन मुद्दों की दृष्टि से कहना चाहता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप इन मुद्दों में स्वयं जाकर हमें प्रोटेक्शन दें नहीं तो सरकार से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बल्कि हमारी आत्मा तो यह कह रही है कि इरादतन इस सारे मसले को छिपाया जा रहा है। हमारे पास सिवाय आपके प्रोटेक्शन या और कोई दूसरा कुछ है तो सिवाय कुर्बानी के कुछ रास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय गम्भीरता से इस सम्बन्ध के सही तथ्यों को सदन में रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

मैं एक सूचना और माननीय सदस्यों को दे दूं कि मांग पर करीब एक घण्टा बहस होगी और जितने भी कटौती प्रस्ताव उन पर आ सकेंगे उन पर बहस होगी। उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे, ताकि दो–तीन मांगें सदन के समक्ष आ सकें।

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी, मैं अपने कट मोशन के जरिये आपकी मार्फत सरकार के सामने जो सरकार की तरफ से सारे देश में रेड कम्युनिस्टों की गिरफ्तारियां की गईं और उसके बाद हमारे सब के सामने पोलिटिकल लाइफ के लिये एक विचारणीय प्रश्न पैदा हो गया कि आखिर ये गिरफ्तारियां क्यों की गईं? यदि ये सारी पार्टीज़ जिनको रेड कम्युनिस्ट्स के नाम से कहते हैं उनके मेम्बर्स के गिरफ्तार होने के बाद यदि यह साबित हो गया होता कि चीन के साथ इनकी लोयल्टीज है, चीन से उनको प्रेरणा मिलती है, चीन से इनको पैसा मिलता है और दस्तावेज पकड़े गये जिनसे यह मालूम हुआ कि वे गुरिल्ला एक्टिविटीज़ की तैयारी कर रहे थे जैसा कि एक बार सन् ४८ में तेलंगाना में ऐसी घटनाएं की गई थीं तो मैं ठीक समझता। सरकार की पक्ष से यह बात कही गई, मैं यह किसी राजनीतिक पहलू के नाते नहीं बोल रहा हूं लेकिन एक स्टूडेन्ट के नाते कह रहा हूं। इनकी गिरफ्तारियों के बाद इतना असन्तोष पैदा हुआ, रेडियो से ज्यादा नंदाजी के भाषण से पैदा हुआ। उन्होंने जो लोकसभा में स्टेटमेन्ट दिया वह सन्तोष नहीं दे सका कि गिरफ्तारियां वाजिब हुई हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि चीन का मसला जब से हमारी सरकार ने तिब्बत की

(श्री केदारनाथ)

आजादी की सारी बातें चीन को सौंप दीं सन् ५४ में, उसके बाद चीन ने जिस तरी के से तैयारी की. नक्शे बनाये, हमारी बाउ-न्डरी को डिस्टर्ब करने के लिये इन्टर-नेशनल स्टेप लिया, तोड़फोड़ का रास्ता अपनाया, उसका स्पष्ट चित्र हमारे सामने आता है। चीन को दावत दी हमारी खुद की सरकार ने अपनी ढीली नीति के कारण। चीन की मंशा को उसने नही समझा। आज सारा देश इस बात को समझ रहा है कि हमारी सरकार ने ही चीन को एग्रेसन की दावत दी। मैं इसको बुरा समझता हूं। मैं समझता हूं इन्टर-नेशनल कौंसिल ओफ कम्युनिस्ट्स ने सारी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह तय कर दिया कि आइन्दा नेशनलाइजेशन को मानते हुए वह समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में तब्दीली लायेगी शान्ति के तरीके से। उसकी तहत हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने अमृतसर कांफ्रेन्स में यह फैसला किया कि मार्किस्ट मेनिफेस्टो कुछ भी कहता हो, प्लोरेटेरियट डिक्टेटरशिप कुछ भी मतलब निकाले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी बात शान्ति से डेमोक्रेटिक ढंग से कहेगी। इसलिये मेरे कहने का मकसद यह है कि डेमोक्रेटिक ढंग से रह कर उन्होंने यह नारा दिया और हम उन लोगों को आज तक पोलिटिकली पेरेलाइज नही कर सके। सरकार का बेटर संगठन के नाते फर्ज था कि जो लोग या पार्टीज देश के प्रति बेफादार नहीं हैं, जिनके प्रोग्राम से नेशनलिटी को खतरा है तो क्यों नहीं सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया क्यों नहीं सारी पार्टी पर बैन लगाया, क्यो नहीं उनकी प्रोपर्टी जब्त कर ली, यदि उनकी एग्जिस्टेन्स से सारे देश को खतरा था तो? यदि कुछ इन्डिविज्युअल्स से खतरा है, उनके भाषणों पर एतराज है, उनके कुछ दस्तावेज पकड़े हों जिनसे पता लगा हो कि गुरिल्ला वार-फेयर की तैयारी ये लोग कर रहे थे तो अध्यक्ष महोदय, उन पर उसी समय एक्शन लेना था। अध्यक्ष महोदय, मुझे राजाओं का वक्त याद आता है। जो लोग उस समय नेशनल मूवमेन्ट में काम करते थे उनको धारा १२१ में गिरफ्तार किया जाता था, जो कांग्रेसी उस समय काम करते थे उनको गिरफ्तार करके उनको कोर्ट ओफ लॉ में पेश करते थे। आज आपने इन कम्युनिस्टों को गिर-फ्तार करके, किसी के खिलाफ केस बनाकर कोर्ट के सामने पेश किया है क्या? एक तरफ आप डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं तो हमारी सरकार का फर्ज है कि जिन लोगों से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो कानून आपके पास है उसका इस्तेमाल करिये। लेकिन इन्डिविज्युअल के नाम से गिरफ्तार करना, जिनमें ऐसे भी लोग है जिनको हम जानते हैं, उनके काम करने के तरीके को हम जानते हैं उदाहरण के तौर पर हमारे यहां एक एम. एल. ए. थे श्योपतसिहजी, उनके खेत को हम जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, उनके घर को हम जानते हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। दूसरे सदस्य थे मोडसिहजी, जो हमारे साथ काम करते थे, मुझे मालूम नहीं इन लोगों को कैसे पकड़ा गया? रामसिहजी

Page No 45

(श्री केदारनाथ)

ट्रेड यूनियन में काम करते थे उनको कैसे पकड़ा गया ? मोहन पूनमिया को हम जानते हैं, हमारे साथ में उन्होंने काम किया है। चीन ने जिस समय हमारे ऊपर आक्रमण किया था उस समय वे कह रहे थे कि चीन ने गलत किया और मजदूरों को उन्होंने कहा था कि आप अपनी कमाई में से नेशनल एमर्जेन्सी फंड के लिए कुछ चन्दा दीजिये। इन लोगों को गिरफ्तार करने से मेरे दिमाग में शक पैदा होता है कि कहीं यह सरकार पुलिस राज्य तो कायम नहीं कर रही है, रूल ओफ लॉ के नाते क्या यह सरकार ब्यूरोक्रेसी को तो हम पर थोपना नहीं चाहती है? जो बढ़ते हुए जन-आन्दोलन में सरकार के खिलाफ घृणा पैदा हो रही थी उसको दबाने के लिये तो नहीं किया गया है ? यदि सरकार का मतलब यह है केरल में चुनाव में ये कम्युनिस्ट हिस्सा न लें, कलकत्ता के म्युनिसिपल चुनावों में हिस्सा न ले और राजस्थान के चुनावों में हिस्सा न लें, इसलिये गिरफ्तारियां की हैं तो सरकार के लिये जिद्द की बात हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी पोलिटिकल सिचुएशन पैदा हो चुकी है। सरकार ने एढ़ी का पसीना चोटी तक बहाया, उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा घृणा का प्रचार किया लेकिन रेड कम्युनिस्ट्स ज्यादा से ज्यादा सीट्स केरल के चुनाव में हासिल कर सके। जो लोग जेलों के अन्दर बैठे हैं उनमें से २६ (२८) आदमी एम. एल. ए. बन कर जीत कर आये हैं।

एक तरफ सरकार कह रही है कि हम उनको हक नहीं देते दूसरी तरफ उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात नहीं करती तो ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में पेचीदगी पैदा कर रही हैं कि सरकार की मंशा क्या है? दरअसल में यदि सरकार डेमोक्रेसी की हामी है तो कोर्ट आॅफ लॉ में केसेज उनके खिलाफ लाती क्यों नहीं है। मैं इन सब में ज्यादा नहीं जाता हुआ निवेदन करूंगा कि यदि सही तरीके से सच्ची डेमोक्रेसी में सरकार विश्वास करती है तो सबको उसके अनुसार चलने का हक है। इस माने में हम सब एक दिमाग के हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर खतरा पहुंचे तो उस व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिये, लेकिन हर काम में जहां इलेक्शन या चुनाव में यदि सरकार को चेलेन्ज या चुनौती मिले वहां सिक्योरिटी को बीच में डालकर खिलाफत करने वालों को गिरफ्तार करें, यह डेमोक्रेसी से तालमेल नहीं बैठता। यदि ऐसा है तो आप डेमोक्रेसी का नारा नहीं लगावें।

रूस में आज से २० साल पहले जो बात थी वह आज बदल गई है। रेजिमेन्टेशन आॅफ थोट आज बदल गया है। कन्सेन्ट्रेशन केम्प्स की भाषा बदल गई है, लोग बाहर आने लगे हैं। आज वहां के मिनिस्टर भी जनता में बैठते हैं। आज उन देशों में यह चीज आ रही है तो हमारे यहां आज यह उल्टी चीज कैसे है; पॉसिटी आॅफ थोट कैसे है ?

स्टेट एसेम्बलीज में और पार्लियामेन्ट में यह मसला उठा कि यदि आप दरअसल में

(श्री केदारनाथ)

सच्चे हैं, आपके पास यदि डॉक्युमेन्ट्स हैं, सुबूत हैं तो बतावें और डेमोक्रेसी के नाते मैं मांग करता हूं कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाइये, दस्तावेज पेश करिये, एविडेन्स उनके खिलाफ पेश करिये और जिनको गिरफ्तार कर रखा है उनको सजा दिलवाइये। यदि कानून से कुछ बाधा आती है तो कानून में तब्दीलियां लावें और यदि आपके पास उनके खिलाफ कुछ भी सुबूत नहीं है तो उन लोगों को फौरन रिहा करना चाहिये। आप अपनी पॉलिसी स्पष्ट करें। केरल के चुनावों ने यह स्पष्ट दिखा दिया है कि जनमत किधर है। जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्टर्स पढ़े-लिखे और कॉंश्यस हैं उन लोगों ने सरकार पर लप्पड़ मारी है, उन्होंने सरकार को सबक सिखाया हैं, आप उसको फेस क्यों नहीं करते? इसीलिये लोगों ने मांग की है कि गुलजारीलाल जी नन्दा इस्तीफा दे दें। न मेरा यह मकसद है और न मैं यह मांग करता हूँ। लेकिन आपने जिन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है उनमें से बहुत से अपने घर में अकेले हैं. उनके छोटे छोटे बच्चों और स्त्रियों का क्या हाल होगा? आप उनको उनसे मुलाकात करने की भी पूरी फेसिलिटी नहीं देते। लोगों को जेल में अलग अलग रखा है। पोलिटिकल प्रिज़नर्स की तरह से उनको ट्रीट नहीं किया। इसके लिये उन लोगों को भूख-हड़ताल करनी पड़ी, तब उनको बी० क्लास ट्रीट किया है। तब आपने उनको पोलिटिकल प्रिज़नर के नाते रखा है। अगर यही मकसद था कि पोलिटिकल पार्टी के होने के नाते उनको पकड़ा गया तो क्यों नहीं उनको जेल के अन्दर पॉलिटिकल प्रिज़नर के रूप में रखते और क्यों नही उसके साथ पोलिटिकल प्रिज़नर के जैसा ट्रीटमेंट करते? इसके साथ ही उनके बच्चों को अलाउन्स मिले, जिनका अर्निंग हैंड जेल के अन्दर बन्द है और जिनके पास कोई साधन नहीं हैं। यह आपका एक नैतिक फर्ज है और यह सरकार का कानूनी फर्ज है और नैतिक फर्ज भी है। माननीय नन्दा जी जब राज्य सभा में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि सरकार बैंकरप्ट नहीं है, अगर अलाउन्स देने की बात होगी तो उनको अलाउन्स जरूर देंगे। मैं सोचता हूं कि पूरी फेसिलिटीज़ गवर्नमेंट उनको दे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि उनका सुधार हो तो जेल के कायदों के अनुसार आप उनको इकट्ठा रखें और उनकी फेमेलिज़ को मिलने की सुविधा दीजिये और उनके बच्चों को अलाउन्स दीजिये। मेरी यह मांग है और मैं समझता हूं, और लोगों की भी यही मांग है कि उनको रिहा किया जाय। अध्यक्षजी, ये लोग जिन क्षेत्रों में काम करते रहे हैं, उन क्षेत्रों के मजदूरों की भाषा आप सुनिये, आप उन किसानों की भाषा सुनिये। वे लोग इनकी गिरफ्तारी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दलीलों को नहीं मानते हैं।

वे कहते है कि यह एक तरह का विक्टीमाइजेशन हैं। वे कहते है कि केरल के चुनाव में यह लोग भाग न ले सकें–इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। वे कहते हैं कि रात-दिन जो टैक्सों का बोझा बढ़ता जा रहा है, रात–दिन जो मंहगाई बढ़ती रही है और इससे जो गरीबी और भुखमरी बढ़ती जा रही हैं–इस सबके खिलाफ ये लोग आन्दोलन करते थे और दूसरे लोगों से इस

(श्री केदारनाथ)

मामले में आगे निकल रहे थे, और एक प्रगतिशील पार्टी की तरफ इसे गरीबी और भुखमरी के प्रश्न पर सरकार से लोहा ले सकते थे और जनता के अन्दर तक घुस गये थे–इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह चीज है, इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार ने हमेशा प्रिविलेज्ड क्लास के लिए काम किया है और कर रही है और अपनी एग्जिस्टेन्स के लिए ही इन लोगों की गिरफ्तारियां की है। अध्यक्षजी, मैं इस कट मोशन के जरिये सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? आखिर ये गिरफ्तारियां एक राउन्ड में नहीं हुई, दो-तीन राउन्ड में गिरफ्तारियां की हैं और लाजिमी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट ने सलाह दी है कि फलां फलां व्यक्ति इतने खतरनाक हैं, फलां फलां व्यक्ति का इस क्षेत्र में इतना असर है और इन लोगों को पकड़ने से सरकार को ये नुकसान और फायदे हो सकते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेन्स है और इनकी राय ली गई है और इन्होंने राय दी है इन व्यक्तियों के बारे में।

मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के पांच–छः आदमी हैं उनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वे कितनी सबवर्सिव एक्टीविटीज में हिस्सा ले सकते हैं और वायोलेन्स का प्रचार कर सकते हैं। इन लोगों का काम करने का जो तरीका था वह तरीका इस बात को साबित करता है कि जहां भी इन्होंने काम किया वहां के छोटे-छोटे लोग इनमें विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोगों में से मैंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिये हैं। मैं अध्यक्ष जी, आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये गिरफ्तारियां पोलिटिकल लाइफ में खतरा पैदा कर देती हैं। दरअसल अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा पैदा हो गया था तो इस सम्बन्ध में आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इस सम्बन्ध में एवीडेंसेज़ भी आपके पास हैं, तो लाजिमी आप उन व्यक्तियों के खिलाफ उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर पेश कीजिये। हमने जेलों के अन्दर अंग्रेजों के वक्त में भुगती और राजाओं के वक्त में भी भुगती; पर आपके कानून-कायदों से उनके कानून-कायदे अलग थे क्योंकि वे एलियन गवर्नमेंट्स थे लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। मैं समझता हूं कि आज देश में कोई भी पार्टी और कोई व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं करता है कि वह देश की स्वतंत्रता को बेच दे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है देश में। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों को मानते हैं, फंडामेंटल्स को मानते हैं, इसलिये हम इस बात में विश्वास करते हैं कि बजाय इसके, आप उनका लीगल इलाज करायें, उनका आप सोशियली इलाज़ कीजिये। आप बतौर एक पार्टी के मासेज़ के सामने आयें और मासेज के समक्ष उनके पक्ष को नंगा रख कर उनकी नीति को बयान करें और मजबूती के साथ आप आगे बढ़ें। अगर आपकी बात सही है और आपकी बात देश के हित में है तो लोग आपका साथ देंगे।

आपने ढिंढोरा पीट दिया कि पंचायतों के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि हमारी नीति ठीक है। लेकिन साथ ही इन गिरफ्तारियों ने साबित कर दिया है और

(श्री केदारनाथ)

लोग विचार करते हैं कि आपके अन्दर आत्म-विश्वास नहीं है, अपनी नीति और प्रोग्राम से जनता में विश्वास पैदा करने का आत्म-विश्वास नहीं है, आप एक कोंजेनियल एट्मोस्फिअर पैदा नहीं कर सकते हैं इसलिए आपने हथियार इस्तेमाल किया, डी. आई. आर. का, नेशनल सिक्योरिटी के नाम से। आखिरी बात मैं कहता हूं कि उनको रिहा कीजिये। वे लोग जनता के बीच में आयें। जिस इन्डीविजुअल के बारे में आपके पास स्पेसिफिक चार्जेज हों और सोचते हैं कि इससे देश को खतरा है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीक्यूट किया जाय। लेकिन सरकार का प्रोसीक्यूटर हो, सरकार ही पुलिसमैन हो और सरकार ही जेलर हो, यही उस स्टेटमेंट का रवैया भी है जो नन्दा ने दिया है और उसकी कोई जुडिशियल वेल्यू नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरियां

श्री उमरावसिंह ढाबरियां (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मद के बारे में मेरा एक कट मोशन है। पुलिस विभाग के लिए ४३ लाख रुपये की मांग इस सदन से चाही गई है और इन ४३ लाख रुपयों में ८ लाख रुपया ऐसा है कि जो जिला स्तरीय अधिकारियों के पदों और दूसरे कामों के खाते खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो भ्रष्टाचार पुलिस विभाग के अन्दर है उसका एकमात्र कारण, जो कॉन्स्टेबल इस विभाग में काम करते हैं, उसकी दयनीय दशा है। उन लोगों की आर्थिक हालत है वह इतनी खराब है कि वे अपने खुद के और अपने बाल बच्चों के पेट पूरी तरह से भर नहीं पाते, उन छोटे-छोटे लोगों को, जो कॉन्स्टेबल लोग हैं, अपने जिले में न रख कर दूसरे जिलों में काफी दूर ट्रान्सफर कर दिया जाता है और यह जो कर्मचारी हैं, ये जो कान्स्टेबल्स हैं इन लोगों को ऑफिसरों के नीचे काफी काम करना पड़ता है। उन दो-चार ऑफिसरों के अन्दर से एक ऑफिसर भी अगर उनसे नाराज हो जाता है तो वह उनके लिए एक दिक्कत का कारण बन जाता है।

इसी तरह से जिला स्तर पर बड़े ऑफिसरों के भत्ते और उनके लिए मुहैय्या की जाने वाली दूसरी सहूलियतों के ऊपर अगर सरकार ८ लाख रुपया खर्च कर सकती है तो मैं नहीं समझ पाता कि इन गरीब सिपाहियों के लिए ज्यादा सुविधा देने की बात और उनकी आर्थिक हालत को अच्छी करने की बात को ध्यान में क्यों नहीं रखती है? आज राजस्थान के अन्दर जहां कहीं भी पुलिस के द्वारा ज्यादतियां होती हैं, जो रिश्वत लेने के मामले सामने आते हैं, उनमें छोटे कॉन्स्टेबल्स की ज्यादा बदनामी होती है। अगर कहीं डाकुओं के साथ या और किसी जगह पर मुठभेड़ करने का प्रश्न आता है तो इन छोटे-छोटे कॉन्स्टेबल, जिनकी आर्थिक हालत खराब है, को अपनी जान झोंकनी पड़ती है और जब इनाम लेने का सवाल आता है तो बड़े ऑफिसर उनकी आड़ में इनाम ले जाते हैं। तो जो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

काम ज्यादा करते हैं, जिनकी हालत ज्यादा खराब है उन लोगों की ज्यादा अच्छी आर्थिक हालत हो सके, ज्यादा सहूलियत उनके लिए हो सके-ऐसी व्यवस्था न करके बड़े बड़े अधिकारियों को सहूलियत देने की तरफ ध्यान दिया जाता है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज जितनी भी रिश्वत इस डिपार्टमेंट के अन्दर चालू है और जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां इस डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में हैं उनमें ६० प्रतिशत कहानियाँ उन लोगों के सम्बन्ध में हैं जिन्हें बड़े बड़े ऑफिसर कह सकते हैं-जैसे सर्किल इन्सपेक्टर, एस. एच. ओ., डिप्टी एस. पी., एस. पी. और ऊंचे कैडर के आदमी हैं। वही लोग ज्यादा रिश्वतखोर हैं और ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं; बजाय इनके जिन्हें छोटे छोटे अहलकार और कॉन्स्टेबल्स कह सकते हैं, जिनकी काफी ज्यादा संख्या है और जिनके लिए न तो रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है और जो लोग अपने घर से काफी दूर रहते हैं इसलिए अपने परिवारों के साथ भी वे नहीं रह सकते हैं, अपने बाल-बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा नहीं दे सकते हैं और उनको ठीक तरह नहीं रख पाते हैं।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जहां आप ऊंचे अधिकारियों की तनख्वाहों का ख्याल रखते हैं, उनकी सहूलियतों का ध्यान रखते हैं, उनके यात्रा-भत्ते आदि का ख्याल रखते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी मोटरें उपलब्ध कराने का ख्याल रखते हैं और उस सबके लिए एक लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। किन्तु वहां इन गरीब कॉन्स्टेबल्स के लिए अगर अच्छी तरह से इनको भर पेट खाना नहीं दें तो मैं समझता हूं कि आपकी सरकार प्रजातंत्र और समाजवादी सरकार नहीं हो सकती। जो छोटे लोग हैं उनको ऊंचा उठाने की बात नहीं हो सकती। मैं अदब के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि इन बड़े बड़े जिला स्तरीय अधिकारियों के आपसी झगड़ों के कारण और ग्रेड आदि के अन्दर पक्षपात किया गया है उसके कारण, इतनी अनियमिततायें इस विभाग के अन्दर हो गई हैं, फिर भी उनमें अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं समझते हैं और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान के अन्दर ऐसे ऐसे वाकये हुए हैं जिन वाकयों के अन्दर मुजरिमों का पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी है, और आप बड़े अधिकारियों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस विभाग से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर कोदूकोटा गांव है जिसके अन्दर एक ही परिवार के चार आदमियों का साढ़े दस बजे रात को कत्ल कर दिया गया, जिसमें महिला भी थीं और पुरुष भी थे। आज उस घटना को हुए डेढ़ साल हो गया लेकिन यह निकम्मी सरकार और निकम्मे पुलिस अधिकारी चारों कैसेज़ का पता नहीं लगा सके हैं। कितने ही आदमियों, जो बिना जुर्म किये हुए थे, को इन्होंने पकड़ा, उनको जलील किया और यहां तक कि वहां के जो सरपंच थे, उनको इस मामले के अन्दर पकड़ा गया और थाने के अन्दर ले

Page No 50

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

जाकर मारा गया और जो जो कत्ल करने वाले हैं, मर्डरर्स हैं उन लोगों का पता आज सरकार नहीं लगा सकी है।

मैं बहुत अदब के साथ, माननीय अध्यक्ष, आपकी जानकारी के लिये और सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में एक नहीं बल्कि पांच-पांच, सात-सात सब इन्स्पेक्टर्स के तबादले हुए हैं, एस. एच. ओ. और ए. एस. पी. के तबादले किये गये हैं और वे इसलिए किये गये हैं कि जब सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि फलां आदमी ने कत्ल किया है, कत्ल करने वाले फलां फलां लोग हैं, उनको गिरफ्तार करने का समय आया तो उसका ट्रान्सफर कर दिया गया और दूसरे आदमी को वहां रखा गया। इस तरह की कार्यवाहियां करने वाले लोगों को भत्ता देने के लिये, उनके यातायात के लिये यह इतनी बड़ी धनराशि देने की जरूरत पड़ी है। इस प्रकार के अधिकारियों को यह भत्ता दिये जाने की बात कही जाती है वहां यह राशि गरीब लोगों को उनकी हालत सुधारने के लिये दी जातीं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती, उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता तो वे लोग ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा जिम्मेदारी से इस काम को करते और अपनी जिम्मेदारी को समझ कर दिलचस्पी के साथ अपने काम में तत्पर रहते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में हमारे मुख्य मंत्री ने इस सदन में घोषणा की थी। भीलवाड़ा में एक वकील को पुलिस में पीटा गया था, जो इस प्रकार की नाजायज हरकत वहां के अफसरों ने की इसके लिये जिला अधिकारी ने एस. एच. ओ. को सस्पेन्ड कर दिया, राज्य सरकार ने ए.एस.पी. को भी सस्पेन्ड कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जिलाधीश भीलवाड़ा से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी इन्क्वायरी उस एस. एच. ओ. के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा या राज्य के अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं की गई, उसकी गलतियों की जांच नहीं की फिर भी उस एस. एच. ओ. को वापिस सर्विस में ले लिया गया है। ए. एस. पी. थे उनको भी वापिस लगा दिया गया है और जो वकील पीटा गया था उसके खिलाफ पांच-पांच, छ-छ फौजदारी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इस प्रकार ये पुलिस के अधिकारी जनता के खिलाफ षड्यन्त्र कर के दुश्मनी निकालने के तौर पर काम करते हैं, उन बड़े अधिकारियों के लिए सरकार इस प्रकार की सुविधाएं देती है और जो लोग, छोटे कॉन्स्टेबल्स जिम्मेदारी से काम करते हैं उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, तो मैं नहीं कह सकता कि यह सरकार कोई जिम्मेदार सरकार हो सकती है या समाजवादी सरकार हो सकती है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टेबल्स हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभा कर जनता की सेवा का काम करते हैं, उनका महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिये। इन लोगों को, इनके बाल-बच्चों को ठीक

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तरह से खाने को मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । ओन ड्यूटी कॉन्स्टेबल्स जाते हैं, समन की तामील में अथवा अन्य किसी और काम से, तो उनको टी. ए., डी. ए. अलाउन्स भत्ता नहीं मिलता, उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है । जो इन लोगों को तनख्वाह मिलती है वह आज की मंहगाई को देखते हुए नाम मात्र है । इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में सरकार को कहना चाहता हूं कि यदि सरकार पुलिस के द्वारा जनता की सेवा करवाना चाहती है, जनता की रक्षा करवाना चाहती है, इस विभाग को जो कि हुकूमत और भ्रष्टाचार का विभाग बना हुआ है उसे वास्तव में सेवा भावी विभाग बनाना चाहती है तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि गरीब कान्स्टेबलों को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दें, ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें । इसके बाद एस. एच. ओ. की सुविधा आदि अच्छी हो तब यह डिपार्टमेंट सही और अच्छे ढंग से चल सकता है और ये लोग जनता की ज्यादा सेवा कर सकते हैं ।

इसी बात को कह कर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो इस डिपार्टमेंट के छोटे लोगों के बारे में कहा उस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार !

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस की इस मांग के अन्तर्गत ४३ लाख रुपया देने का प्रावधान हमारे वित्त मन्त्री द्वारा सदन के समक्ष रखा गया है। आज इस विभाग को ४३ लाख की अतिरिक्त धनराशि देने की बात सोच रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उस विभाग के सम्बन्ध में आज आम जन-धारणा क्या है, यह भी मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं । आज के स्वतन्त्र भारत में खाकी कपड़े पहिन कर कोई व्यक्ति निकल जाता है तो उसे इन्तहा से ज्यादा जलील और हिकार समझा जाता है । इसका कारण यह है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस साइड में बिलकुल खराब है । जब तक पोलिटिकल प्रेशर ऐसे विभाग में काम करता रहेगा, यह विभाग कभी पनप नहीं सकता, इस विभाग में डिसिप्लिन मेन्टेन नहीं किया जा सकता ।

इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, एक पदोन्नति के सम्बन्ध में गलत तरीका और दूसरा, भत्ता देने का तरीका गलत है, इस सम्बन्ध में है । एक बार इस विभाग के बारे में बहस हो रही थी तो मैंने कहा था कि चाहे ड्यूटी पर जायं या छुट्टी पर जायं, पुलिस के कर्मचारी मोटरों में फ्री घूमते हैं । मैं अब भी अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, सरकार से और सरकार के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि स्वयं के पद की हिफाजत की दृष्टि से न सही, देश के चरित्र-निर्माण के हित में यह काम करके उनको पासेज़ बना दें, जब भी ड्यूटी पर उन्हें रवाना करें, वारंट काट कर दे दें । मैंने मिलिटरी की सर्विस की है, जब भी ड्यूटी पर जाता था तो ड्यूटी पास मिल जाता था ; तो आप इनके लिये भी इस प्रकार की वारंट की व्यवस्था करें,

(श्री अब्दुलजब्बार)

कि जब भी ड्यूटी पर जायं तो वारंट दे दें ताकि फ्री सफर नहीं करेंगे। रेल्वे में किस तरह फ्री सफर करते हैं, यह एक लम्बी कहानी है। जयपुर से अजमेर, रतलाम, मालवा डिविज़न की रेल्वे में फ्री सफर करने का वर्णन करूं तो यह एक लम्बी कहानी हो जायगी, इससे १ लाख रुपयों का लीकेज होता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों को ड्यूटी पर रवाना करने से पहले वारंट काट कर देने की व्यवस्था की जाय। मोटर मालिकों को आप बाद में पैसे दे सकते हैं उनके क्लेम करने पर। सरकार का लाखों रुपया उन लोगों में बकाया पड़ा रहता है तो हमारे वारंट की भी वे लोग कद्र करेंगे, वह रुपया बाद में वे हमसे मांग सकते हैं। इससे आपका कितना ही भत्ता बच जायगा, मोटरों में फ्री सफर करते हैं तो पैसेन्जर्स टैक्स की चोरी होती है, मोटरें ओवरलोडेड चलती हैं, मोटर मालिक फ्री ले जाते हैं इसलिये वे कुछ कार्यवाही नहीं करते। वे चले जाते हैं तो फ्री आते-जाते है। इसके नाते कई प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज होती हैं।

इसलिये इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करे ताकि भत्ता जो नाजायज तरीके से क्लेम होता है वह बच जायगा और पांच, पांच, दस,-दस, १००-१०० रुपयों के लिए भत्ते के फॉर्म भरे जाते हैं और कितना ही स्टेम्प्स का खर्चा होता है वह खर्चा बच जायगा।

(१.०० म० प०)

जिस प्रकार अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां कोडोके गांव में तफतीश के समय थानेदारों का ट्रांसफर होता है। जब एक व्यक्ति तफतीश के लिए पहुंच जाय तो फिर उसका ट्रान्सफर किया जाता है। इस प्रकार पैसे का बेजा तरीके से पेमेन्ट होता है जिसका आम जनता पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं तफतीश करने के तरीकों पर हंसी आती है। इतनी लंबी ट्रेनिंग लेकर थानेदार पुलिस विभाग में पोस्ट किए जाते हैं और फिर हम जैसे भोले-भाले लोगों को पकड़ते हैं और बिजली का करेन्ट पेट पर लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे थानेदारों को। काश हमें अधिकार होता इस बात का कि हम उनके बच्चों को उनके सामने बिजली का करेन्ट लगाते और उस वक्त देखें कि कैसे उनका दिल तिलमिलाता है! इतना ही नहीं गुप्त अंगों पर करेन्ट लगाया जाता है।

सुखाड़ियाजी के शासन काल में न्याय देखिए। इन्क्वायरी करने वाले अफसर इस प्रकार का लोगों पर जुल्म करते हैं। इनके इन्वेस्टीगेशन के तरीके टोटली रोंग हैं। स्कॉटलैंड का पुलिस लिटरेचर आपके पास है। पढ़िए कि तफतीश करने के तरीके क्या हैं। ट्रेनिंग देकर आप इन्सपेक्टर्स और एस० पीज० को भेजते हैं, लेकिन इस्तैमाल कुछ नहीं। रोज़नामचे में रपट नहीं, तीन-चार रोज मार-पीट की, फिर भगा दिया, इसी बीच में मर जाता है तो नेचुरल डैथ का सर्टिफिकेट इधर उधर से डॉक्टरों

(श्री अब्दुलजब्बार)

से मिल कर लिया जाता है। मजिस्ट्रेट को ब्लेकमेल करते हैं और खुद को ब्लैकमेल करते हैं और दूसरों को गवाही में लाते हैं। इस प्रकार भोले-भाले इन्सानों को पकड़ कर लाया जाता है। ये लोग मोटर में फ्री बैठ कर जाते हैं। तो इन तफतीश के तरीकों में सुधार करना चाहिए।

आज मेरे पास चिट्ठी आई है। मैं उप-मन्त्री, गृह विभाग से निवेदन करता हूं कि हमारे यहां जो थानेदार है निम्बाहेड़ा में.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): यह चिट्ठी उपगृह मन्त्री के पास भेज दो।

श्री अब्दुलजब्बार : कई बार मैंने नन्दाजी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमन्त्री को लिखी, आचार्यजी से पर्सनली बातचीत की। फिरकापरस्ती को आप बढ़ा रहे हैं। इस महीने की ४ तारीख को मांगीलाल दर्जी की लड़की लापता होती है रात को १० बजे। वहां के बोहरे और मुल्ला जो आपको जीताने में सहायक होते हैं, उनके जमात-खाने में रात को १० बजे तलाशी होती है। थानेदार और डी० एस० पी० मौजूद हुए, लेकिन लड़की मौजूद नहीं, सर्च वारेन्ट नहीं। पुलिस का शासन है। हमारे निम्बाहेड़ा का थानेदार रोचनामचे में गलत एन्ट्रीज़ करता है, एस० डी० ओ० को वायरलेस करके पूछिए। रात को पौने ग्यारह बजे लड़की मौजूद मिलती है। पत्र मैं सदन की मेज पर रखता हूं और निवेदन करता हूं कि अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो मजबूर होकर हमें जनतन्त्र के सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। हमने जिन्दा रहना सीखा है, झुकना नहीं सीखा। इसलिए आपको अपने विभाग में सुधार करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि जनतन्त्र की प्रणाली पनपे, सेक्युलरिज़म सही माने में रहे तो सही ढंग से जो कुछ भी हम कहते हैं उस पर गौर फर्माइये। और भी कई ऐसी मिसालें हैं जो मैं समय समय पर बतलाता हूं।

दूसरा मुद्दा मेरा पदोन्नति का है। ५५ साल की उम्र पूरी होती है तो फिर तीन साल और मिलते हैं, लेकिन यह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट की मर्जी पर है। इससे क्या होता है कि जो इन्सपेक्टर, या डी० एस० पी० इन्टेलीजेन्ट है, वह चाहता है कि आगे काम करूं और अपनी ईमानदारी, कैरेक्टर, टर्नओवर, वर्दी पहिनना और एपियरेंस के जरिए मैं किस दिन उन्नति के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर चला जाऊं उनको कुछ नहीं मिलता। क्या मुर्दे आपने एस० पी० के पद पर बिठा रखे हैं! उनमें कोई दम नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, आयु खत्म हो चुकी, उनको आज एस० पी० बना रखा है। यह इसलिए किया जाता है कि पार्टी के लोगों का उन पर प्रेशर पड़ता है और उनसे काम लिया जाता है कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो। ये क्या तरीके हैं ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

एम० एल० एज़० पर लाठी चार्ज होता है, एम० एल० एज़० को पकड़ा जाता है। अंग्रेजों के दिनों में, आजादी की लड़ाई में पुलिस गोलियां चलाती थी तो आसमान में चलाती थी, लेकिन आज तो आदमियों पर ही चलाते हैं। तो मैं कह रहा था कि ५५ वर्ष की उम्र हो गई है, फिट नहीं हैं। चितौड़गढ़ के एस० पी० हिरण हैं, ईमानदार हैं.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इसलिए आपको पसन्द नहीं हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : सोना खूबसूरत है लेकिन छुरा बनाकर गोकुलप्रसाद के पेट में नहीं डालते हैं, तो वह ईमानदार है। मेरे पास छीपाका के थानेदार के बारे में चालीस हजार की रिश्वत का कागज है। लेकिन किसको पेश करें, कौन कार्यवाही करना चाहता है। हम अपनी जिन्दगी की रिस्क पर काम करना चाहते हैं। थानेदार के खिलाफ ४० हजार का रिश्वत का केस आया। आज आदमी लम्बे-चौड़े समय तक सस्पेन्ड रहता है और उसके बाद में प्रेशर आ जाता है, किसी ने फोन कर दिया, फिर रीइन्स्टेट हो गया। इस किस्म की बातें पुलिस विभाग में होती हैं।

एक कॉन्सटेबल है जिसकी उम्र गुजर जाती है, आखिर तक सिपाही का सिपाही रह जाता है। इसका क्या कारण है ? ये आपके उन्नति देने के तरीके हैं ! एक कॉन्सटेबल मुश्किल से हैड कॉन्सटेबल हो जाता है, उसका मौका नहीं मिलता। ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है, नोटीफिकेशन निकलता है, आज्ञा प्रसारित होती है तो आइ० जी० साहब को फोन होते हैं।

(घंटी)

नाम के इन्टरव्यू होते हैं। ऐसी सूरत में पदोन्नति का जो आपका तरीका है, जो हेरास-मेंट होता है, जो असंतोष पैदा करने होती हैं, वे गलत हैं। सही माने जो हकदार हैं उनकी पदोन्नति होनी चाहिये और जो इस प्रकार के बुजुर्ग हो जाते हैं उनको कहिये कि अब आप ईश्वर-भक्ति करिये। चार आश्रम हैं। चौथे आश्रम पर पहुँच चुके हैं और उस आश्रम में पहुंचने के बाद पूजा-पाठ करने का समय है। पचपन साल के हो गये, अब वे नियन्त्रण नहीं कर सकते और डेढ़ डेढ़, दो दो साल पर मयाद बढ़ाने के लिए नेताओं की खुशामद करते हैं।

तो पुलिस विभाग इस प्रकार से बदनाम है और वह जनता और उसकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न हो तो मेरे दो कट मोशन्स हैं उनको स्वीकार करें और सदन की मेज पर मैं यह पत्र रखता हूं उसको मंत्री महोदय देखें और वायरलेस से आज ही सूचना प्राप्त करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दयाचन्द सोन।

Page No 55

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : श्री रामानन्द जी आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

श्री दयाचन्द सोन (बारां—मु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पुलिस की मांग पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के समय हर जगह स्तर गिरा है, पुलिस, विभाग का भी स्तर गिर रहा है। सिपाहियों को वेतन पूरा न मिलने से उनकी हालत ठीक नहीं है। स्तर भी गिर गया है। बारां तहसील से रायथल, किशनगंज आदि ऐसी जगह हैं जहां पर आये दिन डकैतियां पड़ती रहती हैं और अक्सर वहां पर लोग-बागों को डाकू उठा ले जाते हैं। रायथल में अभी एक बड़ी भारी डकैती पड़ी और वहां के सेठ लोगों को उठा कर ले गये लेकिन पुलिस उनको वापिस छुड़वा कर नहीं ला सकी और वहां के सेठ को दो—तीन लाख रुपया देना पड़ा, तब जाकर उसको डाकुओं ने कहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी शर्म की बात है कि मौके पर पुलिस पहुंच जाय और आस-पास डेरे भी डाल दिये जांय, उनको घेर भी लिया जाय, फिर भी डाकू निकल जायं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि पुलिस के रहते हुए, डेरे डाले हुए भी डाकू निकल जायं।

इसी प्रकार बारां में नाकेदार जुगल-किशोर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, फिर भी पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। बारां में यह हत्या हुई है जिसकी गांव में काफी चर्चा है। वहीं के लोग-बागों ने यह हत्या की और हत्यारे वहीं पर घूमते हैं लेकिन फिर भी पुलिस उनका पता नहीं लगा सकी। एक-दो आदमियों को पुलिस ने बुलाया भी था और कबूल भी कर लिया लेकिन पता नहीं कि फिर पुलिस ने उनको किस प्रकार जान, बूझ कर छोड़ रखा है।

बारां नगर में बार बार चोरियां होती हैं। मैं आपको बताऊं कि कई लोगों के यहां पर चोरियां हुई। एक के यहां पचास हजार की चोरी हुई। बिहारीलालजी के यहां ३० हजार की चोरी हुई, ज्योतिस्वरूप के यहां २० हजार की चोरी हुई और भी बीसियों चोरियां हुई है जो कि पांच-पांच, सात—सात हजार की हैं। ये तो कई हैं। गत एक-दो साल में ये जितनी चोरियाँ हुई हैं वे आज तक बरामद नहीं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, चोरियों का होना और एक भी चोरी का बरामद न होना इससे मुझे यह शंका होती है कि पुलिस भी ऐसे चोरों और डाकुओं से मिल जाती है ; वर्ना एक साल में बीसियों चोरियां हों, बड़ी बड़ी चोरियां हों और उनका सरकार पता न लगा सके यह, संभव नहीं होता है।

बारां क्षेत्र के अन्दर लाखों रुपया पुलिस पर खर्चा होता है। जब जब उस क्षेत्र में डाके पड़ते हैं तो ट्रक के ट्रक भर कर, मोटरों में बैठ कर सैकड़ों की तादाद में सिपाही और अफसर दौड़ा-धामी करते हैं, कभी शाहबाद में और कभी किशनगंज में जाते हैं ; लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक दो साल में जितने भी डाके पड़े हैं पुलिस ने आज तक एक-दो डाकुओं को भी नहीं पकड़ा है। जब कि पुलिस वाले लाखों रुपया पेट्रोल में फूंक देते हैं और दूसरों को परेशान भी करते हैं, सो अलग। दूध और

(श्री दयाचन्द सोन)

रबड़ी खाते हैं और दावतें खाते हैं। जिनके यहां पहुंचते हैं तफतीश के लिए उनका बेचारों का और सैंकड़ों रुपया खर्च करा देते हैं। उन बेचारों को उनकी दावतों का और उल्टा खर्चा उठाना पड़ता है। पुलिस ने आज तक साल दो साल में जितने भी डाके पड़े हैं उन डाके डालने वालों को, एक भी डाकू को आज तक नहीं पकड़ सकी, है यह बड़े ही शर्म की बात है। उन डाकों में लाखों रुपयों का माल गया है, हजारों का नहीं।

अध्यक्ष महोदय, दो-चार महीने पहले देवीलाल जाटव के यहां पर चोरी हुई और उसका तीन-चार माणी गल्ला चला गया। तीन-चार माणी गल्ले को निकालने में कम से कम चोरों को दो-चार घन्टे तो लगे ही होंगे। उसकी औरत ने रिपोर्ट की। उसके बच्चे और आदमी जेल में गिरफ्तार हैं। औरत ने रिपोर्ट की तो पुलिस भागी-भागी तो फिरी, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं ले रहे थे। जब दो-चार आदमी और सरपंच आये तो बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की और फिर उस औरत को धमकाया कि तू तो जान बूझ कर झूठ बोल रही है और गल्ला कोई नहीं निकाला गया होगा। बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। तीन-चार माणी के करीब उसका गल्ला गया। पांच-सात सेर चान्दी का जेवर भी था। हजार-बारह सौ रुपये के नोट भी रखे हुए थे; शायद पुलिस में उसने वह लिखाया या नहीं। जो गल्ला गया उसके सम्बन्ध में गांव के सैंकड़ों लोगों को मालूम है। चोरी भी वहीं के गांव के आदमियों ने ही की और लोग-बाग इतने गुन्डे हैं कि उन गुन्डों के सामने भले आदमी बिल्कुल नहीं बोलते खुले आम आकर। आज के युग में इस प्रकार किसी के यहां चोरी होवे, जानकारी होते हुए भी पुलिस टालमटूली करे, इससे अधिक और क्या शर्म की बात हो सकती है? पुलिस इस रवैये से चोरियां क्या बरामद करायेगी? गुन्डे सरे आम घूमते-फिरते हैं, गांव के लोग जानते हैं कि किसने चोरी की, लेकिन पुलिस टाल-मटूली करती है, इसका क्या रहस्य है?

इधर देहात में गेहूं वगैरह की फसल आती है। जब लोग-बाग फसल काटते होते हैं तो वहां रात को सोते हैं। लेकिन आये दिन उनके क्षेत्र में गल्ले की चोरी हो जाती है। रात को आकर गुन्डे गल्ला ले जाते हैं और गुन्डा-गर्दी करते हैं। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ सालों पहले तक बारां में पुलिस लाइन के साथ दो-तीन घुड़सवार रहते थे, शाम को अपने घोड़ों पर बैठ कर गश्त लगाया करते थे। रोजाना उनका यहीं काम था। अब वहां से लाइन पुलिस हटा दी गई है और उसके स्थान में घुड़सवार भी। इससे क्या हुआ, जो भी गाड़ी वाले मंडी में अपना अनाज बेच कर जाते हैं रुपये-पैसे ले जाते हैं, रास्ते में गुन्डों द्वारा उनको लूट लिया जाता है। पहले तो गुन्डों को डर रहता था कि कहीं घुड़सवार इधर तो नहीं आ निकलें, इससे एक प्रकार से भय सा रहता था। इसलिये अब वहां पर कुछ न कुछ इन्तजाम किया जाना चाहिये ताकि इस प्रकार की लूटपाट न हो सके।

Page No 57

(श्री दयाचन्द सोन)

बारां में एक पुलिस स्टेशन है, उसके नीचे आसपास के सौ सवा सौ गांव हैं। कहीं से भी चोरी आदि की वारदात हो जाय तो उसी को वहां से जाना पड़ता है, इसलिए एक पुलिस स्टेशन से सारे इलाके का काम नहीं चल सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटे-मोटे पुलिस स्टेशन या एक दो पुलिस चौकी और खोल दी जावे तो इस कठिनाई का हल हो सकता है और यह वहां के लिये अच्छा भी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, बारां, जहां प्रमुख मंडी है वहां एक बड़ा नगर भी है। वहां अक्सर चोरियों की, गाडियां वगैरह लूटने की अक्सर घटनायें होती रहती हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि चौरी वगैरह बरामद हो; डाकुओं की, धर पकड़ हो, इसलिए पुलिस की ज्यादा तादाद बढ़ायी जावे और बारां किशनगन्ज आदि जगह पर दस-बीस सिपाहियों की चौकी कायम की जावे तभी पब्लिक को सहूलियत हो सकती है।

इतना ही कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस पर हमारे भी कट मोशन्स हैं। दूसरे कटमोशन्स कन्सीडर करते हैं इस पर बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक घंटे का समय था वह हो गया; मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम राजस्व, कारागार पर जो कट मोशन्स रखे हैं उनको सरेन्डर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां तक तो पहुँचेंगे भी नहीं, मंत्री महोदय !

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनको मैं दो भागों में विभक्त करता हूं। एक तो वे कट मोशन्स हैं जो पुलिस की अकर्मण्यता, पदोवनति, कुछ गल्तियां आदि की विशेष स्थिति पर हैं। और दूसरे कट मोशन्स वे हैं जिसमें माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत प्रश्न रखे हैं; जैसे मुरलीधरजी व्यास ने रतनगढ़, चूरू आदि के सम्बन्ध में रखा। मैं इन पर इतना विशद् रूप से जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रश्न इस सदन में उठ चुके हैं और उनका जवाब भी समय समय पर दिया गया है।

इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों के सामने तथ्य प्रस्तुत करूं मैं इस प्रश्न पर जोर देना चाहता हूं कि आया पुलिस की अकर्मण्यता का आधार है या नहीं ? इसका पर्फोर्मेशन्स कैसा है ? इस सम्बन्ध में पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा के सम्बन्ध में इसके पर्फोर्मेन्सेज़ के आकड़ों को रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, १९६४ में केसेज़ चालान हुए उनकी संख्या इस प्रकार रही :

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चालान केसेज़ संख्या ६० प्र०श०

इसमें से कन्विक्शन हुए ८२ पर्सेन्ट

प्रोपर्टी चोरियों के सम्बन्ध में ५४ पर्सेन्ट

ये सन् ६४ के आंकड़े हैं।

सन् १९६३

चालान ६२ प्र०श०

कन्विक्शन ८१ प्र० श०

रिकवरी ४५ प्रति शत

सन् १९६२

चालान

कन्विक्शन ७९ प्र० श०

रिकवरी ४४

अध्यक्ष महोदय, सन् ६२ और ६३ के मुकाबले जो ६४ के आंकड़े मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं यह पर्फोर्मेन्स ऐसा नहीं है जिससे सदन इस बारे में असन्तोष व्यक्त कर सके।

अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों के मुकाबले अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े रखे जांय तो यहां की स्थिति का दिग्दर्शन भली प्रकार हो जायगा। सब स्टेट्स के आंकड़े मैं रखना नहीं चाहता केवल इतना ही कहकर इस प्रश्न को समाप्त करना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष के जितने राज्य हैं उनके आंकड़े :

चालान के ५७ पर्सेन्ट

कन्विक्शन के ५९ पर्सेन्ट हैं।

ये सन् ६२ के आंकड़े हैं। इनके मुकाबले यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारा पर्फोर्मेन्स किस तरह का रहा है। इससे मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को सन्तोष हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस पर्फोर्मेन्स से पुलिस की क्षमता के प्रश्न पर सदन यह महसूस करेगा कि पुलिस अपने कर्त्तव्य के प्रति स्पष्टतया जागरूक है।

दूसरे माननीय सदस्यों के कटमोशन्स डकैतियों के सम्बन्ध में आए हैं। मेरा विश्वास है कि पाक बोर्डर से जहां डकैती का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को पुलिस के पर्फोर्मेन्स पर पूरा विश्वास है। इसके आंकड़े रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सदन का स्पष्ट मत रहा है, जहां तक डाकुओं के आतंक का प्रश्न है पुलिस पूर्णतया कर्त्तव्यनिष्ठ रही है। सन् ६४ में यह कहे बिना नहीं रह सकता, इनके द्वारा २०० डाकुओं को नष्ट किया गया। डाकू विरोधी यह अभियान पूर्ण रूप से सफल रहा है। सन् ६३ में ११६, सन् ६२ में १०२। यह मुठभेड़ों की संख्या मैंने रखी।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यह आप खुद भी महसूस करेंगे कि जिस पुलिस विभाग में ३६ हजार कर्मचारी हों, जो बहुत व्यापक विभाग है, मैं नहीं कहता कि वहां लेप्सेज़ न हों। यह कहने की स्थिति में भी मैं नहीं हूं कि भ्रष्टाचार नहीं। डिपार्टमेन्ट के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए लेप्सेज होना संभव है, इन-ऐफीशियेन्सी भी संभव है। लेकिन पुलिस के कर्त्तव्यों को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुलिस उत्तरोत्तर क्षमता में आगे बढ रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान में कितने डकैत पकड़े गए, डकैतियां कितनी हुई, कितना माल गया, रिकवर कितना हुआ, यह बतलाइए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : समाप्त करने से पूर्व यह बता कर रहूंगा। मैं अर्ज कर रहा था, पुलिस ने जो अब तक दायित्व निभाया है अपने आपको सुधारने में, अपने एडीट्यूड को रिओरियेन्ट करने में वह काफी सन्तोषजनक है।

रेशनलाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन्स के सम्बन्ध में श्री हनुमान शर्मा के चैयरमैनशिप में एक कमेटी का निर्माण हुआ था। पुलिस स्टेशन्स को रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जमाया गया। यह इस दृष्टिकोण से था कि इनमें अधिक से अधिक क्षमता बढ़े और एफीशियेन्सी बढ़े।

इसी तरह से प्रोसीक्यूशन के सम्बन्ध में बराबर आपत्ति रही है। प्रोसीक्यूशन्स और कन्विक्शन्स-इसमें प्रोसीक्यूशन का ढंग और शैली कुछ त्रुटिपूर्ण हुआ करती थी इसलिए तय किया गया कि प्रोसीक्यूशन के लिए जो प्रोसीक्यूटर्स मुकर्रर किये जायं वे लॉ ग्रेजुएट्स होने चाहिए। उनको ट्रेनिंग दी जा कर प्रोसीक्यूटर्स के पद पर मुकर्रर किया जावे। जो प्रोसीक्यूटर्स ऑलरेडी हैं उनके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ज्यों ज्यों प्रोसीक्यूटर्स ट्रेन्ड मिलते जायेंगे उनको हटाते जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े कर्मचारियों तक के बारे में जो शिकायत रहती है कि उनका दृष्टिकोण संकुचित रहता है, वर्दी पहिन कर आने पर लोगों में आतंक पैदा होता है। तो हम इसके प्रति जागरूक है। पुलिस कुछ ऐसी बने कि जिसमें लोगों का विश्वास पैदा हो, यह हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के माइन्ड को ब्रोडन करने की उसकी एफीशियेन्सी को बढ़ाने की यह विभाग कोशिश कर रहा है। हमारे बराबर प्रयत्न हैं कि उनका आउटलुक ब्रोडन किया जावे, रिओरियेन्ट किया जावे और इसके लिये हम रिफ्रेशर्स कोर्स भी करते हैं और इस प्रश्न पर जनता के सम्बन्ध में उनके प्रति उनका क्या कर्त्तव्य होने चाहिये इसकी तरफ उनको सजग किया जाता है।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, इन्टेलीजेन्स ब्रान्च को भी....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : डी वाई. एस. पी. के रेंक के भी इस ट्रेनिंग में जाते हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्यों नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : आप 'हां' कह दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : आप जरा पूछ लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : करप्शन बहुत ज्यादा है और उस पर कुछ ने जोर दिया। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ३६ हजार की संख्या इस विभाग की है वहां कुछ न कुछ उदाहरण ऐसे मिलते रहते हैं। पर इसके सम्बन्ध में भी हमारा पर्फोर्मेन्स इस बात का द्योतक होगा कि हम कितने इसके प्रति जागरूक हैं।

मैं इस अवसर पर कितने अफसर कन्विक्ट हुए हैं इसके आंकड़े यहां उद्धृत करना मुनासिब समझूंगा :

सन् ६२ में २

सन् ६३ में ६

सन् ६४ में ४

इसी तरह से पुलिस ऑफिसर्स जो डिपार्टमेन्टली डील किये जा रहे हैं उनके आंकड़े देता हूं :

६४ में २७८४ पुलिस कर्मचारी और ५२ ऑफिसर्स प्रोसीक्यूट किये गये।

६३ में इक्वल नम्बर २८२८ ऑफिसर्स डिपार्टमेन्टली डील किये गये।

अब इन आंकड़ों से स्पष्टतया यह प्रतीत होगा कि जहां तक पुलिस अफसरों के करप्शन का सवाल है और लैप्सेज का सवाल है सरकार इनके प्रति जागरूक है और यह डिपार्टमेंट किसी तरह से इसकी अवहेलना नहीं करता कि वे लैप्सेज़ कमिट करें और हम उदासीन रहें।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, पुलिस कॉन्स्टेबल की वेतन श्रृंखला के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर भारत के सभी राज्यों के स्तर पर मुकाबला करके इसका अवलोकन किया जाना चाहिए। मैं जहां तक कॉन्स्टेबल की वेतन श्रृंखला का प्रश्न है स्पष्टतया कह सकता हूं कि सिवाय एक-दो स्टेटों के, जिनमें एक पंजाब भी है, एक दूसरी हो सकती है, हम इस स्थिति पर हैं कहने के, कि किसी तरह से उनसे असंतोषप्रद नहीं है; हम उनके मुकाबले में हैं।

लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम जो कॉन्स्टेबल को और दूसरे छोटे कर्मचारियों को फेसीलिटीज़ देते हैं तनख्वाह के साथ, उनको समावेश करते हैं तो उनको देखते हुए काफी संतोषजनक कहा जा सकता है। उनके अलाउन्स का मैं जिक्र कर देता हूं जो हम उनको तनख्वाह के अतिरिक्त देते हैं। कॉन्स्टेबल और हैड-कॉन्स्टेबल को मैंसिग अलाउन्स ५) और ६); कॉन्स्टेबल को ५), व आर्म्ड कॉन्स्टेबल और हैड-कॉन्स्टेबल को ६)।

इसी तरह आर. ए. सी. का देख लीजिये :—

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

	डेली अलाउन्स	मैसिंग अलाउन्स
कम्पनी कमान्डर को	२०)	--
आर. सी.	२०)	—
प्लाटून कमान्डर	१५)	—
हैड-कॉन्स्टेबल	५)	२०)
कॉन्स्टेबल	४)	२०)

R. A. Allowance

Company Commanders	25/-
Platoon Commanders	15/-
Head Constables	10/-
Constables	7/-

तो इनको देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि यह वेतन शृंखला दूसरी स्टेटों से कम है ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जब वह छुट्टी पर जाता है कॉन्स्टेबल को रेलवे का फ्री वारन्ट पास भी देते हैं । आर. ए. सी. के लिए हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत क्वार्टर्स बनाने का आयोजन भी कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है ।

तो जैसी वित्तीय स्थिति हमारी है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि हमारी वेतन शृंखला या अलाउन्स के लिए कोई असंतोष प्रकट करता हो ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कहा गया कि प्रोमोशन के प्रश्न पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं या होती हैं । मैं समझने में असमर्थ हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ये प्रोमोशन्स आर. सी. एस. आर. ६३ के रूल्स के अन्तर्गत होते हैं और आर. ए. एस. ५४ के अन्तर्गत होते हैं । ऐसी स्थिति में कोई गड़बड़ी की सम्भावना नहीं है । और इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने सिवाय एक उदाहरण के कुछ नहीं कहा ।

५५ साल के बाद एक्सटेन्शन में गड़बड़ियां होती हैं, यह भी कहा गया । पर इसके लिये भी अर्ज करूं कि यह भी उसके पिछले सर्विस रेकॉर्ड को पूरी तरह से देखने और जांचने के बाद दिया जाता है । तो इसकी भी गड़बड़ी की सम्भावना नहीं हो सकती । इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रोमोशन का जहां तक सवाल है या एक्सटेन्शन का सवाल है गड़बड़ी की बात होना निर्मूल है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस सिलसिले में रूल्स का हवाला देकर कहा गया कि प्रोमोशन वगैरह में गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिये । पर आप क्या यह बता सकते हैं कि प्रोमोशन के मामले में कितनी एप्लीकेशनें आपके पास फैसलों के लिए पेन्डिंग में पड़ी हैं ?

और मैं खास तौर से कहता हूं अजमेर के पुलिस वालों के साथ बहुत ज्यादती हुई है और उनको गिरा कर सबके नीचे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

किया गया है । आप बताइये कि आपके पास कितनी अपीलें ऐसे मामलों की पेन्डिंग में पड़ी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको भ्रान्ति है, वह मैं दूर कर देना चाहता हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : भ्रांन्ति नहीं है, अत्यन्त सत्य है । यह सरकार अजमेर पुलिस के लोगों को न्याय देने में असमर्थ रही है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अजमेर पुलिस के सम्बन्ध में उनको चिन्ता होना स्वभाविक है । कितनी दर्ख्वास्तें पेन्डिंग में हैं.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इतने दिनों के बाद भी आप मुझे अजमेर के लिए चिन्तातुर होने की बात को स्वभाविक कहते हैं ? आप मुझे अजमेर का कहते हैं, आप उदयपुर का मानते हैं अपने को । आप मेरे पर क्या लगाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके लिये नहीं कहा, नसीराबाद से आने वाले हैं आप तो । तो मैं कह रहा था कि रूल्स के अन्तर्गत प्रोविजन है अपीलें करने का तो अभी मेरे पास कोई संख्या नहीं है कितनी दर्ख्वास्तें हैं । अगर आप मुझ को अजमेर की दर्ख्वास्तों के सम्बन्ध में आंकड़े दें कि इन रूल्स के अन्तर्गत इतनी दर्ख्वास्तें हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन पर निर्णय लिया जावेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा मजेदार ढंग से बोला करते हैं । सीधी बात है आंकड़े उनके पास हैं, मेरे पास कहां से आ सकते हैं ? मैं मिनिस्टर तो हूँ नहीं । साफ है कि आपके यहां मामले पेन्डिंग में हैं, आपके पास रेकॉर्ड है तो आप बताइये । कितने सैटल हुए, कितने बाकी हैं । हर कैडर के लोगों के बाकी हैं । आप बताइये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरे पास अभी इत्तिला नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसका मतलब यह है कि भ्रांति आपको है, हमको नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जिस प्रमोशन के मामले में अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय कह रहे हैं कि प्रोमोशन में कोई........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले उत्तर सुन लीजिये ।

श्री अब्दुलजब्बार : एक बात........

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये ! ऑर्डर प्लीज़ !

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि यह चिन्ता माननीय सदस्यों को होना स्वाभाविक

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है कि हमारे यहां की पुलिस अच्छे स्तर की हो, उनको सुविधायें और मिलें, उनकी तनख्वाहें अच्छी हों ताकि वह एफीशियेन्टली काम कर सके ; उसी दृष्टि से उस संबंध में जो हम कदम उठा रहे हैं उनको सदन के सामने रखना उपयुक्त समझूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह कदम राज्य सरकार की ओर से और पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से हमने सेन्ट्रल वेलफेयर फण्ड, पुलिस बेनीवोलेन्ट फण्ड, केन्टीन फण्ड—इस तरह के दो–तीन फण्ड खोल रखे हैं ताकि पुलिस कर्मचारियों को सुविधायें मिल सकें। इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों को एडल्ट एज्यूकेशन के संबंध में हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सेन्टर्स खोल रखे हैं कि जिससे पुलिस कर्मचारी पढ़ सकेंगे और आगे के प्रोमोशन ले सकेंगे। इस तरह से हाउसिंग स्कीम, कोऑपरेटिव स्कीम फोर एम्प्लॉईज; यह भी हमने खोल रखी है पुलिस कर्मचारियों के लिये।

अब अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और रहता है माननीय श्री प्रोफेसर केदार का। उस प्रश्न का, अधिकतर, 'अधिकतर' से ही नहीं पूर्ण रूप से उस प्रश्न पर विवेचना भी की, चिंता भी व्यक्त की और यह भी कहा कि जो यहां डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स में इन्टर्न हुए हैं उन व्यक्तियों को छोड़ना भी चाहिए, सुविधायें भी दी जानी चाहिए और उनको नहीं छोड़ना राज्य सरकार का अन्याय करना है; इस तरह की उन्होंने भावनायें व्यक्त कीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं और माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उसका भी हवाला दिया जो कि केन्द्रीय होम मिनिस्टर साहब ने १८ फरवरी, ६५ को एक स्टेटमेन्ट में पार्लियामेंट में रखा। उससे माननीय सदस्य एक संकेत ले सकते हैं। लेफ्टिस्ट, वामपंथी कॉम्युनिस्टों की विचारधारा, हमारे राज्य और राष्ट्र के हित में उनके कार्यक्रम, इस सम्बन्ध में एक बार नहीं पार्लियामेन्ट में भी अनेक बार चर्चायें हो चुकी हैं, यत्रतत्र इसकी चर्चायें हो चुकी हैं और सारा राष्ट्र इस मत का है कि वामपंथी कॉम्युनिस्टों के संबंध में इस सदन में इस संबंध में बारबार जब कोई सवाल आया तो सदन ने इस पर चिन्ता व्यक्त की और वह इसलिए व्यक्त की कि जिनकी कार्यवाहियों के संबध में पीकिंग रेडियो इस राष्ट्र पर रोष करता है और इस राष्ट्र को गालियां देता है, उनके इन्टर्न के संबंध में, सिर्फ यह ही तथ्य ऐसा है कि जिसके ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी इनकी कार्यवाहियां हमारे राष्ट्र के लिए कितनी घातक हो सकती हैं। मेरा तो यह विश्वास था कि माननीय सदस्य पूर्ण रूप से डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, और शायद इनके प्रति मेरा और सदन के सभी माननीय सदस्यों का बड़ा सम्मान है और वह सम्मान इसलिए है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ योग दिया और अभी भी जिस निष्पक्षता से अपनी अभिव्यक्ति को रखते हैं उससे हम निर्णय लेते हैं कि माननीय सदस्य इस सारे प्रश्न पर राष्ट्र के हित में विचार करते रहें।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा इस संबंध में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ दो-तीन बातें हा कह कर समाप्त करूंगा। यह राष्ट्र विरोधी तत्वों को निर्मूल करने के लिए हमदर्दी का आधार नहीं होना चाहिये, सहानुभूति के आधार पर नहीं होना चाहिये। राष्ट्र के हित में क्या है उस तत्व को समझ कर ही हमें कदम उठाने चाहिये। इसी आधार पर मैं उन तथ्यों पर नहीं जाना चाहता हूं कि किस आधार पर हमने इनको इन्टर्न किया। फिर भी जहां तक इन्साफ का प्रश्न है इन्टर्न करने के बाद इन्साफ किया जाता है रूल १३१ (क), (ख) और उसके बाद रूल ३४ (क) के अन्तर्गत। सारे तथ्यों को देखते हैं कि किन आधारों पर इनको इन्टर्न किया गया है। तो मैं इस केस में यही कह सकता हूं कि इस सारे सवाल को आॅथोरिटीज़ ने देखा और उन्होंने अपना संतोष जाहिर किया। इसके परे, अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहने की स्थिति में नहीं हूं और न कहना चाहता हूं। यह उनके भी हित में है और हमारे भी हित में है कि हम इस प्रश्न पर मौन रहें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जहां सहानुभूति के आधार पर इस प्रश्न को उठाया मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि आपका भी कर्त्तव्य है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व जो इस राष्ट्र में पनपते हैं तो उनके संबंध में कुछ कहना या नहीं कहना, यह तो आपका प्रश्न है, लेकिन ऐसे तत्वों को राष्ट्र में निर्मूल नहीं करेंगे तो हम राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में मैं और कुछ अर्ज नहीं करना चाहता हूं।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री मुरलीधरजी ने चूरू और रतनगढ़ के संबंध में फिर सवाल उपस्थित किया है। मैं इस संबंध में इतना ही कह देना चाहता हूं कि बार बार यह प्रश्न उठाया जाये और बार बार उनका निराकरण किया जाये तो भी उनको संतोष नहीं हो सकता है। हमको तो संतोष हो सकता है, लेकिन यह प्रश्न ऐसा उनके जीवन के साथ लगा हुआ है कि उनको संतोष होना सम्भव नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस प्रश्न को यहां रखा। बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से चूरू और रतनगढ़ के प्रश्न को लिया। माननीय सदस्य अनेक बार इस प्रश्न को यहां लाये। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उनका निराकरण किया और मुख्य मंत्रीजी ने भी उसके संबंध में बहुत कुछ कहा। उसके परे मैं अब कैसे संतोष दिलाऊं ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप स्पष्ट कहें, जो कुछ आपको कहना है। संतरामजी की रिपोर्ट क्या है और सही रूप में मामला क्या है—सब कुछ कहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर भी मैं उस ओर प्रयत्न करूं और मुझे विश्वास है कि आपको संतोष नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : हो जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी प्रश्न ऐसा है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने आंखों से देखा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को, इन्सीडेन्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मानता हूं और पार्टी ऑफ इन्सीडेन्ट कहने के बाद निष्पक्ष राय रखना बहुत मुश्किल है; लेकिन मैं इसके संबंध में सिर्फ एक ही अर्ज करना चाहता हूं कि आपको भ्रांति जो २६ तारीख की रतनगढ़ के इन्सीडेन्स में है कि श्री संतरामजी ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो आपकी मान्यताओं के संबंध में कुछ मुफीद राय रखती हो, ऐसा नहीं है। यह मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं और मैं इस तथ्य पर आना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां बहुत कुछ कहा था इस इन्सीडेन्ट रतनगढ़ पर। यदि इस घटना का मुकाबिला किया जाये तो हिन्दी एजीटेशन के जो इन्सीडेन्स हुए हैं उससे बराबर उसका मुकाबिला होता है और इसलिये होता है कि जो विद्यार्थियों को इन्स्टीगेट करके उनसे गाड़ियां रुकवाई, शीशे तोड़े, तार तोड़ दें और पुलिस की कार....

श्री मुरलीधर व्यास : इन्स्टीगेट करने वालों को आप फांसी की सजा दो। आप एक नाम तो बताओ जिसने इन्स्टीगेट किया। ऐसे, भाषण से, काम नहीं चलता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता....

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में आप कहते हैं, आप एक-दो के नाम तो बताओ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा अर्ज यह है कि उन्होंने संतरामजी की रिपोर्ट को रेफर किया और उसके मातहत यह कहा कि उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। सदन में इतनी बात इधर से और उधर से उठी हो तो जिस डॉक्युमेन्ट को ये रेफर कर रहे हैं तो उसको टेबल ऑफ दी हाउस पर रख देना चाहिए जिससे सारी पेचीदगियां दूर हो जायें। जब कि ये माननीय सदस्य किसी डॉक्युमेंट को रेफर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनके पक्ष में नहीं है तो आप उसको यहां पर रख दो। नहीं तो, नहीं रखते हैं तो शायद इनके पक्ष में निकल जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं, अध्यक्ष महोदय, जब रतनगढ़ और चूरू इन्सीडेन्स के बारे में चर्चा चल रही थी तो इधर से एक उदाहरण दिया गया था और उन्होंने अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण सामने रखा था। अगर आपको स्मरण हो तो यह कहा गया था कि सर्कस रिंग मास्टर की तरह से कोई पिंजरे में बंद होकर शेरों से मुकाबला करे और कह दें कि मैं कितना बहादुर हूं। उन्होंने बड़े तरीके से यहां उस घटना पर प्रकाश डाला था, मैं उसके ऊपर यहां आभार प्रदर्शित करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन उन्होंने इस समस्या

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

को पूरी तरह से समझा। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं वापिस वह तथ्य रखूं और माननीय सदस्य कुछ संतोष मेरे प्रति व्यक्त करेंगे।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उसमें किसी के लाठी चार्ज करने का ऑर्डर देने का प्रश्न नहीं था। अगर मौब किया जाय, मोटरों, कारों, रेलगाड़ी पर पत्थर फेंके जायं, तार तोड़े जायं और एस. डी. ओ. के मकान पर हमला किया जाय....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं कि तार तोड़े जायं या रेलगाड़ी पर पत्थर फेंके जायं; तो यह कौन से दिन का और कब का आप कह रहे हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि २६ तारीख को आम सभा में जब कि पब्लिक मीटिंग हो उस मीटिंग के ऊपर पुलिस को आकर लाठी चार्ज करने का क्या कारण था, क्या वाकया था ? क्यों आना पड़ा ? मैं यह चाहता हूं कि किसी ने अगर भड़काया है तो उनके नाम बतलाये जायं कि उन्होंने कहा इस प्रकार कि रेल पर पत्थर मारें ? आप उनके नाम तो बताएं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इतना ही कह कर इस प्रश्न पर आगे बढ़ाना चाहता हूं कि चूरू और रतनगढ़ का प्रश्न जो है वह माननीय सदस्य के द्वारा रखा जायगा और रखा जाता रहेगा, और इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो एक स्टेटमेंट है वह पर्याप्त है, और जो स्थिति वहां पर पैदा हुई थी उस स्थिति के आधार पर २५ तारीख को माननीय राजस्व मंत्री को जिस तरह से हैकल किया गया और १४४ के बाद भी उसको तोड़ा गया, ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को नहीं उठायें।

श्री मुरलीधर व्यास : २५ तारीख की घटना के बारे में नहीं, २६ तारीख की घटना के बारे में मेरा कटमोशन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कानून को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कटमोशन २६ तारीख के लाठी चार्ज के बारे में स्पष्ट है। आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं २५ तारीख के मामले पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब का क्या हुआ और क्या नहीं, पर मेरा २६ तारीख के बारे में है कि वहां पर जो लाठी चार्ज हुआ है वह किस तरह से हुआ है कि दूकानों से बुला-बुला कर लोगों को

Page No 67

(श्री मुरलीधर व्यास)

पीटा गया है। वहां पर किसी मजिस्ट्रेट ने हुक्म नहीं दिया। मैं २६ तारीख के विषय में खासतौर से जवाब चाहता हूं; दूसरे विषय में नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कितना भी कहूं; मैं यह समझता हूं कि मेरे कहने से माननीय सदस्य को संतोष नहीं होगा। वह इसलिए नहीं होगा कि यदि माननीय सदस्य दूसरों को समझने का प्रयत्न करते तो मुमकिन है कि कुछ निष्पक्ष निर्णय पर पहुंच गये होते। चूंकि माननीय सदस्य सारे प्रश्न के अन्दर इन्वोल्व्ड हैं........

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इन्वोल्व्ड हूं, तो कार्यवाही करें। आप 'इन्वोल्व्ड' एक सदस्य को कहना चाहते हैं तो उस पर कार्यवाही करें। आप जब कहते हैं कि मैं दोषी हूं तो उस पर कार्यवाही करें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनजान जनता जो बेचारी सभा में बैठी थी उसको लाठी से मारा गया और दूकानों से बुला बुला कर लोगों को मारने का कौन सा हक था आपको ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये जो स्थितियां वर्णित की गई हैं, अध्यक्ष महोदय,.......

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि इन सदस्य को सन्तोष नहीं होता है, लेकिन कम से कम हाउस के दूसरे सदस्यों को तो सन्तोष कराइये। यह कोई डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है कि एक सदस्य के ऊपर इस तरह से बोल कर होल हाउस का टेम्पो खराब कर रहे है!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सवाल.......

श्री अध्यक्ष : वे (मंत्री महोदय) जवाब दे रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब आप फर्मा रहे हैं कि उसकी जांच हो चुकी है एक उच्चाधिकारी के द्वारा तो इसमें क्या एतराज है कि आप उस जांच के बारे में जिसका कि काफी हवाला दे रहे हैं सब सदस्यों की जानकारी के लिए और शक दूर होने के लिए तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय तो उसको देखने के बाद सब सदस्यों के आइडियाज़ साफ हो जायेंगे। इसलिए उसको सदन की मेज पर रखा जाय और मंत्री महोदय इसको रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं ? वे कहते हैं कि सरकार सही है और पुलिस ने जो कुछ किया है वह सही किया है। जांच कमेटी की इसके पक्ष में रिपोर्ट है तो उसको रखने में क्या एतराज

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है ? उसको रखवा दिया जाय । इस पर मैं कहना चाहता हूं कि आप उसको रखने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसका जवाब दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तैयार हूं या नहीं, यह प्रश्न नहीं है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं तो बताइये कि आप तैयार हैं कि नहीं ? और कौन तैयार होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह जो रिपोर्ट है जिसका कि संकेत किया गया है वह डी० आई० जी० की डिपार्टमेंट के दृष्टिकोण से है कि दरअसल में क्या वाके-आत थे और किस तरह से यह स्थिति पैदा हुई है और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जो यह फर्मा रहे हैं तो मैंने स्वयं ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे ही पत्र का हवाला देते हुए कि इन्होंने यह बात रखी है वह सही है या गलत है, संतरामजी को कहा कि इसकी एन्क्वायरी करो। वह जो एन्क्वायरी हुई है वह मेरे पत्र के आधार पर हुई है । जब मुख्य मंत्रीजी ने मेरे स्वयं के लिखे हुए पत्र को देकर उसकी एन्क्वायरी करवाई है तो वह डिपार्टमेंटल नहीं है । मैंने सदस्य के नाते जो कुछ हुआ है वह खुला लिखा है । अगर मेरी बात एक रत्ती भर भी गलत हो तो माननीय मंत्री महोदय जो अभी रिप्लाई दे रहे हैं तो उसका एक ही हल है कि उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखें; तो मेरी बात सही है या गलत, वह सामने आ जायेगी । जो कुछ इन्क्वायरी हुई है वह मेरे पत्र के आधार पर हुई है । उन्होंने संतराम जी को पत्र लिखा है कि इनका यह पत्र है, इस आधार पर इन्क्वायरी करो; यह डिपार्ट-मेंटल एन्क्वायरी नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने पत्र लिखा माननीय मुख्य मंत्रीजी को उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन परिस्थितियों को जानना चाहा । उन्होंने अपने डी० आई० जी० को भेजा कि दरअसल में जो माननीय सदस्य कहते हैं वह पुलिस के आधार पर ठीक है या नहीं, फोर दी सेटिस्फेक्शन ऑफ दी चीफ मिनिस्टर । इसलिए डी० आई० जी० को भेज कर उस सारी स्थिति का चीफ मिनिस्टर ने अपने आप अध्ययन किया । अब वह अध्ययन, अध्यक्ष महोदय, पुलिस ऑफिसर द्वारा कराया गया तो वह कॉन्फीडेन्शियल और प्रिविलेज्ड है । जहां तक इस डिपार्टमेंट का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

संबंध है, अगर मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी होती, अध्यक्ष महोदय, तो बात दूसरी थी; तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि आपने बावरियों का जिक्र फिर किया···

श्री मुरलीधर व्यास : आपने संतरामजी की रिपोर्ट को कॉन्फीडेन्शियल कहा है वह हमारी समझ में नहीं आता है। एक पब्लिक एन्क्वायरी एक चिट्ठी पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करवाई। पुलिस ने जनता पर लाठी मारी, यह बात सही है; तो कौनसी कॉन्फीडेन्शियल बात हो गई? दूसरी बात में तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक हित में नहीं, लेकिन यहां तो पब्लिक हित में है बताना उसका।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप वाक्य ही तो समाप्त नहीं होने दे रहे हैं, मैंने जो बावरियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की माननीय सदस्यों की मांग थी कि उस रिपोर्ट को यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए; वह मजिस्ट्रेट से एन्क्वायरी कन्डक्ट की गई थी और मैंने उसको जुडीशियल एन्क्वायरी मानकर माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए उसी वक्त रख दिया। हम जानते हैं कि इस स्थिति में यह सारी बातें हुई हैं, लेकिन माननीय सदस्य को, मुख्य मंत्रीजी ने कहा, उससे सन्तोष हो जाय, ऐसा जानकर कि आपने जो पत्र लिखा है उस आधार पर जो जानकारी हमारे स्तर पर लेनी थी इम्पार्शियल किसी पुलिस ऑफिसर के मीडियम से, तो हमने उसकी जानकारी ली आपके दृष्टि बिन्दु को सामने रखते हुए; वह जानकारी, अध्यक्ष महोदय, हमारी है पुलिस की। माननीय मुख्य मंत्री ने संतोष दिया उस सम्बन्ध में। इसलिए मैं उसके आधार पर सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि यह पुलिस का डॉक्युमेंट है, कॉन्फीडेन्शियल है और जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं है। इसलिए मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज इस सम्बन्ध में क्लेम करता हूं। इससे अधिक इस विषय में नहीं कहना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का सवाल है। इन्होंने एक पत्र दिया या हम दें और एन्क्वायरी यह करायें और उसको रेफर करना चाहें तो ये कैसे कॉन्फीडेन्स दिलायें इस बात का कि उसके अन्दर इनके खिलाफ है। जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को रेफर करने के बाद उनके पास में वे डॉक्युमेंट्स हैं और डॉक्युमेंट हैं पक्ष में सरकार के और उसके बाद यह कहने के सरकार उसको रेफर करे तो यह

Page No 70

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपकी व्यवस्था का सवाल है कि उस डॉक्युमेंट को यहां रखें और कॉन्फीडेन्शियल उसमें क्या रहा ? वह सरकार के पक्ष में है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह ठीक किया है। उसके बाद एन्क्वायरी हुई है, उसके बाद मिनिस्टर साहब ने सन्तोष दिलाया है कि वह ठीक तरह से हुआ है।

(२.०० म. प.)

उसके बाद उसको रेफर करते हुए नतीजे पर ही सरकार पहुंची है। ऐसी हालत में डॉक्युमेन्ट को हाउस की मेज पर रख देने में हर्ज क्या है ? आप चाहते हैं कि प्रोटेक्शन मिले, लेकिन मेरी नाकिस राय में मैं कहूंगा कि जिसको रेफर किया है उसको रखना चाहिये सदन की मेज पर। यह यहां की प्रथा बनी है; दूसरों से भी रखवाते हैं, हमसे भी कई दफा कागज छिनवाये हैं. इसलिये इनसे भी छिनवाकर रखवा दिया जाय।

(हियर—हियर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह मांग की है कि जो रिपोर्ट डी. आई. जी. पी., रेन्ज ने सरकार को दी है इस घटना के संबंध में उसको सदन की मेज पर रखा जाय, इस बारे में मंत्रीजी ने विस्तार से कहा है कि वे इसे क्यों पेश करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि वे प्रिविलेज क्लेम करते हैं। प्रिविलेज क्लेम करना उचित है या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्यों ने विभिन्न तरीकों से कहा; अपील की, सारी बातें स्पष्ट कीं और कहा कि इस दस्तावेज़ को सदन की मेज पर रखना चाहिये, इस पर भी यदि वे तैयार नहीं हैं रखने के लिये और प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो उनको रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये एक बात बता दें कि संतरामजी ने इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है क्या कि पुलिस ने टेक्टफुली यहां काम नहीं किया, इसलिये स्थिति बिगड़ी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं रिपोर्ट को बार बार रेफर नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय ने मुझे प्रिविलेज ग्रान्ट किया है। इतना कह सकता हूं कि आपकी भ्रान्ति है, ऐसा नहीं है.......

श्री भैरोंसिंह : एक चीज तो रेफर कर दी कि जो कुछ शिकायत थी उसके सम्बन्ध में भ्रान्ति नहीं है; संतरामजी की रिपोर्ट हमारे मुफीद नहीं है, यह वर्णन तो दे दिया। दूसरा वर्णन यह है कि क्या

(श्री भैरोंसिंह)

रिपोर्ट में यह है कि पुलिस ने टेक्टफुली काम नहीं किया इसलिये स्थिति बिगड़ी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिपोर्ट में है या नहीं हमारी जानकारी पुलिस ऑफिसर्स से मिलेगी...

श्री भैरोंसिंह : आप रिपोर्ट के जरिये से बताइये, पुलिस ऑफिसर्स के जरिये से नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो कुछ मेरे पास है उससे मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने टेक्टफुली काम नहीं किया, यह बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट के आधार पर बताइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं रिपोर्ट पर ही नहीं, सारे तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं।

सारी बातें देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने टेक्टफुली काम नहीं किया ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने ठीक कार्य किया।

श्री भैरोंसिंह : इस रिपोर्ट में ऐसी बात है क्या कि पुलिस ने टेक्टफुली काम नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिपोर्ट में है या नहीं इसके लिये तो मुझे अध्यक्ष महोदय ने प्रिविलेज ग्रान्ट किया है। मैं दूसरा वर्शन रखूं तो दूसरा प्रश्न आयेगा कि रिपोर्ट को रखा जाय। जो कुछ है, कई डॉक्युमेन्ट्स आ सकते हैं इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि रिपोर्ट को यहां लाना ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट को ये प्रिविलेज्ड डॉक्युमेन्ट क्लेम करते हैं उसका कोई रेफरेन्स हाउस में नहीं दिया जाय। उसमें से यदि कोई बात यहां कही गई है तो वह निराधार है इसलिये वह हाउस की प्रोसिडिंग्ज में से डिलीट की जानी चाहिये। रिपोर्ट में पुलिस के सम्बन्ध में इस प्रकार का आरोप लिखा है कि उसने टेक्टफुली काम नहीं किया, इस कारण से स्थिति बिगड़ी; या तो मंत्रीजी स्पष्टीकरण करें कि उसमें यह नहीं है। यदि स्पष्टीकरण नहीं करते हैं तो उन्होंने जो कुछ रिपोर्ट के आधार पर यहां कहा है उसे एक्सपन्ज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ मंत्रीजी ने कहा है उसे कार्यवाही में से एक्सपन्ज करने का प्रश्न इसलिये पैदा नहीं होता कि उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर जिनमें से एक रिपोर्ट भी है, इन सारी बातों का

(श्री अध्यक्ष)

हवाला देते हुए अपने विचार रखे । माननीय सदस्य ने जो बात उठाई कि इनको कार्यवाही से हटाया जाय उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती । मंत्रीजी जल्दी ही बहस समाप्त करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्यों ने दूसरे प्रश्न उठाये हैं वे बजट पर होने वाली बहस के समय पुनः आयेंगे तब उनका उत्तर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव कम हैं इसलिये थोड़ा थोड़ा उत्तर हरेक का दे दीजिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्री मुरलीधरजी ने बहुत कुछ कहा; बलवन्तसिंह के बारे में कहा कि वह मारा गया । यह प्रश्न कई बार सदन में आ चुका है । उसमें ट्रायल हुआ, एक्विटल हुआ उसके बाद यह प्रश्न वापिस आवे यह मेरे ख्याल से ठीक जमता नहीं । कोर्ट के सामने जाकर जिन बातों का निर्णय किया जा चुका है उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन फेक्ट्स के सम्बन्ध में विश्लेषण करना ठीक नहीं जमता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह गवर्नमेन्ट तो तभी ठिकाने आ सकती है जब कोई रिपोर्ट श्री कामथ की तरह सदन में रखी जाय और फिर इनसे पुछा जाय कि बताओ यह ठीक है या नहीं, तभी यह काबू में आ सकती हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, क्राइम्स के सम्बन्ध में कहा गया कि इस राज्य में क्राइम्स का प्रोपोर्शन या एवरेज बढ़ा है । इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश कट मोशन्स में आता है । मेरा विश्वास है अध्यक्ष महोदय, क्राइम्स का एवरेज राजस्थान में...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बढ़ा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितने राज्य हैं इस भारतवर्ष में उन सबके आंकड़ों को यदि देखा जाय तो यह प्रगट होगा कि हर राज्य में क्राइम्स का एवरेज बढ़ा है । रहा सवाल राजस्थान का, माननीय सदस्य जानते हैं कि क्राइम्स का एवरेज बढ़ा, उसका आधार और कारण क्या हो सकता है ? कारण स्पष्ट है । मैं यह नहीं कह सकता कि पोपुलेशन बढ़ी, इसलिये एवरेज बढ़ी, यह एक कारण हो सकता है, वन ऑफ दि सर्कम्सटान्सेज़ हो सकता है । लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी निश्चित नीति है कि क्राइम्स का रजिस्ट्रेशन हो पूरी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तरह से । पहले पुलिस ऑफिसर्स कुछ क्राइम्स को रजिस्टर नहीं करते थे लेकिन हमने उनको आगाह किया है कि जो भी आवे उनको रजिस्टर कर लिया जाय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह खास बात की है, आपने यह स्वीकार तो किया कि पहले क्राइम्स रजिस्टर नहीं होते थे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, एक ओर हम इस मुद्दे पर आये, दूसरी ओर हमारे यहां लिट्रेसी बढ़ी, पोलिटिकल कॉन्श्यसनेस लोगों में बढ़ी, सोशियल कॉन्श्यसनेस बढ़ी । सारे राजस्थान में एक तरह से कॉन्श्यसनेस और अवेकनिंग के पोइन्ट पर इवोल्युशन हुआ है । जो आदमी पहले पुलिस स्टेशन पर जाने से गुरेज करते थे वे अवेकनिंग के आधार पर पुलिस स्टेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं । दूसरी ओर सहूलियतें बढ़ी हैं, पुलिस अधिकारियों के आउटलुक का उत्थान हुआ है । वे जानते हैं कि ऐसा न करें जिससे कि जनता को कष्ट होता हो । मैं कहना चाहता हूं कि आउटलुक एक बहुत बड़ा फैक्टर है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस में अभी अभी रजिस्ट्री मिली है जिसमें लिखा है कि किसी की लड़की को उठाकर ले गये, पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही है; और भी कई मामले सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, कई फोटोज मेरे पास हैं जिनमें केस रजिस्टर नहीं होते ।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जो कहते हैं उसको मानकर चलूंगा ।

मैंने यह निवेदन किया है कि पुलिस की व्यवस्था में ३६ हजार व्यक्तियों पर अनुशासन और नियन्त्रण रखना बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे दृष्टि में रखकर हमें इस पर सोचना चाहिये । इतने बड़े मामले में एक-दो रह सकते हैं ।

(सर्व श्री रघुनाथ बिश्नोई, दलपतसिंह एवं अब्दुलजब्बार के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने और बोलने पर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह ३६ हजार-३६ हजार की रट हम नहीं सुनना चाहते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब श्री अब्दुलजब्बार साहब ने मामला रखा । मैं ऐसी स्थिति में निवेदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं कड़ा कदम लूंगा ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तो हम यह नहीं कहते कि सारी व्यवस्था पूरी तरह ठीक हो गई है। हम यह भी दावा नहीं करते कि गलतियां नहीं होती। आपने कहा ठीक है। ऐसे उदाहरणों में कड़ा कदम लेना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

तो उस प्रश्न पर कह रहा था कि राजस्थान में इन्डस्ट्री बढ़ रही है तो यह भी एक कारण है क्राइम्स बढ़ने का।

अकाल का प्रश्न है। कई पेचीदगियां समाज में पैदा होती जा रही हैं, कुछ ज्यादा कानून बढ़ते जा रहे हैं और कई स्थितियां पैदा होती जा रही हैं, तो ये सब भी कारण हैं। अगर हम इन सबस कंम्स्टान्सेज को सामूहिक रूप से देखें तो यह क्राइम एवरेज बढ़ना नेचुरल है और इनकन्सोनेन्स ऑफ दी रिवोल्यूशन ऑफ दी सोसाइटी है। सारे देश में भी यह एवरेज बढ़ा है, किसी न किसी रूप में।

अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों के सिवाय श्री दयाचन्द सोन ने जनरलाइजेशन किया है। उनका रिप्लाई डकैती के रूप में आ चुका है एडजोर्नमेन्ट मोशन में। यह ठीक है सेठ छूट कर आया। पैसा देकर आया इसका प्रमाण नहीं है और मैं इसको निराधार मानता हूं।

दूसरा जो प्रश्न रखा गया है...

श्री दयाचन्द सोन (बारां): चार महीने छूट कर नहीं आया।

श्री निरंजननाथ आचार्य: माननीय सदस्य श्री अब्दुलजब्बार साहब ने कहा कि मोटरों का मिसयूज़ होता है। मैं निवेदन कर दूं कि इसके इतने कठिन रूल्स बने हुए हैं जिनकी अवहेलना करना कठिन है और अवहेलना की जाती होगी, यह भी मैं कह सकता हूं। पर पेट्रोल का, माइलेज का कन्ज़म्पशन वगैरह की एन्ट्री लोग बुक में होती है इसकी सारी व्यवस्था है तो इतना होते हुए पोसिबल नहीं है कि मिसयूज़ विहकल का हो सके।

इन शब्दों के साथ मैंने जो कुछ शंकाएं सदन में रखी गई उनका समाधान किया। इस विभाग में जागरूकता, ब्रोड माइन्डेडनेस लाने के प्रति हम जागरूक हैं और आपके सहयोग से अधिक से अधिक हम इस ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): डकैतियों के आंकड़े तो बताइये। आपने अपनी तारीफ-तारीफ तो बता दी, पर यह भी तो बताते जाइये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पुद्दू कोटे में चार आदमियों का मर्डर हो गया, डेढ़ साल हो गया, पता ही नहीं लगा है आज तक।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये आंकड़े डकैतियों के हैं। सदन के प्रांगण पर लाना चाहें तो यहां पर रख दूं या टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दूं।

श्री भैरोंसिंह : यहां बता दिया जावे। राजस्थान में कितनी डकैतियां हुई, कितनी बरामद हुई, कितना माल गया, कितना बरामद हुआ, कितने आदमी ले गये, कितने पुलिस ने बरामद किये, कितने वैसे आ गये, यह बता दीजिये। पुलिस कितना माल बरामद करके लाई, यह भी बता दीजिये। यहीं बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : चोरियों के लिये तो बताया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप तो इसमें भी प्रिविलेज क्लेम करो कि ये आंकड़े नहीं रखे जा सकते सदन की मेज पर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास अध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय उप-मन्त्री महोदय ने आंकड़े यहां रखने का केवल नाटक किया है और सदन का पांच मिनट का समय यों ही खराब किया है। वे यह कह सकते थे कि बताना नहीं चाहता। आंकड़े नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, कागजों में देखने की बात सदन को भ्रम में रखने की बात कही है। कागजों में इनमें कोई इस तरह के आंकड़े नहीं हैं। इन कागजों को अध्यक्ष महोदय, जब्त किया जावे और देखा जावे कि ये डकैती या रिकवरी के बारे में आंकड़े हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : पर भ्रम तो किसी को रहा नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जब आप जानते थे कि इनके पास आंकड़े नहीं हैं तो आपने भी तो इतना कह कर सदन का जान बूझकर समय ज़ाया किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी बात नहीं है कागजात जब्त करने की नौबत आवे। किताब के फार्म में रख सकता हूं। ऐसी शंका मत करिये। मैं इनको कल रख सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : जो कटौती के प्रस्ताव हैं उन सब पर एक साथ ही मतदान किया जावेगा। प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्य सर्व श्री मुरलीधर

(श्री अध्यक्ष)

व्यास, केदारनाथ शर्मा, उमरावसिंह ढाबरिया अब्दुलजब्बार व दयाचन्द सोन ने रखे हैं स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३ लाख तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १

(२.१७ म० प०)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १—भू-राजस्व

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,१०,००० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए—

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों को सौंपे जाने वाले कार्यों पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (काशी स्थित राणा महल की बिक्री में हुई अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू राजस्व में १००रु० की कटौती की जाय। (पटवारियों के वेतन एवं भत्ते आदि संबंधी नियमों का सही रूप से पालन नहीं किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : (४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय। (पटवारियों की विशेष तनख्वाह दिये जाने की प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों के प्रवास गृह निर्माण करने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों की तनख्वाह, मंहगाई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भत्ता में वृद्धि हेतु एवं ट्रैवलिंग अलाउन्स के सम्बन्ध में सरकारी नीति पर बहस करने हेतु)।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : (७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों को एल० डी० सी० क्लर्कों की ग्रेड देने की बाबत बहस करने हेतु)।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : (८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (बन्दोबस्ती सर्वेक्षण तथा अभिलेख सम्बन्धी नवीन कर्मचारी वर्ग पर अनावश्यक खर्चों बाबत बहस करने हेतु)।

(९) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों को सौंपे गये कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय आदि पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (१०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों द्वारा लगान वसूल करने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (११) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों के लिये हैडक्वार्टर पर मकानों की व्यवस्था न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री चौसरसिंह चाबेल (वैर) : (१२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों के भत्ते में अधिक वृद्धि होने के बाबत बहस करने हेतु)।

श्री सागरमल (फुलेरा) : (१३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों को कम से कम ३०) रु० मासिक वेतन में वृद्धि करने की बाबत बहस करने हेतु)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (१४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों के कम वेतन के बारे में बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (१५) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (जिसमें ट्रेसपासर किसानों की भूमि के रेगुलराइजेशन करने पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–मु०) : (१६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों की कम से कम ३०) रु० मासिक वेतन में वृद्धि करने की बाबत बहस करने हेतु)।

Page No 78

(श्री श्रवणलाल)

(१७) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (ट्रेसपासर किसानों की भूमि का रेगुलराइजेशन करने पर बहस करने हेतु)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : (१८) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों को हैडक्वाटर पर मकानों की व्यवस्था होने की बाबत बहस करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (१६) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व मे १००) रु० की कटौती की जाय (आईटम नं० (४) में बताये गये खर्च के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (२०) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला-जालोर में पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उससे ग्राम काश्तकारों में असंतोष पर बहस करने हेतु)।

श्री मोहनराज (वाली) : (२१) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों पर विशेष वेतन व यात्रा भत्ते हेतु औचित्य पर बहस करने हेतु)।

(२२) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (म्यूटेशन के मामलों में पटवारियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर बहस करने हेतु)।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (२३) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (जमीनों पर पटवारियों द्वारा वसूल किया हुआ लगान का खाते में न डालने पर बहस करने हेतु)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (२४) मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू- राजस्व में १००) रु० की कटौती की जाय (पटवारियों को दिये जाने वाली स्पेशल पे के औचित्य पर बहस करने हेतु)।]

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती के प्रस्ताव इस बारे में पेश किये हैं।

पहला प्रस्ताव है कि हमारे इस राजस्थान के अन्दर जो भू-राजस्व विभाग के अन्तर्गत पटवारी लोग काम करते हैं और दिन प्रति दिन उन पटवारियों के काम में जो बढोत्तरी हमारी सरकार कर रही है उसके बारे में ध्यान दिलाने के बारे में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पटवारी जो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि एक छोटा कर्मचारी है और जिसकी तनख्वाह बहुत ही कम है, जब से नम्बरदारी खत्म हुई है तब से उन पटवारियों पर इस बात का भी वजन सरकार ने डाल दिया है कि भू-राजस्व की वसूली वह करे और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसको वह खुद ले जाकर सरकार के खजाने में जमा कराये।

इसके अलावा सिंचाई विभाग की जितनी भी बकाया है या सिंचाई की जो दरें हैं। छोटे मोटे तालाबों की हों चाहे बडे बन्ध की हो वह भी सारी की सारी रकम हमारे पटवारी वसूल करें। पंचायत समिति, कॉआपरेटिव विभाग या इसके अलाट जितनी बकाया है वह भी पटवारी वसूल करे और उस सारी रकम को भी पटवारी ले जाकर सम्बन्धित खजाने में जमा करावे। यही नहीं, इसके अलावा भी जो हमारा विकेन्द्रीकरण हुआ है उसके जेर तहत जो भी पत्थरगढ़ी का काम है रास्ता दुरस्त करने का काम है, खाता गिरदावरी करने का काम है वह भी पटवारियों को करना पड़ता है।

इसके अलावा भू-राजस्व का सारा रेकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी पटवारी पर है, सरकार की तरफ से जितनी कार्यवाही होती है, उसका रेकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी पटवारी पर है, जो भूमि के अलॉटमेंट्स होते हैं उसको मापना और उसका रेकॉर्ड रखना यह पटवारी की जिम्मेदारी होती है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस आदमी के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारियां सरकार की तरफ से डाली जायं उस पटवारी को सरकार किसी प्रकार की सुविधा न दे, किसी प्रकार के साधन नहीं दे, जो तनख्वाह पटवारी की सरकार ने मुकर्रर की है, इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखें तो मैं कह सकता हूं कि जितना काम एक तहसीलदार के पास नहीं है, जितना काम एक रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के पास नहीं है, जितना काम एक एस. डी. ओ. के पास सिवाय कानूनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ कर भू-राजस्व के मामले के काम हैं, एक एस. डी. ओ. को भी उतना काम नहीं करना पड़ता जितना कि एक पटवारी को काम करना पड़ता है। इतनी जिम्मेदारियां इतना काम फिर भी पटवारी की आज क्या हालत है, सरकार के नियम बने हुए हैं कि पटवारी को हैड क्वार्टर नहीं छोडना चाहिये।

मैं आपकी जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं और राजस्थान सरकार से इस बात का जवाब चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर ७,५०० से ज्यादा पटवारी हैं, विभाग बताये कि कितने पटवारियों के रहने के लिए क्वार्टर बना रखे हैं। १० पर्सेंट भी क्वार्टर बनाने का इन्तजाम आपने नहीं किया है। छोटे छोटे गांवों में पटवारियों के रहने के लिए मकान नहीं, वे कहां तो यह सारा रेकॉर्ड रखें और कहां अपने बाल बच्चों को रखें। मैंने जितनी जिम्मेदारियां पटवारियों को सौंपने को कहा उन जिम्मेदारियों के कारण कई आपसी झगड़े बढ़ गये हैं। हर प्रकार सरकार की बकाया हैं,

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

उनकी वसूली पटवारी को करनी पड़ती है ऐसा समय भी आता है कि कभी २० हजार रुपया और इससे ज्यादा रुपया भी पटवारी को रखना पड़ता है । उसकी हिफाजत करने के लिए उसके पास कोई आदमी नहीं, कोई स्थान नहीं। जो लोग उससे दुश्मनी रखने वाले हैं तो वे लोग पटवारी को मार-पीट कर, डरा-धमका कर उसके पास से ले जाय, तहसील में जमा कराने अपने हैड क्वार्टर से तहसील के हैड क्वार्टर्स पर जाय तो उस समय उसके पास से छीन कर ले जा सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी का कोई इन्तजाम सरकार ने नहीं किया है।

जयपुर के हालात बताऊं, जब जयपुर में बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो साथ में पूरी पुलिस की गार्ड जाती है, १० हजार हों ५ हजार हों तो पांच सिपाही जायेंगे पर एक पटवारी जिसको आप ८५, रुपया या ११०, रुपया तनख्वा देते हैं, वह २५ हजार रुपया लेकर, १ लाख रुपया लेकर अपने हैड क्वार्टर से तहसील तक जाता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, उसे टिन का एक बॉक्स भी नहीं दे रखा है कि उसमें नोट रख कर ट्रेजरी में सब ट्रेजरी में जाकर जमा कराये। आपने ऐलान कर दिया कि इतना बोझा लादने के बाद १५ रुपया पटवारी को अलाउन्स के रूप में दे देंगे। आपने कल भी लोगों को ५० रुपया ज्यादा देने का अनाउन्स किया पर जहां पटवारी को हर प्रकार की जिम्मेदारी दी है, खाते रद्दोबदल होते हैं तो पटवारी की जिम्मेदारी है, पत्थर गढ़ी होती है तो पटवारी की जिम्मेदारी है, अलॉटमेंट की भूमि को समय पर नापता नहीं है तो पटवारी की जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारियां उस पर लाद रखी है तो क्या आप महसूस करते हैं कि उसको जो कुछ आज आप दे रहे हैं वह काफी हैं, ८५ उसको तनख्वाह देते हैं, या ११० उसकी तनख्वाह है, १५ रुपये अलाउन्स के दे दिये, १२५ रुपये में एक गधे से भी ज़्यादा बोझा कागजों और काम का पटवारी पर लाद दें और फिर आप समझते हैं कि आपके रेवन्यू विभाग का काम ठीक ढंग से चले तो राजस्थान सरकार से और राजस्व विभाग से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वाजिब है, न्याय संगत है ? आज भू-राजस्व का लाखों रुपया बकाया है, दूसरे टैक्सेज़ का बकाया है, पंचायत समितियों का बकाया है, सिंचाई का लाखों रुपया बकाया है,उसका एक मात्र कारण यह है कि पटवारी इन सारे कामों को समय पर नहीं कर सकता और अलॉटमेंट की हुई जमीन को समय पर माप कर दे नहीं सकता।

अगर आज पंचायत समिति में कोई कास्तकार दर्ख्वास्त लेकर जाये कि मुझे तकावी चाहिये, कुए के लिए तकावी चाहिये, बैलों के लिए तकावी चाहिये, तो कुआं उसके है या नहीं, बैल उसके पास हैं या नहीं इन सारी बातों का इन्द्राज पटवारी को अपनी जिम्मेदारी पर करना पड़ता है। जैसा अभी उप-मंत्री महोदय ने कह दिया कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हम अपने कान्स्टेबलों को देते हैं। मैंने पुलिस के कॉन्स्टेबलों का कहा था और वे कह रहे थे

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

आर. ए. सी. के सिपाहियों का कि दूसरे प्रान्तों से ज्यादा देते है और मैं जानता हूं कि उप-राजस्व मंत्रीजी भी अभी कह देंगे कि आप लोग पटवारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते हो पर दूसरे प्रान्तों में पटवारियों को तनख्वाह दी जाती है उससे हम कोई कम नहीं देते हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में पटवारियों के ऊपर जो जिम्मेदारियां दे रखी है वैसी दूसरे प्रान्तों में है क्या ? वहां के पटवारियों के लिए रहने के मकान नहीं है क्या ? यहां सी स्कीम में बंगले है, अफसरों के रहने के लिये बंगले हैं, यहां बंगले बनाने के लिए दस दस हजार १२–१२ हजार रुपया लोन देते हैं पर पटवारियों के रहने के लिए गवर्नमेंट के मकान होने चाहिये, इस दिशा में आपने क्या किया है?४००० रु. का प्रावधान आपने पटवारी का मकान बनाने के लिए रखा है, पर एक साल में एक जिले में आप २५ मकान भी नहीं बना सकते और ऐसे लोग जिस हालत में रहते हैं, उनके ऊपर आप इस प्रकार का दबाव डालते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, काश्तकारों के संबंध में सही और पूरे इन्द्राज रेकॉर्ड में हो तो यह जरूरी है कि पटवारी ठीक समय पर काश्तकारों को सुविधा दे सकें तो पटवारियों के रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करना परम आवश्यक है।

आज जो पटवारी को तनख्वाह मिलती है, उसके मुकाबले में इनके काम और जिम्मेदारी को देखते हुए २००, रु० से कम पटवारी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये, पटवारी को २००)से कम तनखा देना किसी सूरत में न्यायसंगत नहीं है। सेक्रेटेरियेट में बैठ कर क्लर्क काम करते हैं, उनकी ३००) से ज्यादा तनख्वाह है....

(२. २८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मेरा दूसरा कटमोशन इस मामले में था कि बनारस में राजस्थान की प्रोपर्टी है और उसको राणा महल कहते हैं। इस राणा महल के बारे में जब मैं अभी बनारस गया था तो वहां के आदमियों ने बताया कि यहां इस प्रोपर्टी की देख रेख के लिये हीरालाल नाम का एक आदमी रहता है और सुना यह जाता है कि इस प्रोपर्टी को बेचने की कार्यवाही की गई थी, बेची या नहीं बेची इसका मुझे पता नहीं, पर जो कागज मेरे पास हैं उससे पता चलता है कि ४८,००० की प्रोपर्टी हैं, उसको ७५०० में सरकार ने बेच दिया है। इसके पीछे कहानी है, सरकार का नुमायन्दा है उसने इस मकान को बेचने की व्यवस्था की जो काफी अर्से से, दो चार पीढ़ियों से उदयपुर की तरफ से सेवा-पूजा करने वाला रहता है, उसने लेने की व्यवस्था की थी और वह चाहता था कि उस प्रोपर्टी को खरीद ले, वह पुराना किरायेदार है, उसने आपके नुमायन्दे से कहा कि इसके नीलाम की बोली मेरे लड़के के नाम से देना ताकि और नहीं बढ़ेगा और नतीजा यह हुआ कि ७५०० की बोली लगाई और उसी बोली पर मकान बेचने की कार्यवाही हो जाती

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है। जिसके बारे में वहां के बंगाली टोला उपभोक्ता सहकारी समिति, वाराणसी, इसका मैनेजर है।

इसके अलावा भी महा पंचायत राणा महल के जो श्री चेटरजी हैं उन्होंने हमारे राजस्व विभाग और मुख्य मंत्री को लिख कर भेजा कि आपका जो यहां अहलकार है वह ५८ हजार की प्रोपर्टी को साढ़े सात हजार में बेच रहा है और इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और जो मैनेजर हैं उसने बोली लगाई है और उसके नाम पर प्रोपर्टी बेची जा रही है। इतना ही नहीं, समय-समय पर उन्होंने कितनी दरख्वास्तें देकर हमारे डिपार्टमेंट को आगाह किया है। मलबा हटाने के नाम से सरकार से पैसा वसूल किया गया, लेकिन कोई मलबा नहीं हटाया गया। उस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए सरकार से सैकड़ों रुपये वसूल किया, लेकिन कोई मरम्मत नहीं हुई। ये सारी दरख्वास्तें और नकलें समय–समय पर वाराणसी के निवासियों ने हमारी राजस्थान सरकार के मंत्रीजी को और राजस्व विभाग को दी। इससे साबित होता है कि वहां पर रहने वाले आदमी इस तरह के घोटाले करें और आप कोई एक्शन न लें और आज भी आप कहते हैं कि चूंकि हमने इसका टैक्स समय पर नहीं चुकाया, इसलिए यू० पी० सरकार ने हमारे ऊपर लेवी इम्पोज कर दी और कुछ टैक्स लगाने की बात की, इसलिए १८ हजार रुपये देना चाहते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार अपने अंदर जो उसकी प्रोपर्टी है उसकी देख-भाल नहीं कर सकती, समय पर फीस नहीं दे सकती, जिसके कारण १८ हजार रुपये उसको देने पड़े, तो ऐसी सरकार को भी कोई जिम्मेदार सरकार कह सकता है और उससे फिर नुकसान हो तो कहेंगे कि जनता के खजाने में से १८ हजार रुपये दे रहे हैं। राजस्थान के खजाने में एक पैसे से लेकर जितना भी पैसा पड़ा है वह पैसा न तो किसी मंत्री महोदय का है, न कांग्रेस का है, वह राजस्थान में रहने वाली २,१०, ००,००० जनता का है। इसलिए सरकार पर एक-एक पैसे के खर्च की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिये। यह जो १८ हजार रुपये एक्सेस के रूप में टैक्स पर लेवी यू० पी० सरकार की तरफ से लगी उसके भुगतान के लिए हमसे इजाजत मांगी जा रही है, तो मैं कहना

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहता हूं कि जिस अहलकार की गलती के कारण, जिस ऑफिसर के कारण यह भुगतान आज राजस्थान के खजाने से करना पड़ रहा हैं, यह उसी व्यक्ति से वसूल करना चाहिये। अगर वह बराबर तनख्वाह लेता रहा है। तो फिर क्या कारण था कि यह रुपया एक्सेस के रूप में उस काम के लिये पे करना पड़ रहा है ? दो कट मोशन्स पेश किये गए हैं, अगर जिम्मेदार सरकार है तो इस बारे में सोच विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों के वेतन एवं भत्ते आदि संबंधी नियमों का सही रूप से पालन नहीं किए जाने पर मैं एक कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। यदि थोड़ा गहराई से सोचा जाय तो इस बात को मानने से इन्कारी नहीं होगी कि हमारे देश की योजनाएं विदेशी पैसे से चलती हैं और देशी पटवारियों से चलती हैं। इन दोनों को यदि योजना में से निकाल दिया जाय तो योजना अवश्य बनेगी लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन सही रूप से नहीं हो पायगा। पटवारी द्वारा तैयार किए गये आंकड़ों, चाहे वे खाद्य उत्पादन संबंधी हों, चाहे रूरल हाउसिंग स्कीम के हों, चाहे चेचक, हैजा आदि बीमारियों के हों, पर हमारा योजना का निराकरण होता है और उसी के अनुपात में राशि निश्चित की जाती है। यदि यह कहा जाय कि जिस व्यक्ति के द्वारा एकत्रित इन आंकड़ों के आधार पर देश के भाग्य का निराकरण होता है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मैं तो यह समझता हूं कि कई बार राजस्थान विधान सभा सदस्यों की हालत को देखकर कि जितनी इन सदस्यों पर बेगार है उससे कम पटवारी पर नहीं। पहले काम जो पटवारी करता था उनमें से कुछ काम विधान सभाई सदस्य करने लगे हैं। या तो सरकार की कृपा है कि विधान सभाई सदस्य बेकार न रहें या इस कारण कि लोगों से उनका कॉन्टैक्ट बना रहे, चीनी की परमिट, किसको बच्चा हुआ या या नहीं, किसकी शादी हुई, किसको कितना कर्जा चाहिए, कोई गरीब छात्र है ट्यूशन फीस नहीं देना चाहता, इन सन बातों की तस्दीक आज के दिन विधान सभाई सदस्यों से कराई जाती है। उसी प्रकार गांवों में इन सब बातों की तस्दीक पटवारी से कराई जाती है। अब उस पटवारी पर इतना भार और उस भार की तुलना उसको मिलने वाली वेतन से की जाय तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने जान बूझकर व्यवस्था कर रखी है कि पटवारी की वेतन बढ़ाने की आवश्कता नहीं, पटवारी से काम खूब लिया जाय और उसको यही कह दिया जाय बाई इम्प्लीकेशन कि तुम्हारा वेतन तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन तुम इस पद पर अपनी आर्थिक समस्या को हल करने की कोई व्यवस्था करना चाहते हो तो करो। स्वयं कांग्रेस की कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया कि गांवों के अंदर पटवारियों की जो प्रोब्लेम क्रिएट की जाती है, हम उसका हल नहीं कर पाते। उसका उपाय उन्होंने निकाला और पिछले दिनों सरकार ने आदेश निकाला कि गश्त गिरदावरी पटवारियों के मारफत न हो। अब स्वयं महसूस कर रहे हैं कि पटवारी पर जितनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं उस अनुपात में जब तक उसका वेतन नहीं होता तब तक वह ईमानदारी से काम नहीं करेगा। अब पटवारी की हालत और उस पर सरकार के विचार, इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाय तो ऐसा लगता है कि सरकार पटवारी को प्रशासन का कोई अंग नहीं मानकर चलती। ऐसा लगता है, जैसे पटवारी के बारे में सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और सरकार ने जो निर्णय ले लिये उनके अनुसार अमल करवाने की आवश्यकता नहीं। उपमंत्री महोदय स्वयं एक कमेटी के चेयर

(श्री भैरोंसिंह)

मैन थे, उन्होंने राज्य सरकार को पटवारियों के संबंध में एक रिपोर्ट भी पेश की। उस रिपोर्ट का क्या नतीजा आने वाला है, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार का आश्वासन कई बार रेवेन्यू विभाग की तरफ से पटवारियों को दिया गया। पटवारियों की जितनी मीटिंग्स हुई उनमें राजस्थान के राजस्व मंत्री, उप-राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव और राजस्व सचिव ने उनकी मीटिंग्ज़ को कई बार एड्रेस किया।

उन लोगों ने अपनी समस्यायें उनके सामने रखीं लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के आश्वासन के अलावा उनके निराकरण के लिए सरकार आज तक कुछ नहीं कर पायी है और नहीं कर पायी है उसका आज परिणाम यह है कि राजस्थान के सम्पूर्ण पटवारियों में आज भयंकर असंतोष है और उसका परिणाम, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हुकूमत को भोगना पड़ता है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उसकी सारी जलन का परिणाम वहां के किसानों और राजस्थान की गरीब जनता को भोगना पड़ता है। उसकी राज्य सरकार को चिन्ता नहीं। उसका कारण है। खाद्य उत्पादन के आंकड़े, योजनाओं के आंकड़े और योजनाओं के निर्णय यह भी पटवारियों को करना होता है। चार दिन पहले खाद्य मंत्री जी ने कहा कि सन् १९६३-६४ में खाद्य का उत्पादन ३२ लाख टन होने का था लेकिन अब जांच की तो यह पता चला कि ३८ लाख टन होगा। ये आंकड़े उनके पास ऊपर से नहीं आये हैं, किन्तु पटवारियों के पास ही से आये हैं। पटवारियों से कह दिया कि आंकड़े बढ़ा दो तो बढ़ा देंगे, पटवारियों से कह दिया कि घटा दो तो घटा देंगे। बढ़े हुए दिखाने हैं तो उनमें पटवारी संशोधन कर देंगे। अशोक मेहता की राय लेनी नहीं है। पटवारियों के कान में एक बात कह दी जाय कि अब के देश का उत्पादन बढ़ाना है, चेचक से चाहे गांव का गांव तबाह हो जाय, जैसा आप कहेंगे वैसा वे कर देंगे। उत्पादन असल में बढ़ा या नहीं, चेचक की रोकथाम हुई या नहीं वास्तव में इससे उनको कोई सरोकार नहीं; होगा। आप चाहेंगे वैसा वे कर देंगे। ऐसे कर्मचारियों को अफेक्टेड रख कर चलाना चाहते हैं, उनमें असन्तोष रख कर चलना चाहते हैं, उनके लिए जो आपने रियायतों की घोषणा कर रखी है वह भी उनको मिल जाय इसकी भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। १.४.५० से ४०) १) ५५) की पे स्केल्स और १.३.५६ से ४०) १) ५०) २। ६० की ग्रेड में उनके लिए फिक्स की गई और उसके बाद १) प्रति माह सन् १९५६ से रेशनलाइज्ड पे स्केल्स से उनके वेतन में वृद्धि की गई और फिर रिवाइज्ड पे स्केल्स ६५) से ९०) की घोषणा की गई। यह ग्रेड उनको मिलनी चाहिये थी, लेकिन कई स्थान, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वे राजस्थान के सचिवालय में बैठे रहते हैं, कागजों का डिस्पोजल करते हैं कभी उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं, रिवाइज्ड न्यू पे स्केल्स के अनुसार पटवारी की पे स्केल्स कर रखी है उनके आधार पर किस किस जिलों में कितने पटवारियों के केसेज डिस्पोज ऑफ हुए हैं ?

(श्री भैरोंसिह)

आप आकड़ें उठा कर देखें, पटवारियों से मिलें तो आपको सही नक्शा मालूम होगा कि सात, साढ़े सात हजार पटवारियों में से ६० परसेन्ट पटवारियों की ग्रेड, पे स्केल्स निर्धारित करने के पश्चात् भी उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती और एरियर्स उनको नहीं चुकाये गये हैं। यह गल्ती किसकी है? सरकार ने नीति निर्धारित कर दी। पे स्केल्स निश्चित कर दी और पे स्केल्स के अनुसार उन पटवारियों को तनख्वाह नहीं मिलना सरकार के लिये यह ज्यादा से ज्यादा शर्म की चीज है और यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार का सबोर्डिनेट सर्विस पर कन्ट्रोल नहीं है, कलेक्टर पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है, एस. डी. एम. पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं है। आज किसी भी जिले में चले जाइये, आपको यह देखने को मिलेगा कि गिरदावर से तहसीलदार की टेबल पर, तहसीलदार की टेबल से एस. डी. एम. की टेबल पर और एस. डी. एम. से कलेक्टर की टेबल पर केस टक्करें खायगा लेकिन उसका निर्धारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? सरकार का दिमाग यह है कि यदि पटवारी एजीटेशन करेंगे तो हम उनको करप्शन के चार्ज पर दबोच कर रख देंगे। इस प्रकार हमारी यह सरकार पटवारियों का भी एक्स्प्लोयटेशन करना चाहती है।

इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने सिलेक्शन ग्रेड कर दी। मैं राजस्थान की हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि पटवारियों की ६५) से १०५) की सलेक्शन ग्रेड निश्चित की। नये पे स्केल्स के बाद यह सिलेक्शन ग्रेड निश्चित की उसमें से दस प्रतिशत पटवारियों को यह सिलेक्शन ग्रेड दी जानी चाहिये थी; उनमें से राजस्थान के कितने पटवारियों को यह सिलेक्शन ग्रेड दी गई? आप जांच करिये आपको यह पता चलेगा कि आप उनको सिलेक्शन ग्रेड अभी तक नहीं दे पाये। ग्रेड इन्क्रीमेन्ट ओटोमेटिकली हो जाना चाहिये, उनके कागज तहसील और एस. डी. एम. के बीच में चक्कर खाते रहते है, जिनको ओटोमेटिकली ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिलना चाहिये, उनको किसी प्रकार नहीं मिलता। इसके साथ साथ अलाउन्सेज, उनके टी० ए० और डी० ए०। मैं समझता हूं राजस्थान विधान सभा के सदस्य, उनको तो छोड़ा जाय, राजस्थान सरकार के गजटेड ऑफिसर्स, मिनिस्टर ३१ तारीख होती है उसके पहले पहले टी. ए. और डी. ए. तैयार करते हैं और एक सप्ताह में पास होकर पैसा उनकी जेब में चला जाता है। लेकिन पटवारियों के टी. ए. और डी. ए. का भुगतान एक एक वर्ष तक नहीं होता और जब तक नहीं होता बिल में जितनी रकम हैं, ऊपर वाले, मंजूर करने वाले अधिकारियों की जेब में उसका सेर्टन पर्सेन्टेज न पहुँच जाय, नहीं होता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में आप कोई स्पेसिफिक उदाहरण दे सकते हैं कि बिना पैसा दिये एक साल तक भुगतान नहीं हुआ?

श्री भैरोंसिंह : यह आप चाहते हैं क्या? आप यह कह दीजिये कि नहीं मिलता है।

(विराम)

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार से लैंड रेवेन्यू मेन्युअल के अन्तर्गत पटवारियों को अच्छा काम करने हेतु एक फन्ड के निर्माण की घोषणा की है। मैं उप-मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह फन्ड कहां है और उसमें से कितने लोगों को तकसीम किया गया है ? यह फन्ड नहीं है तो घोषणा क्यों की ? और फन्ड है तो उसमें से कितना तकसीम किया ? उसमें से कोई तकसीम नहीं किया है। प्रमोशन के मामले। मैं समझता हूं कि राजस्थान में प्रमोशन के केसेज को लेकर यदि कहीं बड़ा भारी इनजस्टिस होता है तो वह पटवारियों के केसेज में होता है। पटवारी के लिए प्रमोशन की पोस्ट गिरदावरी है। उस पोस्ट के लिए केवल पटवारी क्लेमेन्ट नहीं है, लैंड रिकार्ड्स का बाबू भी है, सेटलमेंट का काम करने वाला भी है, बाकी लैंड रेकार्ड्स से सम्बन्धित, तहसील से सम्बन्धित कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको भी उस गिरदावर की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है। भू- मापक, उसकी भी हालत पटवारी की तरह ही है। सर्वेयर और पटवारी में काम का अन्तर नहीं है। वेतन का अन्तर मिलेगा। एक जरीब खींचने का काम है। वह जितनी फिजिकल लेबर कॉन्ट्रिब्यूट करता है उतनी दूसरा कोई फिजिकल लेबर कॉन्ट्रिब्यूट नहीं करता है। वह फिजिकल लेबर भी काफी कॉन्ट्रिब्यूट करता है और मेन्टल लेबर भी उसको काफी करनी पड़ती है। फिजिकल और मेन्टल दोनों कॉन्ट्रिब्यूट करने के बाद भी उस सर्वेयर की आज हालत ठीक नहीं है, पटवारियों की हालत ठीक नहीं है। और जहां प्रमोशन का सवाल आता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप-मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पटवारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बना रखी है जिसके आधार पर आप प्रमोशन केसेज को तय करते हैं फिर भी प्रमोशन में कोई निर्धारित व्यवस्था क्यों नहीं ? एक तहसील में मर्जी आयी जैसी लिस्ट बना ली, सेटलमेंट के और सर्वेयर भी उसमें शामिल हैं। आपने एक होच पोच लिस्ट बना रखी है। अफसर का जो कृपा-पात्र होगा उसको वह प्रमोशन दे देगा। बाकी को प्रमोशन जो न्यायोचित्त रूप से मिलना चाहिए उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। हल्के-बुन्दी पटवारघर का सवाल है और बाकी जितनी सुविधायें हैं उनको ताक पर रख कर राजस्थान की सरकार द्वारा पटवारियों पर बोझा भी सबसे ज्यादा और अन्याय भी उनके साथ भयंकर, इन दो चीजों की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बार बार राजस्थान की सरकार के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद, नियम और आदेश जारी होने के बावजूद भी यदि पटवारियों का यह हाल रहा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप पटवारियों के तबके को दबाने की बात कह सकते हैं, उसकी आवाज को बन्द करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि पुलिस का विभाग आपके कन्ट्रोल में नहीं है, ३६ हजार आदमियों को कन्ट्रोल करने की बात आती है तो वह बहुत बड़ी बात आप समझते हैं, लोग कहते हैं कि पटवारी का बिगाड़ा तो करतार ही ठीक कर सकता है, इस पॉवरफुल एजेन्सी

(श्री भैरोंसिह)

को कन्ट्रोल करना अधिकारियों के हाथ में नहीं होगा। इसलिए जो कुछ आपने उनको दिया है वह उनको दें। उसके काम का सन्तुलन बिठा कर, केस इन्डेक्स कितने हैं पर्सेन्ट हैं, उतना काम उनको दीजिये। कभी पंजाब और कभी यू. पी. और कभी मध्य-प्रदेश से ले लेते हैं, आंकड़े आपके पास सब रहते हैं, लेकिन जिस स्टेट के आंकड़े आपके मुफीद हों वे सदन में पेश कर दिये और जो खिलाफ जाते हैं उनको नहीं करते। इसलिए स्पष्ट रूप से पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के लिए आपको कोई निश्चित योजना बनानी पड़ेगी।

उस योजना का आधार होगा आज की महंगाई और मूल्यों के आधार पर उनकी आवश्यकता क्या है ? उनकी तनख्वाह का इसके साथ समन्वय करते हुए व्यवस्था करनी होगी। अब आप राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है यह बहाना करके नहीं चल सकते। इनके लिए तो आपको कहीं न कहीं से इन्तजाम करना ही होगा। आप अपने खर्चे में कटौती कर सकते हैं लेकिन पटवारियों के प्रति जो सरकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा है उसमें परिवर्तन करना होगा। पटावरियों के केसेज को निपटाने के लिए आप स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करें और उनके मामलों को जल्दी से जल्दी डिसपोज ऑफ करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इन सब का परिणाम क्या हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं राजस्व विभाग की एक नजीर पेश करना चाहता हूं। राजस्व विभाग में मामले किस प्रकार तय होते हैं। अभी अभी मैं कोटा की तरफ होकर आया हूं। कोटा में एक दर्ख्वास्त निकली जो खातेबन्दी दफा १६ के तहत थी। खातेबन्दी करने के लिये दर्ख्वास्त दी गई, तहसील मांगरोल में दी गई। दरख्वास्त देने वाले तेजसिंह की ओर से २०.६.५६ को दर्ख्वास्त पेश की गई। यह खातेबन्दी की दर्ख्वास्त का मामला है। टेनेन्सी एक्ट के तहत यह मामूली काम है खातेबन्दी करने का। लेकिन २०.६.५६ को इसके लिये दर्ख्वास्त दी गई और जिस दिन मैं देख करके आया हूं ८-१०-६४ तक इसकी ४६ पेशियां पड़ी, जिसके लिये ४८ महीने हो गये। १८ बार इसलिये तारीख पड़ी कि तहसीलदार साहब दौरे पर गये हुए थे, प्रतिवादी हाजिर नहीं। इस तरह से बहानेबाजी बना कर खातेबन्दी की दर्ख्वास्तें लेकर किसान तहसीलों में जाते हैं। उस दर्ख्वास्त की ४६ तक पेशियां पड़ जायं चार पांच वर्ष तक वह समाप्त न हो इससे बढ़ कर राजस्व विभाग के लिये कलंक की और क्या बात हो सकती है !

आप इसके लिये कह सकते हैं कि पर्टीकुलर केस हो सकता है। मैंने इस प्रकार के कुछ तहसीलों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं खातेबन्दी के प्रार्थनापत्र का फैसला करने में कितना समय लगता है, किस प्रकार लोग मारे मारे फिरते हैं। आप कैसे आशा कर सकते हैं कि ग्रो मोर फूड में किसान आपका साथ दें। वही किसान आपको मदद दे सकता है जिसको पूरी तरह से कानून के अन्दर संरक्षण मिले, कानूनी अधिकार पूरी तरह से प्राप्त हो तो अपने

(श्री भरोंसिंह)

इनीशियेटिव से उत्पादन बढ़ा सकते है। इस विभाग में जब तक इस प्रकार की मेल प्रेक्टिसेज चलती रहेगीं, खातेबन्दी के मामले में, चकबन्दी के मामले में, उन पर डिसीजन लेने में इस तरह से गोलमाल होता रहेगा तो इसका सीधा असर आपके एक्सचेकर पर होगा, सामान्य रूप से इसका असर सारे समाज पर राजस्थान की जनता पर पड़ेगा, किसान वर्ग पर तो पड़ता ही है। आज राजस्व मन्त्री महोदय हैं, उप–मन्त्री राजस्व है लोएस्ट लेवल पर तहसील दार है, पटवारी है। जब तहसीलों का इन्स्पेक्शन होता है कलेक्टर और एस० डी० ओ० जाते हैं, कितने केसेज का इन्स्पेक्शन हुआ उसका नक्शा बनाकर देखें तो आंखे खुल जायंगी। लेकिन आम तौर पर यह मानी हुई बात है कि खातेबन्दी में आम तौर पर दो वर्ष का समय लग जाता है उससे पहले तय नहीं हो पाता। आज इस कारण किसान राज्य सरकार के उत्पादन के मामलों में पूरी तरह से योग नहीं दे पाता। आप अपनी मशीनरी को टाइट करिये। सबसे लोएस्ट लेवल पर लीजिये। पटवारी के लेवल से लीजिये। हरेक के लिए कार्य-क्रम निर्धारित करें। इस व्यवस्था से राजस्व विभाग में आमूलचूल परिवर्तन कीजिये, तभी राहत मिल सकती है। उनका डिस्पोज ऑफ हो सकता है। इस बात को को लेकर मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटवारियों के सम्बन्ध में मैंने कुछ कट मोशन्स दिये हैं। राजस्व की अनुपूरक मांग पर जो २२. १० लाख की मांग है वह पटवारियों को नम्बरदारी प्रथा के खतम करने के बाद उस काम को करने के लिये इनायत फर्मा करके १५ रुपया अधिक देने की बात कही गई उसका एप्रोप्रियेशन करने के लिये बजट रखा गया है। इस सम्बन्ध में जो खर्चे की मद है पटवारियों के सम्बन्ध में विशेष राशि मांगी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी के लिये एक कहावत मशहूर है।

'ऊपर करतार नीचे पटवार'

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब बीच में तहसीलदार।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बीच में तो बहुत हैं बेचारे छोटे भैया, बड़े भैया, छोटे मिया बड़े मियां आदि।

श्री भैरोंसिंह : उसमें आचार्यजी भी है कि नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मध्य में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, देहली कमिश्नर साहब ने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल निकाला है उसमें यह बताया है पटवारी का इम्पेक्ट जन जीवन में कितना है। कमिश्नर साहब कहीं मुलाहिजा फरमाने जा रहे थे गांव के लोग उनको लेने आये रास्ते में जानकारी हुई कि वे कमिश्नर को ले जा रहे हैं पटवारी को नहीं। मजदूर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और किसान जो लेने आये थे वे कहने लगे हम तो पटवारी को लेने आये थे कमिश्नर क्या होता है हम नहीं जानते। इसी प्रकार एक बूढी औरत ने कलेक्टर को आशीर्वाद दिया कि जा भैया, तू पटवारी होगा। आज हमारे ग्राम्य जीवन में थानेदार और पटवारी इन दोनों का बड़ा इम्पेक्ट है। हमारे रेवेन्यू रेकॉर्ड की बुनियाद पटवारी है। उसका बनाया हुआ रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट है वहां तक माना जाता है और उसी के आधार पर फैसला होता है। जागीरदारी बिस्वेदारी एक्ट के तहत सन् ५६ के अन्दर कोलोनाइजेशन क्षेत्र के अन्दर जिन लोगों की गिरदावरी दर्ज नहीं वह जमीन खाम हो जायगी। खाम के खाते में चली गई जमीन राजस्थान के मुख्य मन्त्री गवर्नर प्रेसीडेन्ट अगर चाहे किसी जमीन की मिल्कियत जारी कर दे या जमीन ले ले यह उनकी ताकत नहीं। पटवारी की कलम चल गई खाम मिल्कियत का आधार खत्म हो गया। इतनी अहमियत की जगह पटवारी की है। अगर किसी खेत का सवाल है तो पटवारी तस्दीक करता है, खाद की पटवारी तस्दीक करता है, रेकॉर्ड पटवारी तस्दीक करता है, टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट की तस्दीक पटवारी करता है। उसी के तस्दीक के आधार पर १५ गुना तावान की स्थिति में तहसीलदार आ जाता है। नंबरदारी प्रथा की समाप्ति के बाद राजस्व की वसूली करना व उसको जमा कराना पटवारी के सुपुर्द किया गया है इस तरह से उसकी जिन्दगी खतरे में आ गई है। जिस रकम को दस बीस हजार को नंबरदार जमा करा देता था वह अब पटवारी को जमा करानी पड़ती है।

(३.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५६ में सरकार ने गंगानगर जिले में पर्मानेन्ट अलॉमेन्ट की दर्ख्वास्तें मांगी। आज ६४ आ गया पर पर्मानेन्ट अलॉटमेन्ट खत्म नहीं हुआ, वह द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। दर्ख्वास्तें एस. डी. एम. के यहां से लेकर तहसीलदार और पटवारी और कलेक्टर तक पहुंचती हैं और रिपोर्टिंग का प्रोसीजर बाकायदा चलता चला जा रहा है। कितने अहम स्थान पर गांव का पटवारी है, यह मैं बताना चाहता हूं और नहरी क्षेत्र में तो दो दो पटवारी हैं।

अगर राजस्थान में एक खुदा है तो नहरी इलाकों में दो दो खुदा हैं। एक नहरी पटवारी और दूसरा माल का पटवारी। दोनों अपने अपने रिकॉर्ड अलग अलग बनाते हैं। बड़ी मुश्किल है। सन् २८ में नहर आई। रेवेन्यू पटवारी के रिकॉर्ड में या नहरी पटवारी के रिकार्ड में ये रकबे कमाण्ड नहीं हैं। ३०, २० साल का अर्सा हो गया, पानी उनमें लगता चला आ रहा है, कणक और कपास के खेत हैं। पर रिकॉर्ड की यह डिस्क्रिपेन्सी प्रकट हो गई, और पानी बन्द कर दिया जाता है। दुबारा कमाण्डेड एरिया कराने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अनेकों गांवों में इस प्रकार घटनाएं होती हैं। ये एक-दो मिसालें नहीं हैं, सैकड़ों हैं। इस पशोपेश में गरीब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को दो साल तक खेत में पानी नहीं लगाने दिया जाता । रिकॉर्ड में दर्ज कराता है दस बीघा गेहूं बीजा, ६ बीघा गन्ना बीजा । किसान घबराया फिर रहा है कि किसके आधार पर पेमेन्ट करे । दोनों विभाग के पटवारी आपस में मिलते नहीं, बैठते नहीं, एक दूसरे के रिकॉर्ड से टैली करते नहीं और इस तरह से यह रिकॉर्ड की डिस्क्रीपेन्सी चली आ रही है ।

अचानक खाले का झगड़ा शुरू हो जाता है । रेवेन्यू पटवारी के खाते के १ से १० तक निशान है, नहरी पटवारी के खाते हैं दूसरे स्टोन पत्थर पर है । एक कहता है तुमने गलत खाले रंग किया है । एक फश कीएट हो जाता है, एक केस बन जाता है । अपने प्रोडक्शन का काम छोड़कर किसान या तो कलेक्टर के दफ्तर की ठोकरें खा रहा है अब या नहर वालों के दफ्तर की । खाला, अगर १५ साल गलत रहा, नाका गलत अनकमाण्डेड जमीन में पानी लगाया गया है तो १५ गुना तावान कायम किया जावे । ऐसे सैंकडों केस गंगानगर जिले के हैं जो डिस्क्रिपेन्सी आफ रिकॉर्ड की वजह से है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरी बहस का विषय नहीं है । अगर गंगानगर जिले में दो खुदा पैदा कर दिये तो क्यों कर दिये, और दो खुदा पैदा करके भी सरकार को लाभ हुआ या नहीं यह देखने की बात है । पर यह मेरा बहस का विषय जरूर है कि जो बुनियादी रिकार्ड बनता है जिसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा है किसान की जिन्दगी में और जो सबसे बड़ा करप्ट भी माना जाता है । आपके यहां विजिलेन्स कमीशन कायम किया गया । उसमें सबसे ज्यादा किसकी शिकायतें आई । थानेदार की या पटवारी की ? किसी भी क्षेत्र में चले जाइये, किसान से मुलाकात करिये । उसका सबसे ज्यादा शिकवा पटवारी से या थानेदार के खिलाफ होगा । पटवारी का उसकी जिन्दगी में सबसे ज्यादा इम्पेक्ट हैं । तो ऐसा आदमी जो सबसे अधिक जिम्मेदारी की जगह पर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो बुनियाद है, जिसके आधार पर कानून और फैसले होते हैं । प्लानिंग जिसके रिकॉर्ड के आधार पर जिसकी बुनियाद पर बनते हैं । जिसके आंकड़े बड़ी कीमत और अहमियत रखते हैं । कम से कम उसकी जिन्दगी के बारे में सरकार की गारन्टी होनी चाहिये । मैं इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं कि पटवारियों के करप्शन को अलाऊ कर दिया जावे, पर फिर इसका भी एक बुनियादी कारण है । जिसको आप रहने को मकान न दें । ८५) की तनख्वाह पर दस-पन्द्रह गांवों मे उसको घुमावें, अलॉट कर दें और केवल ८५) की तनख्वाह पर इतना काम करावे जिसको स्पेशल पे अलाउन्स भी आप दें तो उसको भी सेलरी में इन्क्लूड न करें ताकि पेन्शन में प्रोफिट मिल सके । जिसकी सवारी का बन्दोबस्त न करें और जिसकी हिफाजत का आप बन्दोबस्त नहीं करें दस दस और बीस बीस मील रोज घूमकर वह रिकार्ड बनाता देखता रहे, कहीं कहीं तो पचास-पचास साठ-साठ मील का इलाका उसके पास होता है । अनूपगढ़ तहसील में

Page No 91

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रोजड़ी इलाका है जो कम से कम १५० स्क्वेअर माइल का एक ही -इलाका पड़ता है। ऐसे गंगानगर, लूणकरणसर, जैसलमेर के इलाकों में बड़े बड़े इलाके एक पटवारी के जिम्मे है, जहां वह कान में कलम धरे गधे जितने रिकॉर्ड के बोझ को उठाये पैदल गांव से गांव घूम रहा है और खेत दर खेत जाकर गिरदावरियां दर्ज कर रहा है। खेतों का रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिये सवारी का भी प्रबन्ध नहीं हैं ?

आपका पड़ोसी प्रान्त है पंजाब। वहां मुलाहिजा करिये । गंगानगर जिले में तो नहरों का प्लान्ड सैटलमेन्ट है वैसा ही नहरी इलाका वहां का है। जहां पटवारी को वे घोड़ा मुहैया करते हैं। ट्रैवलिंग अलाउन्स की एक रकम देते हैं। पटवारखाना मुहैया करते हैं। पर वैसे ही सिस्टम में आप यहां क्या देते हैं।

राजस्थान के दूसरे इलाकों में क्या सहूलियतें देते हैं। तो इन सबका नतीजा यह होता है कि पटवारी करप्ट होता है। गांव के लोगों के साथ अपना कसलाना बांध रखा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज करता है तो फीस लेता है और बाकायदा फसलाना लेता जा रहा है। आप इसे बन्द करना चाहते हैं तो उसको अच्छी फेसिलिटी दीजिये। अच्छा स्टेटस दीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पंजाब का पटवारी तो करप्ट नहीं रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : घोड़ा देने से पंजाब में ठीक हो गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंजाब का पटवारी और पुलिस का सिपाही इतना करप्ट नहीं है जितना आपके यहां का पटवारी है। मैं अर्ज करूं कि पंजाब में भी नाथूरामजी वाला एक्सपेरीमेन्ट किया गया है । पर आप निश्चित रूप से एग्ज़ामिन करिये कि इतनी डिस्क्रिपेन्सीज़ वहां आपको नहीं मिलेगीं, रेकार्डो में, कमाण्डेड लेंड में, नाकों के बारे में, वाटर कोर्सेज़ के बारे में गिरदावरियों के मामले में। आप रिकार्ड तो मुलाहिजा फर्माइये जो उनके कारण क्रिएट होता है और जिसके कारण किसान अपनी मुश्किलें देखकर प्रोडक्शन का काम छोड़कर दफ्तरों की ठोकरें खाता फिरता है। कभी आपने इनको मुलाहिजा फर्माया है ? आपके इरिगेशन मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर कोलोनीज़ में डिस्क्रिपेन्सीज़ रेकार्ड के अन्दर होने से कितनी कठिनाई हुई है।

लड्ढा साहब, पर्मानेन्ट अलॉटमेन्ट का मामला है, उसका कानून है, उसे आप पर्मानेन्ट अलॉटमेन्ट का कानून कहिये, मैं तो उसे कन्सेन्ट्रेशन कानून कहता हूं ।

६५ तक की गिरदावरी भी गायब है तब उसको २५ बीघा नहरी का हकदार बनाते हैं पर श्रीमान्जी पटवारी दो साल की गिरदावरी गायब करदे तो हकदार नहीं हो सकता। कर सकता है पटवारी यह। इसके कारण ही नतीजा निकला है तीस हजार दरख्वास्त थीं अलॉटमेन्ट की।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनमें से २० हजार से अधिक की दर्ख्वास्तें खारिज हो गई । अलॉटमेन्ट हो नहीं सका ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्र निवेदन करूंगा कि सरकार को पटवारियों के सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये । साथ ही अर्ज करूं कि अगर एक कमेटी सरकार अपोइन्ट करे और इस बात की जांच करवाए कि मूल समस्या का गिरदावरियों का रेकॉर्ड है वे बुनियादी तौर पर कितने गलत किये गये हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके रिकॉर्ड में गम्भीर एरर हैं ।

यहा तक स्थिति हुई कि सरदारगढ़ में १९५५ के बाद वहां के जो कानूगो साहब थे मुसलमान थे । पाकिस्तान में उनकी रिश्तेदारियां थीं । पटवारी साहब मुसलमान थे । ५५ के बाद सरदारगढ़ में सूरतगढ़ तहसील में ही बहुत से पाकिस्तानियों के माल शुमार के रेकार्ड क्रिएट किये गये । पटवारी के जरिये से कराये गये । उनको सेटल किया गया और सैटल करने के बाद आज गंगानगर जिले में तस्कर व्यापार का वह बहुत बड़ा गढ़ बन गया है । कितना सोना सूरतगढ़ में है कह नहीं सकता । रिवोल्वर आये ३३ बोर के पाकिस्तान से । सरदारगढ़ से स्मगल हुए । गंगानगर जिले में अलॉटमेन्ट ऑफिसर को ऐसी भी स्थितियों का मुकाबला करना पड़ा है कि लड़का पेट में है । अब वह लड़की है या लड़का है, पता नहीं । पर रेकॉर्ड में गिरदावरी दर्ज है उसके नाम से । लड़का पैदा ही नहीं हुआ और रेकार्ड में गिरदावरी दर्ज है ।

इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपसे अर्ज करूंगा कि पटवारी को आप अच्छा स्तर दीजिये, वेतन दीजिये । उनके आवास का प्रबन्ध करिये । सवारी के लिये बन्दोबस्त करिये और मैं आपसे यह भी अर्ज करूं कि इससे आपकी इन्कम भी बढ़ेगी । इस प्रकार के प्रबन्ध के अभाव में आपकी इन्कम घटी है । पटवारी बहुत से आबपाशी की किश्त की रेकार्ड दर्ज नहीं करता । आप कमाद पर देते हैं १३ बीघा, पटवारी दो बीघा कमाद गायब कर देता है । रेवेन्यू और इरिगेशन के पटवारी में समझौता हो जाता है चार चार रुपये में । इससे सरकार को ६ रुपये का नुकसान होता है । आन दी स्पाट आप जाकर देखिये कितना नुकसान पटवारी को अच्छी तनख्वाह न देने और उसे मशीन को टाइटन न करने के कारण सरकार को होता रहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निहायत नम्रता से अर्ज करूंगा कि पटवारियों के लिए आप यह सहूलियतें प्रोवाइड कीजिए और उसके बाद आप पटवारियों से पूरा काम लीजिए । हमारे यहां दो प्रकार की नहरें हैं-एक तो पैरेनियल और दूसरी नॉन-पैरेनियल । नॉन-पैरेनियल कैनाल के अन्दर अगर ३ इरिगेशन से कम होते हैं तो आपको वाटर रेट का आधा वसूल करने अधिकार है और ३ इरिगेशन से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अधिक होती है तो आपको पूरे वाटर रेट वसूल करने का राइट है। गंग-कैनाल का जो सारा का सारा फ्लो है वह बड़ा इर्रेटिक रहा है। मुख्य मन्त्रीजी भी स्वयं कहते रहे कि नॉन-पैरेनियल एरिया के अन्दर कहीं भी दो इर्रिगेशन से ज्यादा नहीं हुई हैं लेकिन इसके बावजूद भी रेकॉर्ड में तीन-तीन इर्रिगेशन दिखा कर पूरा वाटर रेट वसूल किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति (पटवारी) का बहुत महत्व है। आप कम से कम इसको करप्शन से बचाइये और इसके लिए एक ओर तो आप सख्ती लागू कीजिए और इसका जस्टीफिकेशन तब होता है जब कि आप उसको अच्छी सेलेरी देते हैं, उसको रहने के लिए स्थान देते हैं और उसको घूमने के लिए सहूलियतें देते हैं और जितना काम का उसके ऊपर भार है उसके अनुसार आप उसको पे करते हैं।

बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

एक माननीय सदस्य: अभी तो है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्षीय आदेश के अनुसार ३॥। बजे मुख बन्ध का प्रयोग करने का है उस दृष्टि से अपने भाषणों को उतना ही सीमित रखें।

श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्षजी, इस मांग के ऊपर मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने पटवारी पद की अहमता, उनकी दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है और यह भी प्रकट किया है कि पटवारियों में व्यापक असन्तोष है उसकी वजह से कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है। मैं उन बातों को न दोहराते हुए सदन के समक्ष आपके जरिये यह रखना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर जनरल लैण्ड रेवेन्यू रिफॉर्म्स और जो लैण्ड रेवेन्यू के कानून हैं जिनके लिए यह समझा जाता है कि और प्रदेशों के मुकाबिले में राजस्थान के अन्दर काश्तकारों के हित के लिए जो लैण्ड रिफॉर्म्स किये गये वह प्रगतिशील थे और उनके कारण हम कुछ किताबों में, उन कानूनों के जरिये कुछ अहंकार अनुभव करते हैं और उनका इम्पेक्ट आज-कैसा है इस प्रश्न के ऊपर यदि हम विचार करें तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इन पटवारियों के कारण, इस पटवारी पद के कारण जो हमारे सदन के पास किये हुए कानून हैं, जो सरकार की विज्ञप्ति के जरिये काश्तकारों को राहत देने के कदम उठाये

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

गये वह आज एक व्यक्ति पर अधिक भार पड़े रहने के कारण नहीं पहुंच सके, और वह इम्पेक्ट जिसके लिये हम समझते हैं कि एक कानून की कलम के जरिये से कर सकते हैं और सही रूप में अगर हम देखें तो उसका इम्पेक्ट आज मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जितना हम मानते है. जितना हम उनकी चर्चा करते हैं उतना इम्पेक्ट काश्तकारों के लिए गांवों में नहीं हो सका है और उसके नहीं हो सकने का कारण एक पटवारी है। मैं उस पटवारी की योग्यता की तरफ प्रकाश नहीं डाल रहा हूं उसका एक प्रमाण है। अगर आप देखें, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जहां कि पटवारी भी मौजूद है, आपकी सरकार भी मौजूद है सन् ५६ में जो कानून पास हुआ दफा १६ और १५ के कारण जो म्युटेशन होने चाहिए थे और जिनके कारण काश्तकारों का लाखों बीघा जमीन के ऊपर हकूक पैदा हो जाने चाहिए थे, आज अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट की फिगर्स देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि १।।। लाख बीघा जमीन दफा १५ और १६ में म्युटेशन केवल जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। इसका कारण यह नहीं है कि वे पटवारी नहीं करना जानते थे। इसका कारण है उनका वेतन। इस कारण वह आपके आदेश दफा १५ और १६ के जो एक कलम से एक दिन उनको स्वतः खातेदारी हकूक दे देने चाहिए थे वे नहीं दिये; इसलिए नहीं दिये कि इसके जरिये से पटवारियों की आमदनी का जरिया रहता था। जब किसी काश्तकार ने उनके पास एप्रोच किया, उनकी मर्जी पूरी की तो १५ और १६ दफा के तहत हकूक उन्होंने मुन्तकिल कर दिये और जिन काश्तकारों ने एप्रोच नहीं की और उनको खुश नहीं किया, उनको दफा १५ और १६ के खातेदारी के इन्तकालात नहीं किये। इसलिए मैंने यह कहा कि आपने जो सबसे बड़ा खातेदारी हकूक देने का काश्तकार के लिए कानून बनाया था वह पटवारियों को कम वेतन मिलने से और उनके ऊपर कार्यभार ज्यादा होने के कारण काश्तकारों को नहीं मिल सके।

इसी तरह से मैं दूसरी मिसाल अर्ज करूंगा कि आपने १-१२-६५ को नोटीफिकेशन निकाला कि जो जिस जमीन के ऊपर काबिज है गांवों के अन्दर उसको रेगुलराइज कर दिये जाये। जहां तक उसकी स्प्रिट थी जहां तक उसका अभिप्राय था वह काश्तकारों की हित की चीज नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस नोटिफिकेशन के जरिये से हजारों लाखों काश्तकारों को फायदा हो जाना चाहिये था और जिसके जरिये से आबादी के अन्दर रेगुलराइजेशन हो जाना चाहिए था जिससे आबादी के अन्दर २।। सौ कच्चे के पक्के मकान बनने का फायदा हो जाना चाहिए था, जिससे आपके टीनेन्सी एक्ट की दफा ३३ के अधीन म्युटेशन काश्तकारों को पक्के मकान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए था वह नहीं फायदा उनको नहीं हो पाया और आपकी जो बैकबोन है, वे कागजात और नोटिफिकेशन सब जगह होने के बावजूद भी रेगुलराइजेशन नहीं हुए।

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

मैं अपनी तहसील के लिए कह सकता हूं कि वहां पर तहसील के अन्दर ३।४ हिस्से के अन्दर आज दो वर्ष पूरे हो जाने के बाद और एक वर्ष की मयाद पूरी होने के बावजूद भीं रेगुलराइज़ेशन ३।४ विलेजेज में नहीं हुआ और इसकी ओर ध्यान मैंने एस० डी० ओ० और कलेक्टर का दिलाया कि इस नोटिफिकेशन का फायदा ३।४ हिस्सों में नहीं हो सका। सदन में भी मैंने सवाल किया लेकिन कोई नहीं सुनता। और इसका वही कारण है कि जिसको स्वतः कर देना चाहिए. जिसकी कोई फाइल बनने की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए कोई पेशी पड़ने का सवाल नहीं था—जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्मा दिया कि म्युटेशन कराने के लिए ४८-४८ पेशियां बता देते हैं। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह किस बात की पेशी ? जहां स्वतः इन्द्राज होना चाहिए था वह पटवारी लोग नहीं करते हैं और वह इसलिए नहीं करते है कि उनके पास यही तो एक जरिया है, अगर यह नहीं हो तो जो न्यूनतम उसको तनख्वाह देते है और जितना कार्यभार आपने उस पर दे रखा है उसके तहत में वह अपना गुजर नहीं कर सकता है।

इस तरह से मैं बतलाऊंगा कि एक तहसील के अन्दर दफा १६ के तहत में जब चारागाह की जमीन के अन्दर किसी को खातेदारी नहीं मिलनी चाहिए लेकिन चार-चार हजार बीघा जमीन के ऊपर, एक एक गांव में ८०० बीघा जमीन जो कि चरागाह है, उनके ऊपर काश्तकारों का कब्जा चल रहा है और पटवारी वहां पर रहता है उसकी मिल्लत, उसकी शह और उसकी जानकारी में आठ-आठ सौ बीघा चरागाहों पर काश्तकारों का कब्जा है। प्रत्येक वर्ष नोटिस देते हैं और सवाया लगान वसूल करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यह उसकी जानकारी में है, लेकिन पूरी तहसील में चार हजार बीघा जमीन पर आज तक इजेक्टमेंट नहीं हो सका और बराबर सवाया लगान वसूल होता है। काश्तकारों पर यह जेरबारी हो रही है कि बजाय लगान देने के वह सवाया लगान देता है। पटवारी सवाया लगान ले लेता है और खाना-पूरी करके कानून की मन्शा पूरी कर देता है। यह आपके कानून का दिग्दर्शन है। इस हालत में जो अहम कानून हैं उनकी जिसके जरिये से आप काश्तकारों को खातेदारी राइट्स देते हैं, जिसके जरिये से उनको पक्के मकान की राहत देते है, जिसके जरिये से आप चरागाह की भूमि की व्यवस्था करते हैं। उनके तरीके से और ढंग से यह हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि पटवारी साहबान की पोस्टें जो इतनी अहम है, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है, उसको छोड़ रखा है। आप इसलिए कहते हैं जैसे कि पुरानी कहावत है कि तनख्वाह चाहे दो रुपये कर दो, लेकिन नाम दरोगा धर दो। पटवारी को कुछ भी तनख्वाह दो, लेकिन गांव में जो भी अफसर जाये, चाहे कलेक्टर जाये तहसीलदार जाये, बी० डी० ओ० जाये, उनको सब को एन्टरटेन करने का उसका फर्ज है। कोई ऑफिसर यह नहीं देखता है कि गिरदावर से लेकर बड़े ऑफिसर तक सब को वह एन्टरटेन करता है तो खर्चा कहां से

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

लाता है। तनख्वाह उसको कम मिलती है और उनकी आवभगत के अन्दर खर्चा करता है तो यह कानून जो उसको दे रखा है उसके तहत अपनी पूर्ति करता है। इसलिए मैं आपको इस कटौती प्रस्ताव के जरिये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि कानून का इम्पेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : तो...

श्री उपाध्यक्ष : Goverment reply

श्री चौंसरसिंह बावल (वैर) : उपाध्यक्ष, महोदय मुझे ...

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में एक-एक घंटा दिया है।

श्री चौंसरसिंह बावल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पुलिस पर भी समय नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सूचना मिली है कि एक और डिमाण्ड लेनी पड़ेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमन्त्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सम्बन्ध में जो अनुपूरक अनुदान के लिए प्रार्थना की गई थी उसके सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव आये हैं। मूलतः इन प्रस्तावों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो यह है कि पटवारी, उनके कर्त्तव्य, उनके काम का बंटवारा और उन पर अधिक काम का होना और दूसरी यह है कि उस काम के मुकाबले जो वह करता है, जो तनख्वाह, या भत्ता या दूसरी सुवि-धाएं मिलती हैं वे कम हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर खास तौर से विचार व्यक्त किये गये है। अब तक इस विधान सभा में जब भी हमें विचार सुनसे को मिलता था तो यही मिलता था कि पटवारियों की वजह से ही जो कुछ भ्रष्टाचार या जो कुछ खराबियां हैं उसका मूल कारण वही है। आज पहली बार पटवारियों के बारे में हमदर्दी के विचार भी सामने आये हैं। मैं स्वयं भी उनके प्रति बहुत हमदर्दी रखता हूं, लेकिन हमदर्दी के साथ साथ हमें उन सब बातों पर भी विचार करना होगा जो राजस्थान में कई किस्म के एम्प्लोईज़ और इसी किस्म के एम्प्लाईज दूसरी जगह भी हैं, सब जगह क्या स्थिति है, क्या साधन और सुविधाएं उनको तन-ख्वाह की दृष्टि से है या भत्ते की दृष्टि से हैं और दृष्टियों से हैं, उनको भी साथ लेकर चलना होगा। जो काम उनको सोंपा गया है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। यह बात सही है कि ग्राम स्तर पर यह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मूलभूत आधार है और कई काम इसको गवर्नमेंट के हित की रक्षा की दृष्टि से करने पड़ते हैं। वह करता भी है। उसमें खराबियां भी हो सकती हैं, इनएफिशियेन्सी भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी उसको दिया जाता है उसके लिए यह कहना कि राजस्थान जो तनख्वाह या भत्ते या जो दूसरी सुविधाएं दे रहा हैं वे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इतनी कम हैं. इस बात की तरफ हम अगर ध्यान लगायें तो हमें दूसरे प्रान्तों में उनको क्या दिया जाता है, उस पर भी विचार करना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० में पटवारी का ग्रेड ३५) रु० से ५५) रु० का है और दूसरा ग्रेड उनका जो सिलेक्शन ग्रेड कहा जाता है वह ५५) रु० से ६५) रु० का है। मिनिमम उनको ७३) रु० मिलता है और मैक्जीमम उनको १०५) रु० मिलता है, उस वक्त जब कि उसमें डियरनेस एलाउन्स मिल जाता है। पंजाब में ६०) रु० से १७५) रु० है, मध्यप्रदेश में ६५) रु० से ६५) रु० है, मद्रास से ६५) से ६०) और दूसरा ग्रेड ८०) रु० से ११०) रु० का है, आन्ध्र प्रदेश में ६५) रु० से ६५) रु० का है और एक ५०) से ५५) रु० का है। गुजरात में ८०) रु० से ११५) रु० का है और दूसरा ग्रेड १००) से १३०) रु० का है। राजस्थान में हम क्या देते हैं इस मुकाबले में वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां भी सिलेक्शन ग्रेड है और ओरीजिनल ग्रेड भी। ओरीजिनल ग्रेड ६५) रु० से ६०) रु० का है और सिलेक्शन ग्रेड ७५) रु० से १०५) रु० का है ये दो ग्रेड होते हुए भी दूसरी सुविधाएं इनको यहां पर देते हैं वह कई प्रान्तों में नहीं हैं। हम इनको लैण्ड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए १५) देते हैं, डियरनेस एलाउन्स जो इस समय बढ़ कर २५) रु० हो गया हैं वह देते हैं। साथ ही साथ उनको हाउस एलाउन्स ४) रु० देते हैं, स्टेशनरी एलाउन्स ४) देते हैं। इसके साथ साथ जितनी प्रतिलीपियां सर्टीफाइड कापीज़ इनके कार्यालयों से जो भी किसान या दूसरे लोग लेते हैं उसकी जो कुछ भी फीस होती है। वह सारी उनको मिलती हैं। उसमें गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता है जब कि दूसरी जगह कापिंग फी गवर्नमेंट को दी जाती है। इसके साथ साथ पंचायत और पंचायत समितियों के ड्यूज जो यह रिकवर करने हैं उसमें से उनको २) रु० और६) रु० प्रतिशत क्रमश: कमीशन के रूप में उस राशि को एकत्रित करने के लिए भी दिये जाते हैं। इसके साथ साथ एल.आई.सी. के अन्दर जो प्रीमियम्स अगर कलेक्ट करते हैं उसके सम्बन्ध में कमीशन की व्यवस्था है। इस लिए अगर इन सारे जितने फायदे और सुविधाएं जो इनको हम देते हैं उनको एक साथ जोड़ा जाय तो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है कि जिनके मुकाबले में हम किसी तरह से नीचे उतरते हों। एक—दो स्टेट्स ऐसी है जहां कि इनके ग्रेड्स हमसे हायर यानी ऊंचे हैं तो वहां पर महंगाई का रुपया कम है। वह १५) रु० ही देते हैं जब कि हमारे यहां पर १५) रु० के बजाय २०) और अब २५) हो गये हैं। इसलिए तनख्वाह के मामले में, या महंगाई भत्ते के मामले में या अन्य सुविधाओं के मामले में हम दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। फिर भी राज्य सरकार ने पटवारी संघ के रिप्रेजेन्टेशन करने पर इनकी कठिनाइयां कई थीं उनमें से तनख्वाह की, प्रमोशन की या इन्क्रीमेंट्स की और दूसरी जितनी भी कठिनाइयां थीं—उनके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी का निर्माण किया है। और

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

उस कमेटी का अध्यक्ष भी मुझे ही बनाया है। हमने उनकी सारी डिमान्ड्स के सम्बन्ध में उनको सुना है, हम सारे मामले पर विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद हम एक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी उनको कार्यान्वित करेंगे और भी जितनी कठिनाइयां सदन के सामने रखी गई वे सारी रिप्रजेन्टेशन में लिखी हैं। हमने सुनी भी हैं उनके प्रतिनिधियों से इसलिए उन पर विचार करके जो रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को उस पर गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी उसके बाद एकशन लिया जायगा।

यह भी कहा गया कि पटवारियों पर ज़िम्मेदारी कितनी हैं। उनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया है लेकिन उनके पास जो रहने के स्थान हैं वे सुरक्षित नहीं हैं, पटवार खाने नहीं बने हैं इसलिये सरकारी मनी सुरक्षित नहीं रहती है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल सरकार पटवारखाने बनाने के लिये बजट में प्रावधान रखती है.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितने बना चुके है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३५० बने हैं। ३५०० पटवारखाने बनाने हैं। कुछ सरकारी इमारतों में काम करते हैं इसलिये ३५०० पटवार खाने बनाने का फेज हमने बनाया है।

यहां यह भी कहा गया कि काम इतना ज्यादा है उनके पास कि वे किसी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते। वास्तव में उनके पास स्टेटिसटिक्स का काम चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे एनिमल हस्बेन्डरी का हो, चाहे एपिडेमिक का हो, चाहे माइनिंग से ताल्लुक रखने वाला हो, समय समय पर सरकार को जानकारी करनी हो, सेन्सस या इलेक्सन के काम भी वक्त आता है तब होते हैं। वे सब इनको करने पड़ते है और उनका मेन वर्क है लेंड रेकॉर्ड्स को मेन्टेन करने का और रखने का और रेवेन्यू कलेक्शन का ये मेन काम हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है और रेवेन्यू लॉज कमीशन में भी मामला आया कि किस तरह पटवारियों का बोझ हल्का किया जाय जिसे कि वे रेवेन्यू रेकार्ड को अप-टू-डेट रख सकें और रेवेन्यू कलेक्शन का काम सफलता पूर्वक, ईमानदारी से कर सकें और उनका वर्क लोड कम हो सके। इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है कि वर्क लोड कम करके एफिशियेन्सी किस प्रकार बढ़ावें.......

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु०) : पटवार-घर तहसील हेड क्वार्टर्स पर बनाये हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील हेड क्वार्टर पर बनाने का सवाल नहीं आता। जहां पर सरकारी बिल्डिंग्ज़ अवेलेबल नहीं थे, जहां पर कि पटवारी पटवार का काम कर सकें उन स्थानों पर बनाये हैं, अधिकांश

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गांवों में ही बने हैं इसलिये तहसील हैड क्वार्टर्स पर बनाने का ज्यादा सवाल आता नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सिक्योरिटी के लिये वहां पर तिजोरी रखने का सवाल था उसके बारे में क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने जब रेवेन्यू कलेक्शन का काम पटवारियों के सुपुर्द किया उस समय यह भी फैसला किया कि जो पटवारखाने हैं या जहां पर पटवारखाने नहीं हैं और किराये के मकान में पटवारी रहते हैं जिसके लिये उनको ४) रु. माहवार मिलता है वहां हम उन सब को तिजोरियां सप्लाई करें। इसके लिये रकम भी मंजूर हुई, खरीदने की कार्यवाही भी हुई और जल्दी ही तिजोरियां पटवारियों के सुपुर्द कर दी जावेगी जिससे जहां पर वे रहते हैं पटवारखाने में या प्राइवेट हाउसेज में वहां फिक्स कर दें ताकि रकम सुरक्षित रह सके। इस संबंध में व्यवस्था की जा रही है।

दूसरी बात यह बताई गई कि दूसरी जगह सरकारी रकम जमा कराने जाते हैं तो पोहरे में जाते हैं, सुरक्षा में जाते हैं लेकिन पटवारी सुरक्षित नहीं रह जाते हैं जब कि इनको लाखों रुपये जमा कराने पड़ते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। उनके पास २०००) से अधिक रकम हो जाय तो उसे जमा कराने के लिये तहसील हैड क्वार्टर पर जाना चाहिये और निश्चित रूप से इससे अधिक रकम इकट्ठी हो जाने पर वे तहसील हैड क्वार्टर पर जाते हैं। इसलिए सिक्योरिटी की ऐसी बात नहीं है। न तो उनके पास लाखों रुपये रहते हैं और न नियम ही ऐसा परमिट करता है। पहले नम्बरदार भी इसी प्रकार जाते थे इसलिये सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उनके पास तिजोरियां पहुंच जायेंगी और पटवारघर बनाने की योजना है। इसलिए यह प्रश्न सामने आयेगा नहीं।

यहां यह भी बताया गया कि लाखों रुपये लोगों में बकाया हैं और खातेदारी के अधिकार भी कइयों को नहीं दिये। यह बात इसलिये है कि पटवारियों को कम सुविधायें देते हैं, इसलिए वे काम नहीं करते। या जहां रेगुलराइज़ेशन का सवाल है, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया रेगुलराइज़ेशन इसलिए नहीं होता कि उनको तनख्वाह पूरी नहीं देते। आज जिस काम में देरी होती है उसके लिए यह वजह बताना कि पटवारियों को कम तनख्वाह देते हैं इसलिए देरी करते हैं, यह अनुचित होगा। माननीय सदस्य को मालूम है कि सर्क्यूलर ऐसा है कि नाजायज केसेज़ जिस स्टेज पर चल रहे हैं उस स्टेज पर न दुरुस्ती का सवाल है न यह पटवारी से ताल्लुक रखता है। यह तहसीलदार से सम्बन्धित सवाल है, पटवारी इसमें पिक्चर में नहीं आता। नये एन्क्रोचमेंट हैं उनको नोटिस देने के बाद रेगुलराइज़ करने का काम तहसीलदार का है और उसकी सलाह के लिए एडवाइजरी कमेटी है। यह पटवारी से ताल्लुक नहीं रखता इसलिये इस देरी के लिए पटवारी को जिम्मेदार बताना और उसकी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तनख्वाह से संबंध जोड़ना अनुचित है। जहां तक खातेदारी अधिकार देने का सवाल है........

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पटवारी के रजिस्टर और रिपोर्ट के बिना ऊपर की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेन्डिग केसेज़ का मतलब है कि पटवारी रिपोर्ट कर दे, फिर रेगुलराइज करने का काम तहसीलदार का है। रेगुलराइज़ेशन न करने का सवाल उस वक्त आता है जब कि यदि रिपोर्ट नहीं होती है तो रेगुलराइज़ेशन कैसे हो। तहसीलदार की नोटिस में नहीं आता, जो नाजायज कब्जा है वह नोटिस में ही नहीं आया तो कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं होता लेकिन जब केसेज़ चल रहे हैं उस समय देरी करने से पटवारी का ताल्लुक नहीं है। देरी के लिए पटवारी जिम्मेदार नहीं है।

यहां यह भी सवाल उठा कि जितने सेक्शन १९ की तहत आने वाले मामले हैं वे पटवारी की वजह से समय पर नहीं होते और यह भी कहा गया कि म्युटेशन समय पर नहीं होता क्योंकि पटवारी के पास बहुत काम है इसलिए रिफोर्म्स का इम्पेक्ट किसानों पर नहीं पड़ता। जहां तक खातेदारी अधिकारों का सवाल है सेक्शन १५ और सेक्शन १९ में वह अधिकार यदि कानून को ध्यान से पढ़ा जाय तो स्वतः कानून में दे दिया है इसलिए म्युटेशन किसी का नहीं हुआ है तो भी जिसके हक में नहीं हुआ है तो भी उसको अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वह बेदखल होता नहीं है और जमीन उसके कब्जे में है, काश्त वही कर रहा है तो म्युटेशन में देरी होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह नहीं है कि म्युटेशन जल्दी नहीं होना चाहिए। मैं इफेक्ट की बात करता हूँ। जब से किसी को खातेदार मान लिया तभी से वह जमीन का मालिक बन गया, इन्द्राज हो या नहीं, हांलाकि जल्दी होना चाहिए, लेकिन म्युटेशन के सारे मामले पटवारी के हाथ में नहीं हैं।

म्युटेशन की कई स्टेजेज़ हैं—जहां ग्राम पंचायत आती है वहां ग्राम पंचायत तस्दीक करती है, कई केसेज में पटवारी की तरफ से केस देरी से रखे जा सकते हैं, कई केसेज ऐसे हो सकते हैं जहां पंचायत तस्दीक देरी से करती हो। दोनों केसेज़ में एस. डी. ओ. को अधिकार है कि वह मंगा कर तहसीलदार को या और किसी को सुपुर्द करे। वैसे थोड़ी देरी इस काम में होती है, उसके लिए पटवारी को जिम्मेदार कहा जा सकता है लेकिन सारी देरी के लिए सारी जिम्मेदारी पटवारियों पर डालना उचित नहीं है। फिर भी यह सारा काम जल्दी हो इसके लिए हमने, राज्य सरकार ने, आदेश दिए हैं कि अमुक दिन, जैसे २० रोज से ज्यादा पटवारी अपने पास म्युटेशन के कागज नहीं रखे और उसके बाद पंचायत समिति के पास भेज दे। पंचायत समिति भी अमुक तिथि में कागज को निकाल दे, उससे अधिक अवधि तक अपने पास नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रखे। दोनों निर्धारित समम में काम खत्म नहीं करते हैं तो एस. डी. ओ. को अधिकार दिया है कि वह फाइल मंगा कर तहसीलदार को भेज दे जो म्युटेशन की कार्यवाही करे। म्युटेशन का सवाल इसलिए सदन के सामने नहीं आता है कि म्युटेशन की कार्यवाही में जो जायज म्युटेशन हैं वे हो जाने चाहिए-और वे नहीं हो रहे हैं। सवाल यह है कि म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं—डिवीजन ऑफ म्यूटेशन, डिवीजन ऑफ होल्डिंग्ज़ के अन्तर्गत यह कह दिया कि इससे नीचे या इससे कम हो तो म्यूटेशन नहीं हो सकती, कोलोनाइजेशन की कोलोनीज में सेल ऑफ लेंड और ट्रान्स्फर माना है। इसका म्यूटेशन का सवाल आता है। हमने किसी कानून से किसी चीज को रोक दिया है उसके बाद भी सेल और दूसरे ट्रान्जेक्शन करते हैं तो उसके म्यूटेशन कानून के विरुद्ध होने से नहीं किये जा सकते। ऐसे म्यूटेशन कार्यवाही के लिए तहसीलदार और पटवारी के पास आते हैं तो स्वभावतः वह नहीं करते हैं और इस कारण उसमें देरी होती है और लोगों में असंतोष पैदा होता है और काश्तकार लोग चिल्लाते हैं कि जब बंटवारा कर दिया गया है तो यह दर्ज हो जाना चाहिये, चाहे सेल कर दिया है कानून के खिलाफ तो भी दर्ज कर लेना चाहिए, चाहे हमने बेची हुई जमीन की कोई डीड नहीं रखी है तो भी म्यूटेशन कर देना चाहिए। जब रेवेन्यू के अधिकारी नहीं करते हैं तो म्यूटेशन की आवाज उठती है। तो इन कारणों से म्यूटेशन तहसीलदार, पटवारी और एस.डी.ओ. कोई भी नहीं कर सकता : क्योंकि वह कानून की खिलाफवर्जी है। इस तरफ से हुई डिले, डिले नहीं हो सकती ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): रिजेक्ट तो कर दें।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): २२-२-की एक फहरिस्त भेजी गई है उसमें लिखा है कि साझेदारी की खेती है उसको अलग कर देना चाहिए। लेकिन इसमें ढिलाई होती है और यह नहीं होता है। राजस्व (ख) विभाग द्वारा सन् १९६४ में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों पर टिप्पणी वाला प्रपत्र भेजा गया है उसमें पेज ३ पर लिखा है : अधिभार लगाने के सम्बन्ध में तथा अधिभार वसूल करने के प्रयोजन से जैसा कि राजस्थान भू राजस्व (अधिभार) संशोधन अधिनियम, १९६४ में निर्दिष्ट किया गया है, साझेदारों को पृथक इकाई के रूप में मान्यता देने के विषय में विस्तृत अनुदेश जारी किये गये।

अब इस सम्बन्ध में ढिलाई होती है तो क्यों होती है ? सरचार्ज लगाते हैं एक पर जब कि किसान ने साझेदारी को अलग कर दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरचार्ज के सम्बन्ध में गड़बड़ी होने का प्रश्न इसमें नहीं है। हमने कई बार कानून पास किया था। उसके अन्दर हमने प्रावधान कर दिया था कि चाहे खेत एक हो, लेकिन उसके अन्दर चार हिस्सेदार हैं तो सरचार्ज की रकम लेवी करते हैं उसको केल्कुलेट करने के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिए चारों के हिस्से बराबर हों तो १।४ रकम जानना चाहिए और उस पर सरचार्ज लगाया जा सकता है तो लगाया जाय, अन्यथा नहीं। यह कानून के पास हो जाने के बाद सरचार्ज के केल्कुलेशन के मैथड में और म्यूटेशन के अन्दर गड़बड़ी होने का कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं आया। मैंने कहा है कि बंटवारे में जो डिवीज़न हो वह फ्रैग्मेंटेशन कानून में जैसा बताया है उससे बिलो तो अलाऊ नहीं करते हैं...

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : चार आदमियों के नाम लिखे हुए हों और हिस्सा नहीं लिखा हो तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चार आदमियों के नाम लिखे हुए हैं और लैंड सेपरेटेड नहीं है और जोइन्ट है और उसके हिस्से के डीड्स और बोन्ड्स नहीं हुए हैं ओर जोइन्ट होते हुए हिस्सा इन्डीकेट कर दिया है और उस हिस्से को फोर पर्पज़ेज़ ऑफ सरचार्ज कर लेते हैं ...

श्री गोविन्द सहाय : चार के नाम खाते में लिखे हुए हैं और हिस्से दर्ज नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मतलब जोइन्ट खेती है।

श्री अब्दुल जब्बार : आप अलग अलग क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; तो १।४ यह बराबर हिस्सा लेते हुए, जितने हिस्सेदार हैं उनमें बराबर हिस्सा मान कर केल्कुलेट कर लेंगे।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यदि पटवारियों ने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज लाखों एकड़ जमीन, जो करीब १५ लाख एकड़ ज़मीन इन वर्षों में एलॉट कर दी गई है भूमिहीन किसानों को, वह मुश्किल था। इसका अलॉटमेंट करने में पत्थर गड्ढी करना यह अपने में एक काम है और वह किया गया है सरकारी मशीनरी से। इसके अलावा लाखों आदमियों को सेक्शन १५ और सेक्शन १६ के तहत अधिकार दिये गये हैं। जब यह बात मैं कहता हूं तो अधिकार तो स्वतः उनका हो गया है सेक्शन १५ और सेक्शन १६ के तहत, लेकिन म्यूटेशन उनके करके, रिकॉर्ड करके जो रिकार्ड का दुरुस्त किया गया है-ऐसे केसेज़ लाखों हैं जिनमें यह काम किया गया है .. ..

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने लाखों की बात कही है। उसके अनुसार मौके पर कब्जा दिया है और जो एलॉटमेंट किया है उसके अनुसार यह फिगर्स इकट्ठे किये गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह फिगर्स बता सकता हूं कि इतनी जमीन एलॉट की गई है। यह मान कर चलना चाहिए कि अधिकांश जमीन एलॉट की गई है वह इसी साल नहीं की गई है बल्कि चार साल, तीन साल, दो साल और एक साल पहले की गई है और दूसरी फसल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के पहले पहले एलॉटमेंट करके कब्जा दे दिया जाता है। जब तक कहीं कोई सूरत झगड़े की नहीं है तब तक जो लैंड एलॉटमेंट रूल्स में प्रावधान हैं उनके अनुसार जो पट्टा देते हैं, सनद देते हैं एलॉटमेंट के ऊपर, तो पट्टा जिस रोज देते हैं उसके अन्दर सनद के देने की तारीख लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि पट्टा देने से पूर्व कब्जा देते हैं, पत्थर-गड्ढी कराते हैं तभी तारीख सनद के अन्दर देते हैं। यह कार्यवाही दो साल से शुरू कर दी है और पत्थर-गड्ढी और सनद आदि की व्यवस्था करने के बाद उसमें शिकायतों की कमी हुई है...

श्री दलपतसिंह (आबू) : पटवारी से पहले काश्तकार को नम्बर लेना पड़ता है कि इस नम्बर की जमीन होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वह लेने की क्या जरूरत है जब कि तहसीलदार के पास नम्बर होते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। यह जमीन एलॉट की जाती है उससे पहले नोटिफिकेशन इश्यू होता है उसमें खसरा नम्बर लिखे होते हैं। इन्हीं खसरा नम्बर को लिख कर नोटिस चस्पा कर दिये जाते हैं ग्राम सभा के दफ्तर और तहसीलदार और पंचायत समिति के दफ्तर के बाहर। अब जहां जो जमीन एलॉटमेंट कराना चाहते हैं तो वह जिस खसरा नम्बर पर एलॉट कराना चाहते हैं उसके जो दर्खास्त देते हैं उसमें वह नम्बर भर दें जिससे यह एलॉटमेंट करने में सुविधा हो। इसलिए पटवारी से नम्बर लेकर भराना होगा, यह चीज नहीं है। किसान को कहां जमीन लेनी है, यह तो उसे बताना होगा। इसको बताने के लिए यह सुविधा दी है। पटवारी से नम्बर लेकर प्रार्थना-पत्र भर दे तो उससे प्रार्थना-पत्र खारिज नहीं होगा, यह सुविधा है।

श्री दलपत सिंह : यह मामला सिम्पल है। तहसीलदार के पास नम्बर होते हैं वह सीधे काश्तकार को नम्बर बता दे और जमीन का एलॉटमेंट कर दे। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि यह सरल तरीका होना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें प्रश्न यह है कि वह जमीन कहां लेना चाहता है ? अब अगर तहसीलदार या एलॉटमेंट कमेटी किसी जगह पर जमीन दे दे तो वह कहेगा कि वह तो वहां लेना चाहता था। यह कह दे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए यह तरीका ठीक है।

श्री दलपत सिंह : इसको एग्ज़ामिन करना है कि सरल तरीका आप सोचिये। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय समय पर अलॉटमेंट रूल्स बने, तब्दीलियां हुई, उन सारे रूल्स को रिवाइज़ करके नया सेट आप रूल्स का निकालना चाहते हैं, जो अभी तक कठिनाइयां की हैं, उनको हल करते हुए रूल्स एप्लाई करेंगे और कमेटी की रिपोर्ट आने पर फाइनल शक्ल देकर हम यह करेंगे।

(श्री दलपतसिंह)

और भी बातें कही गई सुविधाएं देने के बारे में, जिम्मेदारियों के काम के सम्बन्ध में; तनख्वाह, प्रोमोशन वगैरह के बारे में। इन सारी बातों पर हम बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर निर्णय ले रहे हैं, यही नहीं आज जो पटवारियों के द्वारा कार्य किये जा रहे हैं उनमें एफिसियेन्सी जितनी माननीय सदस्य या जनता अपेक्षा करती है वह नहीं हैं। इसमें कारण हो सकते हैं, एक कारण यह भी हो सकता है कि पटवारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। आज पटवार ट्रेनिंग के टोंक और उदयपुर में दो स्कूलें हैं, इनकी केपेसिटी को दुगुना कर कर देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ दुगुनी केपेसिटी के दो और पटवार ट्रेनिंग स्कूल्स और अगले फाइनेन्शियल ईयर से कायम किये जायेंगे जिससे पटवारियों को अपने काम में, चाहे इरिगेशन का काम हो चाहे सर्वे का काम हो, चाहे सेटलमेंट का काम हो चाहे राजस्व के सम्बन्ध में काम हो, चाहे फोरेस्ट के सम्बन्ध में काम हो. चाहे कन्सोलिडेशन से सम्बन्ध रखने वाला काम हो, इन सब कामों में प्रारम्भिक जानकारी इन्हें करा दी जाय, जिससे वे अपना काम सफलता से अन्जाम दे सकें। अभी ट्रेनिंग के अभाव में उनके काम में, त्रुटियां रहती हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्यों को शिकायतें रखने का मौका मिलता है, वे त्रुटियां नहीं रहेंगी।

तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इनकी मांगों और सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार बहुत जागरूक है और उचित एवं आवश्यक कदम समय पर उठायेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस ले लें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : आपकी जानकारी के लिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके विभाग से मेरे पास एक पत्र आया है। मैंने एक प्रश्न के दौरान में चैलेंज किया था कि कुछ गांवों में लगान नहीं लगा है । उसके सबंध में मुझसे पूछा गया है। आपका पत्र संख्या ११-३०३ राजस्व (ख) ६४ दि० १६-२-६५ मैंने एक प्रश्न के दौरान में कहा था कि लगान नहीं लगा है, आपने कहा था कि लगा है; मैंने चैलेंज किया था कि लगान नहीं लगा है । इस संबंध में मुझसे पूछा गया है और क्योंकि बहस चल रही है इसलिये मैं मोटे रूप से बता देना चाहता हूं कि निम्बाहेड़ा तहसील में कदमाली जागीर का गांव था, उसमें आज भी लगान नहीं लगा है,सेमलिया गांव की पूरी की पूरी जमीन खाते में नहीं पड़ी, लगान नहीं लगा, गांव मोठा गम्भीरी बांध पर है उसमें भी लगान नहीं लगा; रामगढ़, गंभीरी बांध के उटाये हुए लोगों को नहीं बसाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अब्दुलजब्बार : मुझे पूछा था इसलिये मैंने अपना फर्ज अदा किया, निम्बाहेड़ा तहसील में इन गांवों को एग्ज़ामिन करवा लें। सरकार के खजाने में पैसा

(श्री अब्दुलजब्बार)

आने वाला है। मैंने अपना फर्ज अदा किया; अब आप अपना फर्ज अदा करें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मैं कटौती प्रस्ताव रखता हूं। प्रश्न यह है कि मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के सम्बन्ध में जो कटौती के प्रस्ताव श्री उमरावसिंह ढाबरिया, श्री भैरोंसिंह, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, एवं श्री मथुरेशविहारी ने रखे हैं उन्हें पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १ मुख्य शीर्षक ९ भू-राजस्व के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,१०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १ स्वीकार हुई।

(विराम)

अब दूसरी जितनी भी मांग संख्याएं हैं वे मुखबन्ध पूर्वक यों की यों रखी जाती हैं।

(३. ५५ म. प.)

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों पर मुख-बंध

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११-कारागार

प्रश्न यह है कि अनूपूरक अनुदानों की मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,९६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४–वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक था-राज्य

(श्री उपाध्यक्ष)

तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,६७,८४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-२ राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,००,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-९ सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९--सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,३९,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३-विविध

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष किये में जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,०३,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-१४ वैज्ञानिक विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १४ स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १५–शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५३,२५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७–जन-स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,०३,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८–कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २८,९६,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १९–पशु-पालन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशु-पालन के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १९ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २१–उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

Page No 108

(श्री उपाध्यक्ष)

को १,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २१ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६–सिंचन, नौचालन इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यकर के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१२,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६ स्वीकार की गई ।

(४.०० म. प.)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २९–दुर्भिक्ष

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,९९,९८००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २९ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३२–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७- भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५–विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६-अन्य विविध अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,२२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ९५-का उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,५०,०० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ स्वीकृत की गई।

(४.०५. म. प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५

पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५ आज सदन के अन्दर विचारार्थ प्रस्तुत है। फोरेस्ट की डिमांड के ऊपर सदन में कोई जिक्र नहीं हुआ है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। वनों का जब ठेका दिया जाता है तब उनकी रक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है और वनों का सफाया कर दिया जाता है। मैं वन मंत्री से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों की हालत बहुत खराब है। आज से १५ साल पहले जब हम जंगलों के अन्दर जाते थे तो नीचे होकर गुजरते थे और हमारे साफे पेड़ों में रह जाते थे। लेकिन आज फोरेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(श्री नाथूलाल करौल)

जयपुर के लिये मैं कहना चाहता हूं कि वन मंत्री से पूछा जाय कि क्या हालत है।

झालाना के जंगल में गत वर्ष आंधी से कई पेड़ गिर गये। उन गिरे हुए पेड़ों का ठेका ५ हजार रुपये में दिया गया, पर ठेकेदार ने क्या किया ? कि गिरे हुए पेड़ तो लिये ही, साथ साथ और पेड़ों का भी सफाया कर दिया। फोरेस्टर की मेहरबानी से यह काम हुआ। इस तरह अगर जंगलों का सफाया करते रहे तो कहां से लकड़ी आयगी और क्या होगा ? तो मैं फॉरेस्ट मंत्री से नम्र निवेदन करूंगा कि झालाना के जंगल के बारे में एक एन्क्वायरी कमेटी बिठावें कि किस की गलती से जंगल का सफाया हो गया। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डी. एफ. ओ. जयपुर से पूछा जाय कि इस तरह कैसे जंगल का सफाया हो गया।

नारी का नाका, चौकी पुराना घाट से रात दिन लकड़ी जाती है। उसको रोकने के लिये भी कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिये। जयपुर राज्य के समय इन जंगलों में शेर चीते घूमा करते थे और गहरा जंगल था, लेकिन आज चोरी से लकड़ी जा रही है और जंगलों का सफाया हो रहा है। नाकेदार लोग कोई इन जंगलों की रक्षा नहीं करते। इसलिये मेरा निवेदन है कि जंगलों की एन्क्वायरी कराई जाय कि इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। जल्दी से जल्दी इन जंगलों के लिये एन्क्वायरी कमेटी बिठाई जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५ अभी वित्त मंत्री महोदय ने सदन में पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं थोड़े से विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पिछले सत्र में जब हम यहां मिले थे उस समय भी सदन से कुछ अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकार कराई गई थीं। और अब यह दूसरा मौका है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन के समक्ष आई हैं। अनुपूरक अनुदानों की मांगें पास करने का मौका इसलिये आता है कि साल का जो बजट बनाया जाता है उसमें कुछ खर्चा नीचे ऊपर हो जाता है और इस कारण से सदन से उन मांगों को पास करवाना आवश्यक होता है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में विधेयक लाना इस बात का द्योतक है कि सरकार ने जो बजट के आंकड़े बनाये थे वे सही नहीं थे।

सरकार ने जो अनुमान खर्च का लगाया था वह सही नहीं था या एक कारण यह भी हो सकता है जिस समय वह बजट प्रस्तुत किया गया उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिन परिस्थितियों के कारण और जिस कारण सरकार को यह खर्चा करना पड़ा और यह अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन में प्रस्तुत करने का मौका आया। मैं समझता हूं राज्य का बजट आगामी वर्ष की सब वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाया जाता है और यदि अनुपूरक अनुदानों की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मांगें प्रस्तुत करने का मौका आये तो यह इस बात का सुबूत है कि राज्य सरकार आगामी वर्ष के सही खर्च का अनुमान नहीं लगा सकी है। सरकार के आंकड़े गलत हैं, सरकार के अनुमान गलत हैं और सरकार आगे आने वाले वर्ष के खर्च का अनुमान सही नहीं लगा सकी, यह इस बात का सुबूत है कि सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स या यों कहना चाहिये कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह इस बात का सुबूत है। आदमी एक बार गलती कर जाय, वह बात समझ में आ सकती है। पिछले वर्ष विधेयक प्रस्तुत किया गया था, सरकार अन्दाज नहीं लगा सकी कि आंकड़ों में कितना हेरफेर करना है और कितना अधिक खर्च इस वित्तीय वर्ष में हो जावेगा। इस सम्बन्ध में भी सरकार निश्चित रूप से उस समय अन्दाज नहीं लगा सकी। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार अपने खर्चे के बारे में सही अन्दाज नहीं लगा सकती और यह अन्दाज नहीं लगा सकती कि इन इन मदों पर हमारा खर्च अधिक होने वाला है तो सरकार आगे के लिये अनुमान कैसे करेगी, किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है कि जो सरकार अनुमान करेगी वह सही होगा ? एक साल में दो बार अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन के सामने प्रस्तुत करना इस बात का द्योतक है कि सरकार सही रूप में अनुमान नहीं लगा पाती है, सही आंकड़े पेश नहीं कर पाती है। माननीय वित्त मंत्री यह कहेंगे कि खर्चा ऐसा था जो साल के दौरान में आया और उसको करने के कारण यह विधेयक सदन में लाना पड़ा। अगर खर्चा जरूरी हो, आवश्यक हो, अगर खर्चा टाला नहीं जा सकता हो और उस खर्चे के बिना काम नहीं चल सकता हो तब तो, मैं समझता हूं कि बजट की पवित्रता को भंग नहीं किया है अन्यथा ऐसे खर्चे जिनको टाला जा सकता है और उनको न टालते हुए इस सदन में अनुपूरक अनुदानों की मांगों के जरिये प्रस्तुत करना और उन पर सदन की मोहर लगवाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता।

माननीय वित्त मंत्री जो हमेशा सदन में इस बात की दुहाई देते रहे हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, राज्यपाल ने भी अपने भाषण में राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने का ज़िक्र किया है, उन्होंने बताया है कि राज्य के अन्दर वित्तीय संकट है, गम्भीर आर्थिक हालत है, वित्तीय संकट खड़ा हो गया है और नाजुक दौर से राज्य की वित्तीय स्थिति गुजर रही है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति इतनी संकट पूर्ण हो गई, राजस्थान केनाल राजस्थान सेक्टर में नहीं आती तो इतना संकट नहीं होता, राज्य के कर्मचारियों का वेतन आदि ये मुश्किलें हैं। राजस्थान के ऊपर दो सौ करोड़ रुपये का कर्जा हो, राज्य के ऊपर पब्लिक डेंट बढ़ता जा रहा है, सार्वजनिक ऋण राशि जो खर्च की कर्ज लेकर उसका ब्याज और वह कर्जा राज्य के ऊपर बढ़ा जा रहा है, मैं इस समय उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा किन्तु इतना कहना चाहूंगा कि दुनियां भर के खर्चे करके प्लान या नोन प्लान, राजस्थान की जनता पर कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, और वह कर्जा भी इतना बढ़ा रहे हैं कि आपकी सरकार ब्याज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी नहीं चुका पाती। एक कर्जा बढ़ा और इस सीमा तक बढ़ा, कर्जा चुका नहीं पाते और ब्याज चुका नहीं पाते।

अफसोस की बात है कि दुकानदार कर्ज का ब्याज न चुका सके और उसको ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़े इससे अधिक और उसके सामने क्या अधिक वित्तीय संकट हो सकता है। आज राजस्थान की सरकार पहले लिए कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिये और कर्जा लेती जाती है। उसको भारत सरकार से अनुदान मिलता है, उसको भारत सरकार से सहायता मिलती है और उसको भारत सरकार से कर्जा मिलता रहता है, उसकी काफी धन-राशि उसमें एडजस्ट हो जाती है। इतना रुपया कर्ज के रूप में चुका था, इतना रुपया ब्याज देना था, चाहे चम्बल प्रोजेक्ट हो या दूसरे कोई प्रोजेक्ट हों, मैं इस समय उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता भारत सरकार से राजस्थान सरकार कर्जा लेती हैं, पब्लिक से राजस्थान सरकार डैट (debt) फ्लोट करती है उसमें से काफी रुपया उस कर्ज का ब्याज चुकाना है यह कहती है। यह वित्तीय संकट है यह कहते हैं। कितने वित्तीय संकट से राजस्थान की सरकार आज गुजर रही है ? एक तरफ राज्य की यह हालत हो, कर्ज से दबी जा रही हो, ब्याज बढ़ता जा रहा हो, रकम चुकाई न जा रही हो, योजना का फल प्राप्त न हुआ हो योजना का लाभ न मिलता हो, या योजनाएं क्रियान्वित न हो पायी हों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू करने के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिये था वह न मिला हो, योजना प्रोसेस में हो, मैं समझता हूं ऐसे खर्च करना जो टाले जा सकते हों, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री इस संकट पूर्ण आर्थिक स्थिति में जो यह अनुदानों की मांगे आयी हैं, उसके सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये खर्चे टाले नहीं जा सकते थे ? क्या आवश्यकता थी १,७५ हजार नयी गाड़ियों पर खर्च करने की एक तरफ आप कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, आप ब्याज चुका नहीं पाते और ब्याज चुकाने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ता है ऐसी सूरत में क्या जरूरत थी कि नयी गाड़ियां आप खरीदते ? क्या नयी गाड़ियां खरीदे बिना काम नहीं चल सकता था ? क्या स्टेट गराज में पुरानी गाड़ियों से काम नहीं चल सकता था।

जयपुर शहर में देखिये बीसियों गाड़ियां आपको मिलेंगी जो कोई २४ के मॉडल की है और कोई ३६ के मॉडल की हैं और ऐसी बढ़िया गाड़ियां हैं कि आपकी नयी गाड़ियों को बाईपास करके आगे निकल जाती हैं। आपकी गाड़ी सड़क पर ही खड़ी हो जायगी और वह नहीं रहेगी। यदि पुरानी गाड़ी से टक्कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी यदि टकरा जाती है तो आपकी गाड़ी जो नयी ली है उसकी लुग्दी बन जायगी। ऐसे पुराने मॉडल हैं। जिनकी मजबूती आज भी इतनी है कि आपकी गाड़ियां किसी प्रकार भी मुकाबला नहीं कर सकतीं। मॉडल उसका पुराना हो लेकिन उसकी चद्दर मजबूत, एन्जिन बढ़िया और दौड़ने में तेज। लेकिन क्या है ? मजबूत जरूर है लेकिन दिखने में अच्छी नहीं लगती। पुराने मॉडल की गाड़ियां दिखने में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अच्छी नहीं लगती । वित्त मंत्री पुराने मॉडल की फोर्ड गाड़ी में बैठ जाय तो सोचेंगे मेरा जैसा व्यक्ति फ़ोर्ड में कैसे बैठेगा ? इसलिए नहीं बैठेंगे कि मोटर शक्ल के अनुरूप नहीं है । मोटर भी अच्छी खूबसूरत और उसमें सीट भी आराम की होनी चाहिये । नये मॉडल की होनी चाहिये और नहीं होगी तो दिल्ली अगर जावेंगे और बाहर के राज्यों के मंत्री मिलेंगे वे पूछेंगे कि ये राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, ये राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, ये राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं; ऐसी गाड़ी, इतना पुराना मॉडल! वे राजस्थान राज्य के बारे में अन्दाज लगायेंगे। हो सकता है, आपकी शान बढ़ जाय, उनके मुकाबले में भी शान बढ़ सकती है । लेकिन राजस्थान की ६२ प्रतिशत जनता कर्जे से दबी हुई है । चाहे जनता कर्जे से दबी हो और कर्जा लेकर पेट पालती हो, १,४० लाख जनता की आमदनी साढ़े तीन आने रोज हो, हजारों आदमियों को खाने को न हो, पेट पर पट्टी बांधे फिरते हों, जहां कृषि का उत्पादन गिरा हो, सड़कों पर सैंकड़ों फुटपाथों पर रहते हों, गांवों के रहने वाले किसान की ही हालत को ले लीजिये, जहां ऐसे नजारें हैं कि तन ढकने को कपड़ा न हो, खाने को न हो, दवाई-दारू के लिए पैसा न हो, ऐसे गरीब राजस्थान में मन्त्रि-मंडल के सदस्य एक शौकियत में आकर शौकियत के आधार पर निय नयी मोटर गाड़ियां खरीदें, नयी फोर्ड चाहिये, नयी एम्बेसडर चाहिये, नयी हिन्दुस्तान चाहिये, १७—१७ हजार की गाड़ियां चहिये और इतना ही नहीं नयी नयी विदेशों की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। आपको बढ़िया टूरिस्ट्स गाड़ियां चाहिये ! जैसी अमेरिकन टूरिस्ट्स लाते हैं । उन गाड़ियों में देश की सैर नहीं हो तो मन्त्री क्या ? मौज-शौक के लिए है अभी मौज शौक नहीं किया तो कब ? गाड़ी लम्बी-चौड़ी न हो और आप बैठ कर अजमेर न जायं । लोग यह न देखें कि ये कौल साहब वे ही है जो कौल साहब कल तक अजमेर में साइकल पर बैठ कर घूमते थे । वे आज नयी बढ़िया और बड़ा शान शौकत वाली गाड़ी में बैठ कर आये हैं । लेकिन यह झूठी शान है । मन में यह बात बैठी हुई है, बिना गाड़ी के काम नहीं चलता और अजमेर के नागरिक और मत-दाताओं पर रौब जमाने का तरीका यही है कि नयी गाड़ी में बैठूं ।

कई मन्त्री तो कहते हैं कि अफसरों को बताने के लिये हमें सूट बूट पहिनना पड़ता है । अफसरों से बढ़िया सूट चाहिये, टाई लगनी चाहिये, बढ़िया पोलिश किये हुए जूते होने चाहिये, बढ़िया मोटर चाहिये; इसलिये इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है । आप इसके लिये जेब से खर्चा करिये तो मालूम पड़ जाय.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सब मिनिस्टर एक सरीखी पोशाक थोड़े ही पहिनते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ही बता दीजिये कौन कौन पहिनते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सवाल यह है कि आप व्यक्तिगत बातों पर जा रहे हैं, इससे आगे बढ़ना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल उदाहरण के रूप में ये बातें प्रस्तुत कर रहा था ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जिससे देश का भला हो उन बातों को जरूर कहें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं कह रहा हूं उससे आप मानते हैं भला नहीं होगा । नाथूरामजी, मैं तो यह सोचता था कि ६२ से पहले जो आपका बरताव था उसमें कुछ सुधार हुआ मान कर चलता था, वह अनुमान मेरा सही निकलना चाहिये ।

मैं यह निवेदन कर रहा था, सदस्य जो भी यहां कहते हैं देश के भले के लिये कहते हैं और आपको भी उसी भावना से सुनना चाहिए । मैं निवेदन कर रहा था, ऐसी परिस्थितियों में आज हम नई गाड़ियां खरीदें, उस पर खर्चा करें, पेट्रोल पर खर्चा बढ़ायें, यह उचित नही है । वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, दुनिया भर की आपने सीलिंग कायम कर दी जमीन की सीलिंग कायम कर दी, शहरी सम्पत्ति की सीलिंग कायम कर दी; क्या आपने मंत्रियों के दौरे की सीलिंग कायम करने का प्रयास किया है ? आज मन्त्री महोदयों में यह परिपाटी चल पड़ी है कि १३॥ हजार की गाड़ी, चार साल मन्त्री पद पर रहते हुए इतना भत्ता मिल जाना चाहिये जिससे रिटायरमेन्ट तक गाड़ी घर की हो जाय, पांच साल के बाद मोटर को अपनी मिल्कियत बना लें, इस प्रकार की प्रवृत्ति मंत्री लोगों में चल पड़ी है । यह प्रवृत्ति स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती । आपको मन्त्रियों के दौरों पर सीलिंग लगानी चाहिये । टूर-चार्जेज़ वसूल इतने होंगे, यह तय करना चाहिये; महीने में कितने दिन कितने माइल का टूर करेंगे, यह सब तय होना चाहिये । दौरे के बारे में कई बार सदन के सामने आंकड़े दिये गये; एक एक महीने में चार चार हजार, पांच-पांच हजार रुपये तक भत्ते के रूप में वसूल किये गये हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): २६ हजार रुपया तक सालाना लिया गया है, भत्ते के रूप में बरकतुल्ला साहब द्वारा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दौरे पर इतना खर्चा; पांच हजार और २६ हजार । इस तरह से कोई मन्त्री गाड़ी खरीदे तो पांच साल में उसकी गाड़ी की कीमत भत्ते के रूप में वसूल कर सकता है । इस प्रवृत्ति को नहीं रोकेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि बाकी जितने भी अधिकारी है वे भी इसी प्रवृत्ति के शिकार होंगे । यथा राजा तथा नीचे के अधिकारी । इन सारी बातों पर प्रवृत्तियों पर चैक हो सकता है । सरकार के अन्दर जो फिजूल-खर्ची बढ़ती जा रही है उसको रोकना होगा ।

मंत्री लोगों की संख्या बढ़ाने में १ लाख ७० हजार रुपया ज्यादा खर्चा हो गया । क्या जरूरत थी मंत्री-मंडल को बढ़ाने की ? क्या इतने से काम नहीं चल सकता था । हिन्दुस्तान में सब जगह मंत्रियों की संख्या कम करने की बातें चल रही हैं क्योंकि हिन्दुस्तान देश गरीब है । आज हिन्दुस्तान पर ८० अरब रुपयों का कर्जा

Page No 115

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। इधर आप मंत्री लोगों की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। आपको पंजाब से नकल करनी चाहिये। उसी प्रकार आप भी मंत्रि-मंडल में कटौती करें। आप तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार के मंत्री लोग हैं। आज हम देखते हैं इस तरह से प्रशासनिक खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

आज राजस्थान के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े उठा कर देखे जायं तो पता चलेगा प्लान्स में और इसमें कहां कोरिलेशनशिप है, कितनी तफावत है। आपका परसेन्टेज निर्धारित नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में निरन्तर खर्चा बढ़ता जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने सदन में भाषण दिया। आप कहते हैं, सरकारी नौकरियों में लोग इसलिए आते हैं कि यहां आरामखोरी करने का मौका मिलेगा, हरामखोरी करने का मौका मिलेगा। मैं इन शब्दों पर आपत्ति करता हूं सरकारी नौकरी के लिए कि आप इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करें। यह जहां सरकारी नौकरों का कन्डेम्नेशन है वहां मैं आपकी इस भावना को कन्डेम करता हूं। हमारी सरकार यह समझती है कि सरकारी नौकरी में बहुत लोग फालतू बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं भरती किसने की है? भर्ती आपने तो किया है। जिन लोगों को आप यह मानते हैं कि अनावश्यक रूप से सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं, उनकी जांच करें और जिन अधिकारियों ने उनकी भरती की है उनके खिलाफ एक्शन लें। आज एक तरफ सिविल एडमनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है, आप इन सब बातों की जांच करके जो भी अनावश्यक रूप से खर्चा आप समझते हैं उसको कम कीजिये। आज हालत यह है, प्रातःकाल एक सवाल के जवाब में जो उत्तर दिया गया पंचायतों के पंचों में खाद का रुपया बाकी है इस तरह से एक पंचायत में ४८ हजार रुपया तक बाकी है, पांच साल से बकाया चली आ रही है। लाखों करोड़ों रुपये की बकाया लोगों में है, सहकारी समितियों में बाकी है, पैसेन्जर्स टैक्स के लाखों रुपया बाकी हैं, लगान बकाया है। आपका ऐसा कौन सा विभाग है जिसकी बकाया नहीं हो? आप लोगों से पैसा वसूल नहीं कर सकते किसी से पैसा वसूल करना होता है तो आप पी. डी. आर. के तहत उसको लेते हैं।

छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं जिनके पास साधन नहीं, उनके लिये आप पी. डी. आर. में कार्यवाही करते हैं। राजस्थान में आपका लाखों रुपया पैसेन्जर्स टैक्स का पाना है, तकाबी का बकाया है कोई कदम आप उठा नहीं रहे है। पुराने मंत्रियों में मोटर गेरेज का पैसा बाकी है, राजाओं में पानी-बिजली का पैसा बाकी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई विशेष कार्यवाही नहीं। आप अपना खर्चा चलाने के लिये कर्जा लेते हैं, ब्याज चुकाने के लिये कर्जा लेते हैं। मैं समझता हूं, नैतिकता का तकाजा है कि आपको इस प्रकार के वित्तीय संकट को दूर करना चाहिए, यह आपका रवैया गैर वाजिब है, मन्त्री महोदयों की संख्या बढ़ती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है तो पेट्रोल पर ज्यादा खर्चा होता है। यह किसी प्रकार से भी वाजिब नहीं है : आप इसके लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें लाते हैं, सप्लीमेन्टरी बजट लाते हैं, एप्रोप्रियेशन बिल लाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, आप राजस्थान को कर्जे में ज्यादा से ज्यादा डालना चाहते हैं, इसकी वित्तीय स्थिति को सुधारना नहीं चाहते। अगर आप वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको फिजूल खर्ची दूर करनी होगी, कर्जे को घटाना होगा, ये सारे कदम आप अगर सख्ती के साथ नहीं उठायेंगे तो आपके सामने गम्भीर वित्तीय संकट आने वाला हैं जिससे निकलना आपके लिये मुश्किल हो जायगा। राजस्थान का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, केवल योजनाओं से विकास नहीं होता, केवल खर्चा कर देने से विकास नहीं होता। उस पर बराबर निगरानी रखने की आवश्यकता है। राजस्थान का वास्तविक रूप से अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको वित्तीय संकट को दूर करना होगा। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ तथ्यों के आधार पर मैंने सुझाव दिये हैं उन पर आप अमल करेंगे, आप ब्याज की अदायगी आमदनी के साथ बढ़ाइये। आप योजनाओं से आमदनी नहीं कर सकते। योजनाओं का रूप बदलना चाहिये। ऐसी योजनायें बनायें जिससे उसी साल उसका फल मिलने लग जाय। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह क्रिमिनल नेग्लीजेन्स है, इसी के कारण प्लान्स के इम्प्लीमेन्टेशन में ढिलाई होती है, उससे लाभ मिलता नहीं और हम कर्जदार बनते जाते हैं। जिन अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की योजनायें बनायी जाती हैं जिनका फायदा मिलने के बजाय नुकसान होता है उनके बारे में आपको एक्शन लेना चाहिये। आज इस तरह का करोड़ों रुपया है जिनका फायदा हमें नहीं मिल रहा है। जिन अधिकारी ने योजना बना कर दी है उस योजना के पूरे होने के बाद उसके कहे अनुसार यदि आमदनी नहीं होती है तो उस अधिकारी के कॉन्फीडेन्शियल रोल में रिमार्क लगाया जाना चाहिये। मैंने जो सुझाव प्रस्तुत किये, मैं उम्मीद करता हूं, माननीय वित्त मन्त्री महोदय उस पर सही रूप से अमल करेंगे तो राज्य की वित्तीय स्थिति को हल करने में सहायता मिल सकेगी। भविष्य में जो भी आप बजट के आंकड़े हैं उसमें कम से कम हेर-फेर हो, बजट की पवित्रता को बनाये रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये कि बार-बार सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट पेश करने की आवश्यकता रहे। बजट की जो पवित्रता है, उसकी जो मान्यता है उस भावना को बनाये रखने की दृष्टि से भविष्य में इस प्रकार अनुपूरक मांगें प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन देंगे। यही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक मांगों के बारे में जो आज हमारे सम्मुख मांग आई है उस पर ठीक तरह से गौर करने के बाद यह पता चलता है कि सरकार योजना को पूरा करने की तरफ उतना ध्यान नहीं देती जितना पैट्रोल खर्च करने, मोटरों का खर्च बढ़ाने नौकरों का खर्च बढ़ाने आदि इन चीजों पर करती है। सिवाय अकाल के और सारे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बजट के आंकड़े देखने से यही जाहिर होता है ।

मैं एक सुझाव देता हूं कि अनुपूरक मांगों के साथ सरकार को एक रिव्यू देना चाहिए कि हमने इस काम के लिये अमुक योजना के काम को पूरा करने के लिए बजट में इतना रुपया प्रोवाइड किया था और जिस स्टाफ के लिये खर्चा किया गया उसने उसको पूरा कर दिया । योजना का टार्गेट उसने अचीव कर लिया । अगर इस तरह की तस्वीर सदन के सामने आए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस अनुपूरक मांग के पीछे कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं रह जाता है । इन मोटरों, पैट्रोल, नौकरों मिनिस्टरों पर के खर्चे इन सब खर्चे का जस्टिफिकेशन हम मान लेंगे अगर काम आपने पूरा कर लिया जो करना था तो ।

हम जब हमारे सामने बजट आता है तो उसे हम इस उम्मीद में मन्जूर करते हैं कि उसमें जो काम करने की आशाएं बंधाई गई हैं वे पूरी होंगी । पर उनकी तो पूर्ति नहीं होती और यह हमारा जो निजाम है दिन-ब-दिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है और ये अनुपूरक मांगें और आ जाती हैं । हम यह भी तो जानें कि हमने जो इरादे किये थे उस बजट में वे कहां तक पूरे हुए हैं ? ये जो आंकड़े आप हमें बताते हैं, उनसे सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आती ।

मैं इसके साथ यह भी कहना चाहुंगा कि यह अनुपूरक मांग की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हम जो साल भर काम करें और हम जनता की जरूरत के काम करें और जनता की जरूरत में इधर-उधर ज्यादा कुछ खर्च हो जावे तो उनके एडजस्टमेंट के लिये अनुपूरक मांगे आएं । यह तस्वीर तो आती नहीं हमारे सामने और दूसरी तस्वीर आती है कि खर्चा कैसे ज्यादा किया ।

इन खर्चों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, पर जनता समझ नहीं पा रही है । इस पैसे से सरकार के दफ्तर चलते हैं, पर सरकार के इरादे पूरे नहीं होते । तो अगर इस मशीनरी के जरिये, इन नौकरों के जरिये हमें अपने इरादे पूरे करवाने हो तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप पहले इनकी चिन्ताओं को दूर करिये और इनको अपनी जरूरत की चीजों को पाने की चिन्ता से इनको मुक्त करिये । आज हमें इनमें गिरावट नजर आती है । आजाद हुए हमें इतना अर्सा हो गया पर दुख से हमारा पीछा. जनता का पीछा अभी नहीं छुट सका है । हम और तरफ जा रहे हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सही तौर से अगर नहीं चला गया और अगर मुल्क ने गलती की जो आज हमारी कमजोर इकोनोमी की हालत है, अकाल की स्थिति है उससे हमें कई मर्तबा निकलना पड़ेगा । आज भुखमरी, महंगाई और अकाल कीजोस्थिति है उसके हल करने का एक पेटर्न है । राजाओं के वक्त में भी और अंग्रेजों के वक्त भी यह स्थिति आती थी । महंगाई आती है, लड़ाई की वजह से आती है वक्त वक्त पर आती है कीमतें बढ़ती हैं तो

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सरकार किस तरह से कदम उठाए, कन्ट्रोल कैसे करे, उसका एक पैटर्न पहले से चला आ रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि उस पैटर्न पर भी हमें सोच-समझकर विचार करना चाहिये और उसे भी उपयोग में लाना चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि आप इस तरह पांच, दस, पन्द्रह रुपये न बढ़ावें; आपने पांच चार रुपया बढ़ा दिया और हम तालियां पीट दें, यह उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे तो कीमतें और आप ऊंची बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सेकण्ड वर्ल्ड वार में भी ऐसी हालत हुई थी, पर उस वक्त सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया भत्ता नहीं बढ़ाया। पर सब्सिडाइज्ड गुड्स मुहैया किया। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। ६२-६३ की जो कीमतें थीं उनके भाव पर आप जरूरत की चीजें खरीद कर इस पैसे से उनको ये मुहैया करें, बनिस्बत इसके कि आप पांच रुपया दस रुपया बढ़ावें। इससे तो भाव और महंगे ही होंगे। तो इससे सामाजिक न्याय की भी पालना नहीं होती। जो रुपया आपने बढ़ाया है। एक का कम एक का ज्यादा तो क्या कम बढ़ाने वाला कम खाता है, या ज्यादा बढ़ाने वाला ज्यादा खाता है। जो इस वेतन वृद्धि करने से एक्सचेकर पर खर्चा बढ़ेगा उससे कम पैसे में आप सब्सिडाइज्ड गुड्स सप्लाई करके उनको मदद दे सकते हैं। इससे भाव बढ़ने से रुकेंगे और कतार में खड़े होने का समय अपना बरबाद करने की चिन्ता से भी नौकर मुक्त होंगे। आपका काम वे निश्चित होकर कर सकेंगे। आपका काम भी अच्छा होगा। आपको जरूरत की चार, पांच, छः चीजें ज्यादा से ज्यादा होंगी जिनको सब्सिडाइज़ करना होगा। एक करोड़ बीस लाख रुपया आपका खर्चा होगा; पांच, दस, बीस देने में जैसे आप कोई उनको दान कर रहे हों। मैं इसे कोई महरबानी नहीं समझता।

जस्टिस यह डिमाण्ड करती है कि रोटी मिले सबको। मैं इसे महरबानी नहीं मानता, पर यह मानता हूं कि न्याय देना है, अच्छी तरह से काम लेना है तो मांग करता हूं कि प्राइसेज़ को ऊंचा बढ़ाने की पॉलिसी आप आगे न बढ़ावें। कम्पीटीटिव प्राइसेज़ पर समाज के गलत तत्वों के हाथों में इनको मत फेंकिये, व्यापारियों के रहम पर इनको न छोड़िये। पर हिम्मत के साथ इस मौके का फायदा उठाकर इस काम को लो और अपने हाथ में लो। सही कीमतों पर सारे हिन्दुस्तान से चीजें जो जरुरी हैं मंगा कर उनको मुहैया करें ६२–६३ की रेटों पर। इससे ज्यादा पैसा उसमें आपका खर्च नहीं होगा पर आपकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों ? आप कर नहीं सकते। इसका कारण यह है, सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े अफसर हैं उनको फायदा नहीं मिलता। आप करना भी चाहें तो वे नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि आप उन पर नहीं बैठे हो, वे आप पर बैठे हुए हैं। वे कुर्सियां आप पर बैठी हुई हैं।

मैं नहीं मानता कि सरकार इस बात को नहीं जानती। आपने १५० और ५४० के बीच में ३५ रुपये और वह चपरासी जो

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि आपका बस्ता उठा कर चलता है उसको आप ५ रुपये देते हैं। उसको रूखी रोटी खाने में दिक्कत हो रही है। इस तरह का सामाजिक न्याय करके सामाजिक व्यवस्था आप कायम करना चाहते हैं। आप सोशियलिज़्म लाना चाहते हैं जिसकी दुहाई देते हैं और वह भी इस तरह से। सोशियलिज़्म लाना चाहते हैं तो आपको अपनी बेसिक पॉलिसीज़ बदलनी होंगी और वे यह है कि प्राईसेज़ न बढ़ें और कम से कम नेसेसिटीज़ की चीजें, जिन्दगी को जिन्दा रखने के लिए रहम करो; उन बालबच्चों पर, उन मासूमों पर। उनको अपने घर का आदमी समझकर आप एक बड़े आदमी की तरह से जो एक बुजुर्ग करता है उसकी तरह से उनके घरों के अन्दर बच्चों के अन्दर लड़ाई और कलह दे रखा है; उसको अपनी पॉलिसी बदल कर बन्द करो और उनके घरों के अन्दर शांति सुलह लाइये जिससे वे निश्चिन्तता से जनता की सेवा कर सकें। इसको करने के लिए आपको पॉलिसी को बदलना होगा। सारे हिन्दुस्तान की बात है। ठीक है, लेकिन यह मोटी बात भी क्या आपकी आखों में उंगली डालकर दिखाने से होगी। सारे लोगों के अन्दर कितना दुःख और कलह फैला हुआ है, आपको पता नहीं हो, ऐसा मैं नहीं मानता। आप रुपये की बात करके इस अहम समस्या को नहीं संभाल सकते और कीमतें बढ़ेंगी। अगर यही पॉलिसी रही तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अलाउन्सेज़ जो आपने दिये अनाज खरीदने के लिए, रुपया दिया कि ६ महीने का अनाज खरीद लो। वह पैसा आपका कर्मचारी मार्केट में लेकर पहुंचा तो वहां पर मंहगाई आई। मैं फूड मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि यह आपने इसलिए किया, न कि वहां पर व्यापारियों की हड़ताल चल रखी थी और आपने उनको डराने के लिए कहा कि हम ६ महीने की तनख्वाह अपने कर्मचारियों को ६ महीने का अनाज खरीदने के लिए देते हैं और उसका प्रोवीज़न करके अनुपूरक मांगों के रूप में हमारे सामने ले आये। आपको मालूम है, इसके कारण मार्केट में कीमतें बढ़ीं। बाजार में रुपया ज्यादा आया और आपने ६ महीने का अनाज खरीदने के लिए अपने लोगों को पैसा दे दिया।

कोई आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। कीमतें ऊपर बढ़ती हैं और पालिसीज़ से आप हट जाते हो। लेकिन आपने डराने के लिए व्यापारियों को जो डराने के लिए पॉलिसी अख्तियार की थी उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया है और अनुपूरक मांगें लेकर आ गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर आप लोगों को तनख्वाह एडवान्सेज़ में दे दें और अनाज खरीदने के लिए आपका आदमी बाजार में पहुंचे तो कीमतें आसमान में जायेंगी या नीचे जायेंगी? उससे किनको फायदा होगा? आप कोई मुफ्त नहीं देते, उनकी तनख्वाह से कटेगा। इससे न तो उनको फायदा, न आपको फायदा; बीच वालों को फायदा। बाजार में ज्यादा पैसा आया और भाव बढ़ गये। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मेरे कहने क

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मतलब यह है कि हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जिस समस्या का हम हल निकालना चाहते हैं, ऊंट के पीछे कुत्ता भोंकता है और नाचता ही रहता है। जिस समस्या का हल निकालते हैं वह सोल्यूशन ही हमारी समस्या बन जाता है।

आप समझदार हैं, मेरी बात का असर हो तो बेसिक पॉलिसी के अन्दर आपको बदलना चाहिए। मैं वित्त मंत्रीजी से आपसे पूछना चाहता हूं कि टैक्सेज़ ज्यादा दिखाकर जब कि टैक्स आ जाता है तो यहां पर एस्टीमेट कम दिखाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी एफीशियेन्सी की वजह से आया है। मुबारिक है आपको आपकी एफीशियेन्सी। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले बजट के अन्दर जो सड़कें पब्लिक युटीलिटी की पर्मानेन्ट चीजें जो प्रोवाइड की थीं और जो पब्लिक वर्क्स के अन्दर चीजें थीं, हमारी योजनाओं के अन्दर आपके पास आंकड़े हैं कि जिन जिन की तनख्वाहों के लिए आप अनुपूरक अनुदान की मांगे लाये हैं उन्होंने उतना काम किया है या नहीं? वे काम पूरे हुए हैं या नहीं? जो इस सदन ने पास किये थे वे काम उन्होंने पूरे किये हैं या नहीं? राजस्थान को ऊंचा उठाने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर दें, मुझे कोई एतराज नही। आप बड़ी बड़ी मोटरों को खरीद लें कोई एतराज नहीं—आपकी मोटरें हमारी शान हैं, लेकिन उसका जस्टीफिकेशन तो आपको देना चाहिए। जैसे मट्ठे के अन्दर रई चलती है उस मट्ठे के हमें भी तो दर्शन करा दो, तो हम भी खुशी से अनुपूरक मांगों को पास करेंगे। आप किसी की बीबी हों तो वह आपकी तबीयत ठीक कर दे, लेकिन आप आये हैं, पधारिये; हमें तो पास करना ही है और जरूर पास करेंगे। पहले भी पास किया है और आज भी पास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे भावों पर जायेंगे और भाषा पर नहीं जायेंगे और सरकार शांतिपूर्ण मेरी बातों का जवाब देगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। आप बजट में भाग ले लें, आपका अवश्य ध्यान रखा जायेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने एक बेसिक प्रश्न उठाया, वह यह था कि ये जो अनुपूरक मांगें सदन के सामने मैंने रखी हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जो बजट बनाया गया वह बड़ा इनकम्प्लीट बजट था और उसमें कुछ खामियां थीं और उन खामियों को पूरा करने के लिए ये अनुपूरक मांगें मैंने सदन में प्रस्तुत की हैं। मुझे सिर्फ इसके लिए इतना ही निवेदन करना है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया वे बखूबी जानते है कि जब कोई बजट पेश होता है तो उसका आधार होता है तख्मीने। वह एक्चुअल नहीं होता, वह तख्मीना होता है। जब वह तख्मीना होता है तो उसके माने यही हैं कि जिस आधार पर वे तख्मीने बनाये गये हैं उसमें रद्दोबदल हो सकती है। दुनिया के किसी भी देश में

(श्री बालकृष्ण कौल)

बजट में खाली मांगें मांगी जाती हैं वे एक्चुअल नहीं होती हैं। उसमें बहुत से अंश इस किस्म के होते हैं कि जिस बेसिस पर ये तखमीने लगाये जाते हैं। हो सकता है कि माननीय सदस्यों को इतना टाइम नहीं मिला हो कि उन्होंने जितनी रिपोर्टें यहां से उनके पास भेजी गई, सदन के सामने रखी गई हर महकमों की; उनके पास इतना टाइम नहीं हो...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, टाइम नहीं मिला हो, यह एक्सक्यूज़ नहीं है। हमने सब रिपोर्ट देखी हैं। हम कम्पेरिज़न चाहते हैं। उसका जवाब देना हो तो दें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मेरी बद-किस्मती है कि पढ़ने के बाद भी नहीं समझ सकें, इसमें गलती किसकी है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एस्केप करने की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बजट में जो प्रोवीज़न सड़कों के लिए रखे वे सड़कें बनीं या नहीं बनीं? नहीं जवाब देना है तो न दें। हमने सब रिपोर्टें पढ़ी हैं और उस नक्शे में क्या काम किया, यह नहीं है। दूसरों की समझदारी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। मैं इस बात पर रिजेन्ट करता हूं। आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा से सच्ची बात कड़वी लगा करती है, क्योंकि जब माननीय सदस्य...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपका मतलब यह है कि वे नासमझ हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो मैं चुप होकर सुन रहा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कहें खेत की और सुने खलियान की, मैं उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं?

श्री बालकृष्ण कौल : आपको उसको उतना ही बर्दाश्त करना पड़ेगा जितना जब आप बोल रहे थे तब मैंने किया था। आपको सुनना हो तो सुनिये और न सुनना हो तो मत सुनिये, लेकिन मैं उस आवाज में बोलने को तैयार नहीं हूं कि जिसमें कुछ माननीय सदस्य, जिनकी कि आदत है पंचम में बोलने की और पंचम में बोल कर उनको चुप करा दूं।

मैं एक दलील दे रहा हूं कि जितनी भी कारगुजारियां डिपार्टमेंट ने की हैं उनकी रिपोर्ट सदन के सामने है, और यह मेरा काम नहीं है कि हरेक डिपार्टमेंट की तफसीलवार चीज को यहां सदन के सामने रखूं। अगर कुछ माननीय सदस्यों को जानना था तो कटमोशन लाते; जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर हैं वे उसका जवाब देते। मेरे आगे जो सवाल है वह यह सवाल है कि जो इसकी मांगें हैं उनका खुलासा सदन के सामने रखूं।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो २३ करोड़ की अनूपूरक मांग सामने हैं, उस २३ करोड़ में से अगर आप देखें तो १९

(श्री बालकृष्ण कौल)

करोड़ की तो सिर्फ बुक एन्ट्रीज़ हैं। उसमें कोई रुपया नहीं मांगा गया है। उसमें सिर्फ एक मद में से निकाल कर दूसरी मद में डाला गया है।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : यह पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर चुका हूं कि ये सब एस्टीमेट्स हैं और एस्टीमेट्स के मायने यह हैं कि ये केवल तखमीने हैं, एक्चुअल नहीं हैं कि यह चीज हो ही जायगी। एडजस्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट में बहुत सी चीजें हैं खर्चे की....

श्री अब्दुलजब्बारखां : तो यह मान-कर चलें कि ये एस्टीमेट्स जो बने हैं कम बने हैं या ज्यादा बने हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : एस्टीमेट के मायने ही तखमीना है। इसमें यह निहित है कि ज्यादा भी हो सकता है। और कम भी हो सकता है, उसके लफ्ज़ी मायने यही हैं। जोर इस बात का था कि जो २३ करोड़ के लिए सदन के सामने मांगें आई हैं उनमें से १९ करोड़ का तो सिर्फ एडजस्टमेंट ही है, क्योंकि जब तक वह रुपया यह सदन पास न करे तो उस अमाउन्ट को हम खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए फीगर्स से घबराने की जरूरत नहीं है कि २३ करोड़ नया ले रहे हों उस बजट प्रोवीजन से जो कि आपने पहले पास किया था......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिसके लिए पैसा रखा गया था उसमें खर्च नहीं किया गया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You misappropriated the amount to another Head.

श्री बालकृष्ण कौल : मिसएप्रो-प्रियेटेड कहें या एप्रोप्रियेशन कहें; लफ्ज एप्रोप्रियेशन है। एक के लिए यह एप्रो-प्रियेशन है और दूसरे की निगाह में उसको वह मिसएप्रोप्रियेशन दिखाई देता है। दोनों की नजरों का फर्क है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता; इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए बड़ा एतराज था और जितनी भी बहस थी वह उन मुद्दों पर बहस थी, जैसे मोटरकार, पैट्रोल, मन्त्रियों की संख्या। सारी अनुपूरक मांगों के पीछे यदि कोई ध्येय था तो गैलेरी को खिलाने का, प्ले करने का था। यह दिखाने के लिए था कि ये जितनी अनुपूरक मांगें हैं २३ करोड़ की वह रुपया मन्त्रियों की संख्या बढ़ गई है उसके कारण से है या मोटरें बहुत आ गई हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं अर्ज करूंगा........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं; वित्तमन्त्री जी अपनी तकरीर करें। इससे मुझे कोई एत-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

राज नहीं है, लेकिन यह मोटिव लगाना, "गैलरी को प्ले कर रहे थे" मैं तो गैलेरी को मानता ही नहीं। हम आपस में बातें करते हैं, लेकिन मन से बात रखें तो मोटिव यह लगाना उनका कहां तक उचित है कि यह गैलेरी से प्ले करने के लिए कई लोग कह रहे थे। गैलेरीज़ तो आपसे प्ले होती हैं। आप भी प्ले करते हैं और दूसरे भी करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कोई पोइंट ऑफ आर्डर नहीं उठाऊंगा.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसको अनपार्लियामेन्ट्री मानता हूं कि इस तरह से मेम्बरों के लिए वह कह रहे थे कि गैलेरीज से प्ले कर रहे थे, उसको बन्द करना चाहिए और आपको महसूस होना चाहिए कि आपने वफादारी इस हाउस के साथ नहीं की है। गैलेरीज से प्ले कर रहा था तो, उपाध्यक्ष महोदय के जरिये आप मुझे चैक कर देते। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस विषय पर पहले भी जिक्र आया है और व्यवस्था दी जा चुकी है।। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा और माननीय सदस्यों से भी कि कोई इस प्रकार की बात न कही जाय कि जिसमें मोटिव इम्प्यूट हाने की बात हो अथवा मोटिव इम्प्यूट होने की आशंका भी हो।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि व्यवस्था चलाने के लिए मिनिस्टरों की अगर तादाद बढ़ानी पड़ती है तो बढ़ायेंगे और घटाने की जरूत होगी तो घटाई जायगी। यह तो मुख्य मंत्री का काम है कि उसको कितने मिनिस्टरों की जरूरत है, कितने मिनिस्टरों की एडवाइस की जरूरत है. कितने सलाहकार चाहिए। और पंजाब की मिसाल दी या इधर की दी तो और जगह भी देखिये। मैं नहीं कह सकता कि पंजाब में कितने हैं; और जगह देखें तो वहां पर ५० और ४० हैं। हाउस का लीडर जिसको चुनते हैं यह उस पर निर्भर करता है कि कितने सलाहकार की उसको जरूरत है और किन किन की सलाह की उनको जरूरत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५० किस स्टेट में है पार्लियामेंट को छोड़कर ? हिन्दुस्तान में १६ स्टेट्स हैं। आप राज्यो की बात करते हैं तो एक भी राज्य बता दें ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने राज्य नहीं कहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुख्य मंत्रीजी नहीं, मुख्य मंत्री है। इसको करेक्ट कर लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं हिन्दी बोलता हूं, संस्कृत नही बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, तो ये जितनी बातें हुई हैं उनके पीछे यह भावना थी। एक तो दलील आई कि यह जो डी. ए, बढ़ाया गया है इसका अन्दाजा पहले लगा लेना चाहिए था। फिर उसकी कॉन्ट्रा-

(श्री बालकृष्ण कौल)

डिक्टरी दलील आई कि थोड़ा दिया गया। तीसरी फिर यह आ गई कि यह इसलिए बढ़ाया जाता है कि कुर्सियां हमारे सिर पर हैं। मैं नहीं कह सकता कि कुर्सियां किसके सिर पर हैं और यह भूत किसके सिर पर है कि जो बोलता है। श्रीमान्,

श्री भैरोंसिंह : भूत तो सबके नीचे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कुर्सियां आप पर बैठ गई हैं। मैं कुर्सियों की बात नहीं पूछता। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं नहीं कह सकता कि कुर्सियां किसके सिर पर हैं और किसके सिर पर भूत है, जो चढ़ कर बोलता है भूत ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक के ऊपर कुर्सी है और किसी एक के दिमाग में भूत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे ऊपर कोई भूत है जैसा कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो मेरे ऊपर जनता के दुःख-दर्द का भूत है। आपको कुर्सी की भूख होगी।

श्री भैरोंसिंह : कुर्सियां तो लोहे और लकड़ी की हैं। एक पर कुर्सी है और एक पर भूत है ; इसका मतलब यह है कि दोनों का ही संतुलन खोया हुआ है इसलिए डॉ॰ व्यास को कन्सल्ट किया जाय और दोनों की कुर्सी व भूत वगैरह को निकाल दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये तो मिलते ही रहते हैं डाक्टर व्यास से। उनका नाम लिया तो; आपका इलाज तो होता रहता है जिसको मैं देखता रहता हूं, वर्ना ये पत्थर लेकर भागते लोगों के पीछे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह-नगर) : आपके सुपरविज़न में इलाज चलता है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : जितनी बातें थीं वे मैं कह चुका लुब्बे लुबाब में और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भूत-प्रेत की क्या चर्चा हो रही थी और खास तौर से अजमेर में ही है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गंगानगर में भी भेज दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता।

Page No 125

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "Noes" have it.

श्री बालकृष्ण कौल : 'Ayes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक, राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६५, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पास हुआ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर १ मिनट पर दिनांक ९ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०८ का उत्तर देखिये)

राजस्थान वन क्षेत्रफल एवं वार्षिक आय की सूची

नाम डिवीजन	क्षेत्रफल वर्गमील में	वार्षिक आय ६३-६४
बांसवाड़ा	१०८६-६५	६,३८,२२५-२५
चित्तौड़गढ़	१२१६--६२	१८,६५,१२७-३७
सिरोही	७२०--००	३,६५,३७३-००
उदयपुर	३६११-२२	१४,७५,२८६-००
झालावाड़	४८६-५०	३,६६,७२५-४७
कोटा	५२२-४२	४,८७,५७५-००
बूंदी	५६१-२०	२,८४,५१८-००
टोंक	४८७-८६	२,४६,६६८-००
जयपुर	१३२४-००	३,१८,३३८-००
अजमेर	७०५-००	५,३६,१७७-००
जोधपुर	५२८-६८	७,३७,७७६-७५
भरतपुर	२३२१-००	६,८२,०७५-८५
बारां	८६१-०७	५,६३,१८५-००
योग	१४,७७१-८५	८६,६०,३८३-६६

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१४ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति बिलाड़ा को सन् १९५९ से १९६३ तक बुल-प्रीमियम व सांडों व मींडों को पालने हेतु दी गई राशि की सूची :—

वर्ष	कुल प्रीमियम सरकारी सहायता	स्वीकृति	मेडोंसहायक पालने हेतु सरकारी सहायता	स्वीकृति
१९५९-६०	—	—	—	—
१९६०-६१	—	—	—	—
१९६१-६२	७८३	—	—	—
१९६२-६३	—	—	—	—

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति हिन्डौन में सन् १९५९ से १९६४ तक की अवधि में ली गई खाद की बकाया की सूची:

क्रमांक	सरपंच ग्राम पंचयात	वर्ष	बकाया रकम
१	२	३	४
१.	लहचड़ा	५९–६०	१३८२)
२.	महावीर जी	,,	१६३७)
३.	जगर	,,	२३०३)
४.	बरगमा	,,	२१९६) १२
५.	मण्डावरा	,,	७७०) ५०
६.	ढीढोरा	,,	५९५)
७.	मवखास	,,	११९०)
८.	जारड़ा	,,	५६) १२
९.	गावडा मीना	,,	६३) १२
१०.	पालनपुर	६१–६२	४३८२) ५०
११.	पटोदा	,,	३१२२)
१२.	गावडा मीना	,,	२४४६)
१३.	डोडूपुरा	,,	१५२०)
१४.	सनेट	,,	६५०)
१५.	कोटरी	,,	९४५)
१६.	इरनिया	,,	२१६०)
१७.	,,	६२–६३	२८८०)
१८.	जटवाड़ा	,,	९४०)
१९.	दानालपुर	,,	५५२)
२०.	नागलामीना	,,	३६००)
२१.	जटवाड़ा	,,	१८००)
२२.	इरनिया	६३–६४	५५०८)
२३.	नागला मीना	,,	२८८०)

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न–समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चरमर ग्राम पंचायत के पुराने टेर नामी जंगल का ग्रामवासियों द्वारा उपयोग

२२३. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र में कुरावड़ के पास चरमर ग्राम पंचायात के एक पुराने टेर नामी जंगल में ठिकाना कुरावड के जमाने से ही और सैटलमेन्ट के रेकॉर्ड के अनुसार भी चरमर ग्रामवासी अपने जानवर चराते रहे हैं और वहां से लकड़ी लेते रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पहले जब कुरावड़ के रावजी और ग्रामवासियों में चरणोट के प्रश्न को लेकर विवाद चला था तब सरकार ने यह तय किया कि टेर जंगल में चरमर के ग्रामवासियों के जानवर चरते रहेंगे ?

(३) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों द्वारा इस जंगल में कोई कुआ या तालाब भी बनाया हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार अब इस जंगल को बाड़ लगा रही है ? यदि हां, तो चरमर के जानवर चरने के लिये कहां जायेंगे और ग्रामवासी अपनी जरूरत की लकड़ी कहां से प्राप्त करेंगे ?

(५) क्या सरकार इस जंगल को ग्रामवासियों के लिये खुला रखने के प्रश्न पर विचार करना चाहती है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) इस विवाद के संबंध में क्षेत्र का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है ।

(३) जी नहीं । इस जंगल में केवल दो छोटी बेरियां हैं ।

(४) जी नहीं, इस जंगल को बाड़ नहीं लगाई जा रही है । चरमर ग्राम के जानवर इसी जंगल में चरते रहेंगे तथा ग्रामवासी अपनी जरूरत की सूखी-गिरी-पड़ी लकड़ी लाते रहेंगे ।

(५) जी नहीं ।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में खातेदारी हक

२२४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान अलॉट-मेंन्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चर पर्पजेज

रूल्स, १९५७ के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर १० वर्षों के पश्चात् संबंधित काश्तकार को खातेदारी हक मिलने का प्रावधान है ?

अगर हां, तो क्या सरकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ऐसे अधिकार देना वाजिब नहीं समझती है ?

उत्तर

जी हां ।

परन्तु चरागाहों के विकास करने तथा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपनाने योग्य फसल नमूनों पर रिपोर्ट देने तथा इस प्रश्न पर विस्तृत जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी और यह निश्चित किया गया था कि कमेटी द्वारा की गई जांच के परिणाम विचाराधीन रहने तक निम्न-लिखित जिलों में अनधिकृत सरकारी भूमि का आंवटन केवल ३ वर्ष के लिये ही किया जाय ताकि इस मामले में यदि यह निर्णय कर लिया जाय कि ऐसी रेगिस्तानी भूमियां चरागाहों तथा इसी प्रकार के अन्य अभिप्रायों के लिये अधिक उपयुक्त होती है तो किसी ऐसी योजना को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ।

१. बिलाड़ा तहसील के अतिरिक्त जोधपुर ।

२. सिवाना तहसील के अतिरिक्त बाड़मेर ।

३. जैसलमेर ।

४. बीकानेर ।

५. नागौर ।

६. चूरू ।

पंचायत समिति अचनारा को जीप का अलॉटमेंट

२२५. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि अचनारा पंचायत समिति, जिला चित्तोड़ में कोई जीप नहीं है और यह पिछड़ा हुआ इलाका है तथा इस कारण विकास कार्य व अन्य कार्यों की देखभाल में बड़ी दिक्कत आती है ? यदि हां, तो इस पंचायत समिति को जीप कब तक एलॉट कर दी जायेगी ?

उत्तर

जीप एलॉट कर दी गई है ।

नगरपालिकाओं की ऑडिट रिपोर्ट्स

२२६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (राय-सिंहनगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपरिषद् बीकानेर ने सम् ५३–५४ से ६०–६१, नगर परिषद् अलवर ने सम् ५४–५५ तथा ५६–५७ से ५९–६० तक, नगरपरिषद् जोधपुर ने सम् १९४९ से १९५८–५९ तक तथा

नगरपरिषद् उदयपुर ने सन् १९४७ से ५७–५८ तथा ५९–६० की ऑडिट रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के पास ऑडिट रिपोर्ट का जवाब न देने वाली नगरपालिकाओं तथा परिषदों के विरुद्ध कार्यवाही करने के कोई अधिकार नहीं हैं ?

(३) यदि भाग (२) का उत्तर 'नहीं' है, तो भाग (१) में लिखित नगरपरिषदों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

(४) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के विरुद्ध जल्दी ही कार्यवाही न करने से उनकी अनियमितताएं करने की प्रवृत्ति बढ़ती है ?

(५) दिनांक ३१-१२-६४ तक जिन नगरपालिकाओं, परिषदों ने ऑडिट रिपोर्ट्स का जवाब नहीं दिया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सरकारी कर्ज के लिए जिला परिषद्, उदयपुर द्वारा पास किया गया प्रस्ताव

२२७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६३ में जिला परिषद् उदयपुर ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास किया था कि सरकारी कर्ज उन्हीं किसानों या गांव वालों को मिलेगा जो सहकारी समिति के सदस्य होंगे ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिला परिषद् को इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से रोकने का आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। पारित प्रस्ताव सुझाव के रूप में था।

(२) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

लसाड़िया में छात्रावास

२२८. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर जिले के लसाड़िया तहसील हैडक्वार्टर के चारों ओर बीस बीस मील के क्षेत्र में नब्बे प्रतिशत गांव आदिवासी लोगों के हैं ?

(२) क्या यह सही है कि प्रत्येक गांव के छात्र गरीबी के कारण प्राथमिक शाला से निकल कर आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या लसाड़िया खास में एक आदिवासी छात्रावास खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक खोला जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह सही है। इन गांवों के अधिकतर आदिवासी छात्र बिना राज्य सरकार की सहायता के आगे पढ़ाई नहीं कर सकते।

(३) जी, नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की लक्ष्य प्राप्ति करने के कारण और छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

कामां में बाढ़ से नुकसान

२३०. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कामां में बाढ़ के कारण हजारों एकड़ भूमि गरकी में आ गई और लाखों रुपयों की फसल नष्ट हो गई और फसल रबी की भी कोई संभावना नहीं है ?

(२) क्या यह सत्य है कि वर्ष ५८ में भी इसी प्रकार की क्षति इस क्षेत्र में हुई थी और इसके बावजूद भी सरकार ने किसानों से राजस्व और सेराबी वसूल की थी ?

(३) सरकार गरकी में आये खेतों से लगान और सेराबी वसूल नहीं करने और ५८ में अनुचित वसूल की गई सैराबी तथा लगान का एडजेस्टमेन्ट भी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। सन् १९५८ में भी तहसील कामां के क्षेत्र में बाढ़ से ४८,२९२ एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी। बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के किसानों से उस वर्ष फसल खरीफ में माल गुजारी थाम (Stay) रखी थी और फसल रबी में भी जिस रकबे में काश्त नहीं हुई उसकी मालगुजारी साल तमाम की छूट देकर काश्तकारों को सहायता पहुंचाई गई थी। जिस रकबे में साल तमाम के अन्दर पुख्ता फसल हुई थी उस पर सेराबी मुताबिक मांग सिंचाई विभाग वसूल की गई थी।

(३) गरकी में आये खेतों से लगान व सेराबी सन् ५८ में जब वसूल ही नहीं की गई तो फिर सैराबी तथा लगान एडजस्टमेन्ट का प्रश्न ही नहीं उठता। हाल में गरकी में आये रकबे से लगान व सेराबी वसूल न करने के लिये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

शुद्धि–पत्र

(सोमवार, दिनांक ८ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१८५३-१८५४	शीर्षक	८ मार्च ६५	८ मार्च, ६५
१८५५	५	निरंजनाथ	निरंजननाथ
,,	११	निरंजनाथ	निरंजननाथ
१८५७	१४	सकेत	संकेत
१८५८	अन्तिम से ५	मेंरे	मेरे
१८६०	२	एक्स्प्लेतेशन	एक्स्प्लेनेशन
,,	१५	क्राइ्ड	काइन्ड
१८६१	६	राज़स्यान	राजस्थान
,,	८	्कॉलरशिप	स्कॉलरशिप
,,	८	गर्नमेंट	गवर्नमेंट
,,	११	मेरिट	मेरिट
१८६२	शीर्षक	८१६२	१८६२
,,	अन्तिम से ६	आंपने	आपने
,,	,,	स्बयं	स्वयं
१८६३	७	वित्त	वित्त
,,	११, १६व२३	वृद्धि	वृद्धि
,,	१७	भत्ते	भत्ते
,,	१६	वृद्धि	वृद्धि
,,	२२	भत्ता	भत्ता
,,	२३	वढ़ाने	बढ़ाने
,,	२३	वृद्धि	वृद्धि
,,	२४	वित्तीय	वित्तीय
१८६४	१२	कन्डयूमर)	कन्ज्यूमर
,,	१४	भत्ता	भत्ता
,,	१६	भत्ते	भत्ते
,,	२०	तयार	तैयार
,,	अन्तिम से ४	भत्ते	भत्ते

(२)

१	२	३	४
१८६५	६	किमन्डेश नहै	रिकमन्डेशन है
,,	अन्तिम से २	लडुढा	लड्ढा
,,	अन्तिम से १	टम्र्मू	टर्म्स
१८६७	६	मंहगाई	महंगाई
,,	१७	एडहोक	एड्हॉक
,,	२६	इम्पॉटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
,,	अन्तिम से १	महगाई	महंगाई
१८६८	४	एडहॉक	एड्हॉक
,,	१६	एडहॉक	एड्हॉक
,,	१२	एडहॉक	एड्हॉक
१८६९	४	एडहॉक	एड्हॉक
,,	४	बेसिस पट पर	बेसिस पर
,,	६	एडहॉक	एड्हॉक
,,	२३	एड्हाक	एड्हॉक
१८७०	६	बढाते	बढ़ाते
१८७३	४	फरेंस	रेफरेंस
,,	२०	है	हैं
१८७५	१२	ओर	और
,,	१६	का	को
१८७६	१०	अलाउस	अलाउन्स
१८७९–	शीर्षक	५५–	६५–
१८८०			
१८८१	अन्तिम से १	दें	दें
१८८३	६	रहें	रहे
,,	१२	मेंने	मैंने
१८८७	१८	नही	नहीं
१८८८	६	हैं	है
,,	१६	अनुपस्थितकृपया	अनुपस्थित–कृपया
१८८९	१५	पचायत	पंचायत
१८९२	४	व्यवस्धापकों	व्यवस्थापकों
१८९३	शीर्षक	२७ फरवरी	८ मार्च
१८९५	१७	धैद्य	वैद्य

१	२	३	४
१८९६	२०	ज़ी	जी
१८९७	४	कोलोंनाइज़ेशन	कोलोनाइज़ेशन
१९०२	१३	में	मैं
,,	अन्तिम से २	कत्तंव्य	कर्त्तव्य
१९०३	४	जांनकारी	जानकारी
१९०९	१०	कितना	कितनी
११९१	१	जिनकीं	जिनकी
,,	१९	आंकडों	आंकड़ों
१९१३	शीर्षक	पार्च	मार्च
१११५	२२	मानिनचन्द	मानिकचन्द
१९१९	शीर्षक	माच	मार्च
१९२९	शीर्षक	९१२९	१९२९
१९३१	१५	मुकाविला	मुकाबिला
१९३७	२	तरी के	तरीके
१९४४	२४	इलाज़	इलाज
१९४५	शीर्षक	६-	६५-
१९५०	१८	खिखाफ	खिलाफ
१९५५	४	भौले-भाले	भोले-माले
,,	अन्तिम से ४	रोचनामचे	रोजनामचे
.९५५-१९५६	शीर्षक	माच	मार्च
१९५८	८	पै ।	पैदा
१९५९	१	हांड़ा	हांडा
९६४-२००२	शीर्षक	मांग संख्या १-भू-राजस्व	मांग संख्या १२-पुलिस
१९६७	५	बढ	बढ़
७५-९७६	शीर्षक	५६-	६५-
९८०	२	ऑर्ड र	ऑर्डर
८८	शीर्षक	मांम संख्या	मांग संख्या
८	२१	आशा हैं	आशा है
[illegible]	शीर्षक	८ माच	८ मार्च

Page No 136

१	२	३	४
२००६	१६	तनख्वा	तनख्वाह
२०१७	शीर्ष	भैरोंसिह	भैरोंसिह
२०२५	,,	(श्री भरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
२०२८	५	अलॉमेन्ट	अलॉटमेन्ट
२०४१	१४ व १८	वावल	बाबेल
२०४५	शीर्षक	८ मार्च, ६३	८ मार्च, ६५
,,	शीर्ष	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
२०५४	१	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२०६०	शीर्षक	मुख-बंघ	मुख-बंध
२०६७	११	अनपूरक	अनुपूरक
,,	अन्तिम से ३	पुरः स्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित	(पुरः स्थापन, विचार-विमर्श एवं पारित)
२०७५	शीर्षक	विनियोय	विनियोग
२०७८	स्कम्भ	२०८७	२०७८
२०८०	२७	कार्यबाही	कार्यवाही
२०८२-२०६०	शीर्षक	विधेकय	विधेयक
२०६८	अन्तिम से ३	१९६५ पारित	१९६५ को पारित